षोडश माला, खंड 12, अंक 13 शुक्रवार, 07 अगस्त, 2015
16 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

(खंड 12 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक 13, शुक्रवार, 7 अगस्त, 2015 / 16 श्रावण, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
'भारत छोड़ो' आंदोलन की 73वीं वर्षगांठ	17
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1]*तारांकित प्रश्न संख्या 264 से 267	23-48
[2]****प्रश्नों के लिखित उत्तर**	49
तारांकित प्रश्न संख्या 268 और 282	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3002, 3004 से 3014, 3016 से 3035, 3037 से 3038, 3040 से 3058, 3060 से 3063, 3065 से 3083, 3085 से 3114, 3116 से 3139, 3141 से 3150, 3152 से 3156 और 3158 से 3220	

[1]*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

[2]**नियम 374क के अधीन सदस्यों के निलंबन के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 263 और अतारांकित प्रश्न संख्या 3003, 3015, 3036, 3039, 3059, 3064, 3084, 3115, 3140, 3151 और 3157 को लोप किया गया और जैसा कि 7.8.2015 के समाचार भाग-I में दर्ज है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 50-72

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

विवरण 73

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

नौवाँ और दसवाँ प्रतिवेदन 74

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे और पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री अरूण जेटली 75

(दो) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदान की माँगों (2015-16) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

राव इंद्रजीत सिंह 76

सभा का कार्य 77-82

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का समय बढ़ाए जाने से संबंधित प्रस्ताव 83

सरकारी विधेयक – पुरःस्थापित

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 84

(दो) विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2015 105

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) बिहार में पुलिस के अत्याचार के बारें में 85-90

(दो) देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए मानकों के बारें में 99-101

(तीन) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए और अधिक निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में 108-111

नियम 193 के अधीन चर्चा

सतत विकास लक्ष्य

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल 141-143

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक – पुरःस्थापित 144-186

200-204

(एक) भगवान बुद्ध केंद्रीय होम्योपैथी विश्वविद्यालय विधेयक, 2015

(श्री पंकज चौधरी द्वारा) 145

(दो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी का उन्मूलन विधेयक, 2015

(डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा) 146

(तीन) शिक्षा विधेयक, 2015

(श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव द्वारा) 147

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

(नए अनुच्छेद 15 क का अंत:स्थापन)

(श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव द्वारा) 148

(पाँच) रेल (संशोधन) विधेयक, 2015

(नए अध्याय 13 क का अंत:स्थापन)

(श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव द्वारा) 149

(छह) आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015

(डॉ. रविन्द्र बाबू द्वारा) 150

(सात) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2015

(धारा 2 का संशोधन, आदि)

(श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा) 151

(आठ) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक , 2015

(धारा 2 और 13 का संशोधन)

(श्री जगदंबिका पाल द्वारा) 152

(नौ) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015

(धारा 304क के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन)

(श्री जगदंबिका पाल द्वारा) 153

(दस) गुटका और पान मसाला (प्रतिषेध) विधेयक, 2015

(श्री गोपाल शेट्टी द्वारा) 154

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

(नए अनुच्छेद 16 क का अंत:स्थापन)

(श्री गोपाल शेट्टी द्वारा) 155

(बारह) अनधिकृत कॉलोनियों, मलिन और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां,
(बुनियादी सुख-सुविधाएं और अन्य व्यवस्था) विधेयक, 2015

(श्री गोपाल शेट्टी द्वारा) 156

(तेरह) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण
भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2015

(नई धारा 43क का अंत:स्थापन)

(श्री गोपाल शेट्टी द्वारा) 157

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

(उद्देशिका का संशोधन, आदि)

(श्री भर्तृहरि महताब द्वारा) 158

(पंद्रह) साफ अक्षरों में चिकित्सीय निर्देश लिखना और जेनेरिक औषधि
दुकानें खोलना विधेयक, 2015

(श्री सी.आर. पाटील द्वारा) 159

(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

(श्री निशिकान्त दुबे द्वारा) 160

(सत्रह) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015

(धारा 80 का संशोधन)

(श्री निशिकान्त दुबे द्वारा) 161

(अठारह) कृषक और कृषि कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2015

(श्री निशिकान्त दुबे द्वारा) 162

(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

(अनुच्छेद 58 का संशोधन)

(श्री निशिकान्त दुबे द्वारा) 163-164

(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

(अनुच्छेद 72 का संशोधन)

(डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा) 165

(इक्कीस) अशिष्ट विज्ञापन प्रतिषेध विधेयक, 2015

(डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा) 166

(बाईस) बंद कपड़ा मिल कर्मकार (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2015

(डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा) 167

(तेईस) विशेष सिंचाई विकास निधि (वन क्षेत्रों के लिए) विधेयक, 2015

(श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा) 168

(चौबीस) फसल बीमा विधेयक, 2015

(श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा) 169

(पच्चीस) मोटर यान (संशोधन) विधेयक , 2015

(नई धारा 136क का अंत:स्थापन)

(श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा) 170

(छब्बीस) संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015

(श्री फग्गनसिंह कुलस्ते द्वारा) 171

(सत्ताईस) नक्सली हिंसा के कृत्यों के पीड़ित (राहत और पुनर्वास) विधेयक, 2015

(श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा) 173

(अट्ठाईस) बालिका (वाणिज्यीकृत दुर्व्यापार निवारण, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2015

(श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा) 174

(उनतीस) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक , 2015

(नई धारा 199क का अंत:स्थापन)

(श्री भर्तृहरि महताब द्वारा) 175

(तीस) औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2015

(नए अध्याय 3क का अंत:स्थापन)

(श्री भर्तृहरि महताब द्वारा) 176

(इकतीस) कुपोषण उन्मूलन विधेयक, 2015

(डॉ. मनोज रजोरिया द्वारा) 177

(बत्तीस) उर्वरक (मूल्य नियंत्रण) विधेयक, 2015

(श्री राजेश रंजन द्वारा) 178

(तैंतीस) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालिकाओं के दुर्व्यापार का निवारण विधेयक, 2015

(श्री राजेश रंजन द्वारा) 179

(चौंतीस) जनसंख्या स्थिरीकरण विधेयक, 2015

(श्री राजेश रंजन द्वारा) 180

(पैंतीस) शैक्षिक संस्थाओं में तर्कशास्त्र का अनिवार्य शिक्षण विधेयक , 2015

(श्री दद्दन मिश्रा द्वारा) 181

(छत्तीस) राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015

(श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा) 182

(सैंतीस) राजस्थान उच्च न्यायालय (बीकानेर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015

(श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा) 183

(अड़तीस) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (नियमितीकरण) विधेयक, 2015

(श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा) 184

(उनतालीस) खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2015

(नए अनुच्छेद 19क का अंत: स्थापन)

(श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा) 185

(चालीस) रिक्शा चालक और सड़क किनारे बैठने वाले मैकेनिक (आजीविका अर्जन की स्वतंत्रता) विधेयक, 2015

(श्री राजेश रंजन द्वारा) 186

(इकतालीस) वर्षाजल (अनिवार्य संरक्षण) विधेयक, 2015

(डॉ. उदित राज द्वारा) 200

(बयालीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

(अनुच्छेद 51क का संशोधन)

*(*श्री पी. पी. चौधरी द्वारा) 201

(तैंतालीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

(अनुच्छेद 124 का संशोधन)

(श्री पी. पी. चौधरी द्वारा) 202

(चवालीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

(अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन)

*(*श्री पी. पी. चौधरी द्वारा) 203

(पैंतालीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

(नए अनुच्छेद 324क का अंत:स्थापन)

(श्री पी. पी. चौधरी द्वारा) 204

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014

डॉ. मनोज राजोरिया	
श्री अजय मिश्रा टेनी	
श्री राजेश रंजन	205-213
श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश द्विवेदी	213-219
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	220-223
श्री कोण्डा विश्वेश्वर रेड्डी	224-226
श्री रमेश चन्द्र कौशिक	226-228
डॉ. के. कामराज	228-233
श्री सुमेधानंद सरस्वती	233-236
श्री मुकेश राजपूत	236-238
श्री लखन लाल साहू	238-239
श्रीमती कमला पाटले	239-241
श्री निशिकान्त दुबे	241-242

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 7अगस्त, 2015 / 16 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुई*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

'भारत छोड़ो' आंदोलन की 73वीं वर्षगांठ

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, तिहत्तर वर्ष पूर्व दिनाँक 9 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी ने राष्ट्र को साम्राज्यवादी शासन की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए "भारत छोड़ो आंदोलन" शुरू किया था।

भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर सामान्य और विशिष्ट, सभी वर्गों के लोग स्वयमेव शामिल हुए और यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक कदम था।

इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता और उन सभी शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि आर्पित करते हैं, जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और हम उन उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हैं।

सभी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में अब हम मौन धारण करेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): महोदया, 25 सांसदों का निलम्बन लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। ...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): महोदया, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। ...(व्यवधान) उनका निलम्बन वापस लिया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको मध्याह्न 12 बजे अलाऊ करूँगी, अगर आपको कुछ कहना है तो जीरो ऑवर में कहिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका कोई नोटिस भी नहीं है। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको अगर कुछ भी प्रस्ताव रखना हो, वह आप मध्याह्न 12 बजे के बाद रखेंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री राजेश रंजन जी से स्थगन प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आगे की कार्यवाही में व्यवधान डालना उचित नहीं है। इसलिए, मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: राजेश रंजन जी, आपको जीरो ऑवर में चांस दूँगी। अभी आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 264, श्रीमती के. कविता।

... (*व्यवधान*)

श्रीमती कविता कलवकुंतला (निजामाबाद): प्रश्न संख्या 264 .... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: अभी नहीं, बाद में, मध्याह्न 12 बजे आपको मौका दूँगी।

... (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): महोदया, मैंने कल भी पप्पू यादव जी को आश्वासन दिया कि आप एडजर्नमेंट मोशन नहीं, नार्मल मोशन दीजिए। ...(व्यवधान) गृह मंत्री जी उसके बाद उसके ऊपर रेस्पांड करेंगे। ...(व्यवधान) वे नार्मल नोटिस दें,

एडजर्नमेंट मोशन नहीं, नार्मल नोटिस दिया तो सरकार उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। ...(व्यवधान) मैं उनसे अलग से एक नोटिस देने का अनुरोध करूंगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्हें जीरो ऑवर में मौका दे दूँगी।

... (व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: उनके व्यवहार के बारे में आप गारंटी दें तो हम तैयार हैं। ...(व्यवधान) सदन ठीक तरह से चले, वे अच्छा व्यवहार करें, इसके लिए आप गारंटी देंगे क्या? ...(व्यवधान) उसके लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार को कोई प्रॉबलम नहीं है। [अनुवाद] यदि वे माननीय अध्यक्ष से मिलते हैं और कहते हैं कि वे सभा को सुचारु रूप से चलाने में माननीय अध्यक्ष का समर्थन करेंगे, तो हमें कोई समस्या नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया।

... (*व्यवधान*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: वे लोग सरकार की आलोचना कैसे कर सकते हैं और फिर नारे भी लगा सकते हैं? यह उचित नहीं है। वे बाहर भी नारे लगा रहे हैं और यहाँ सदन के भीतर भी नारे लगा रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ कि वे जाकर अपने कांग्रेस के मित्रों को समझाएँ कि वे सदन को चलाने में सहयोग करने का आश्वासन दें। तब निश्चित रूप से हम इसे वापस ले सकते हैं। ... (व्यवधान) ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिये। यह पद्धति नहीं है। आप कोई रिजॉल्यूशन लाएँ, कोई बात लिखकर दे दें। चिल्लाने से ही बात नहीं बनती है। [अनुवाद] श्री करुणाकरण जी, आप अच्छे से जानते हैं। मैं आपको इसे उठाने की अनुमति जरूर दूंगी। मगर इस तरीके से काम नहीं होता है। मैं आपको इसे शून्यकाल में उठाने की अनुमति दूंगी, लेकिन अभी नहीं। आपने इसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया है। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

... (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

इस समय श्री धर्मेन्द्र यादव और और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती कविता कल्वकुंतला।

श्रीमती कविता कल्वकुंतला: महोदया, हमारे देश में पांच कमोडिटी बोर्ड हैं: चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, रबर बोर्ड और मसाला बोर्ड। हम सभी जानते हैं कि मसालों का निर्यात सबसे अधिक है और यह हमारे व्यापार का लगभग 0.78 प्रतिशत है। ... (*व्यवधान*) कॉफी बोर्ड और चाय बोर्ड को बहुत महत्व दिया जाता है लेकिन मसाला बोर्ड को बहुत कम महत्व दिया जाता है। .... (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

इस समय श्री धर्मेन्द्र यादव, जय प्रकाश नारायण यादव, एम. बी. राजेश और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: माननीय अध्यक्ष जी, सदन के भीतर लगाए गए नारे कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। वे सभा सदन के बीचोंबीच में आकर नारे लगा रहे थे। मुझे कार्यवाही में यह बात रखना चाहता हूँ। वे बाहर एकजुटता व्यक्त कर रहे थे और नारे भी लगा रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने जनमत को समझा और सदन में आए। उन्हें यहाँ आने और मुद्दा उठाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने मुद्दा उठाया। मैंने विनम्रतापूर्वक उनसे कहा कि सरकार भी चाहती है कि जिन माननीय सदस्यों को निलंबित किया गया है, वे सदन में वापस

आएँ, लेकिन इसका एक ही तरीका है कि उनमें से कम-से-कम कुछ सदस्य माननीय अध्यक्ष से मिलें और उन्हें आश्वासन दें कि वे सदन के सुचारु संचालन में सहयोग करेंगे। सरकार ने यही कहा है। ... (व्यवधान)

हम निलंबन वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव लाने को तैयार हैं। यही परंपरा है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष केवल किसी सदस्य का नाम ले सकती हैं। उसके बाद सदन को निर्णय करना होता है। मैं सदन की ओर से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि सरकार निलंबन वापस लेने और उसे निरस्त करने के लिए तैयार है, बशर्ते वे माननीय अध्यक्ष को यह आश्वासन दें कि वे सदन के सुचारु संचालन में सहयोग करेंगे। वामपंथी दलों के हमारे मित्र सदन में आए हैं। समाजवादी पार्टी सदन से बाहर चली गई थी। मुझे खुशी है कि उन्होंने सदन के बहिष्कार को समाप्त कर दिया है। बाहर नारे लगाने, टिप्पणियाँ करने, पुतले जलाने या माननीय अध्यक्ष की आलोचना करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मैं एक बार फिर उनसे देश के व्यापक हित में, संसदीय लोकतंत्र के व्यापक हित में अपील करता हूँ कि वे वापस आएँ, चर्चा में भाग लें और विकास के भागीदार बनें। यही मेरी उनसे प्रार्थना है। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट अपनी बात कहना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसे नहीं होता है। आप बैठिये। मैंने कहा है कि शून्य काल में आपको बोलने का समय दूँगी। आप बैठिये। यह ठीक है।

... (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 264,

श्रीमती कविता कलवकुंतला।

(प्रश्न संख्या 264)

श्रीमती कविता कलवकुंतला: माननीय अध्यक्ष, मसालों में हल्दी हमारे देश में उगाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी फसल है। तेलंगाना हल्दी की सबसे अधिक खेती करने वाला राज्य है और विशेष रूप से मेरा संसदीय क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ है। मैं इन किसानों से बहुत निकटता से जुड़ी हुई हूँ और उनकी समस्याओं को भली-भाँति जानती और समझती हूँ। विशेष रूप से, हल्दी के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं है। इसलिए आमतौर पर बिचौलियों को ही इस फसल का लाभ मिलता है। इसके अलावा, उन्हें किसी प्रकार का अनुसंधान समर्थन भी नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ उत्पादित हल्दी में से केवल लगभग 10 प्रतिशत ही निर्यात की जाती है। इसके लिए कोई निर्यात अवसंरचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मेरा मानना है कि हल्दी के लिए एक अलग कमोडिटी बोर्ड का गठन ही एकमात्र उपाय है। पिछले एक वर्ष के

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

दौरान मैंने इस मुद्दे को कई बार माननीय मंत्री के समक्ष मौखिक रूप से तथा लिखित रूप में उठाया है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदया के माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि हल्दी किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं और हल्दी बोर्ड के गठन की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: यह एक अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि माननीय सदस्य ने हल्दी के संदर्भ में जो मुद्दा उठाया है, उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने वास्तव में स्पाइस बोर्ड द्वारा देखे जाने वाले 52 मसालों की स्थिति की समीक्षा की है। प्रत्येक मसाले की पूर्ण क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमने यह निर्णय लिया है कि 11 विभिन्न स्पाइस डेवलपमेंट एजेंसी क्षेत्र बनाए जाएंगे, जहाँ किसी विशेष मसाले पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही उस क्षेत्र में उगाए जाने वाले अन्य मसालों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए हल्दी के मुद्दे का ही उल्लेख करना चाहूँगी। विशेष रूप से तेलंगाना क्षेत्र का उदाहरण लेती हूँ, जहाँ उच्च गुणवत्ता की हल्दी बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इसे प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल जिस प्रकार से 11 विभिन्न स्पाइस डेवलपमेंट एजेंसियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, उसके अंतर्गत तमिलनाडु के इरोड क्षेत्र में हल्दी, मिर्च, काली मिर्च आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार इन विभिन्न स्पाइस डेवलपमेंट एजेंसियों का उद्देश्य यह है कि वे स्पाइस बोर्ड के अंतर्गत कार्य करते हुए भी स्वतंत्र रूप से विशेष मसालों की देखभाल करें। इसके माध्यम से हम विशेष मसालों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। चूँकि जिस राज्य में यह एजेंसी स्थापित होगी, उसके मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, इसलिए हम स्पाइस बोर्ड को दिए जाने वाले संसाधनों का पुनर्संयोजन कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर, स्पाइस बोर्ड को प्रतिवर्ष लगभग 95 करोड़ रुपये का आबंटन दिया जाता है, जिसमें सभी राज्यों को शामिल किया जाता है।

इसके साथ-साथ हम कृषि मंत्रालय से भी संसाधनों को एकत्रित कर सकेंगे। *राष्ट्रीय कृषि विकास योजना* के माध्यम से भी निधियाँ प्राप्त हो सकेंगी और एमआईडीएच, जो बागवानी पर ध्यान केंद्रित करता है, वह भी मसालों पर ध्यान दे सकेगा, जिन्हें अब तक अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया है। इस प्रकार की पुनर्संरचना के माध्यम से हमें आशा है कि अनेक ऐसे मसालों पर भी समुचित ध्यान दिया जा सकेगा, जिनकी क्षमता का अब तक पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाया है। फिलहाल हम इसी मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं।

श्रीमती कविता कलवकुंतला: स्पाइस डेवलपमेंट एजेंसियों के बारे में जवाब देने के लिए धन्यवाद।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: मैं साथ ही यह भी कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य ने यह मुद्दा बिल्कुल सही ढंग से उठाया है। उन्होंने मुझसे कई बार मुलाकात के दौरान इस विषय को उठाया है और लिखित रूप में भी मुझे अवगत कराया है। मुझे यह याद है कि पिछले वर्ष जून से अब तक ऐसे प्रत्येक पत्राचार का मैंने उत्तर दिया है, क्योंकि मैं तेलंगाना में हल्दी के महत्व को भली-भांति समझती हूँ। वास्तव में, उन्होंने एक स्पाइस पार्क स्थापित करने का सुझाव भी दिया था। इस पर मैंने उत्तर दिया है कि हम इसकी संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं और जैसे ही राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित कर दी जाएगी, हम इस संबंध में आगे की कार्रवाई करेंगे।

श्रीमती कविता कलवकुंतला: भूमि के संबंध में हम पहले ही आपको लिख चुके हैं कि राज्य सरकार द्वारा 40 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है। उस पत्र के उत्तर में, माननीय मंत्री महोदया, आपने यह कहा था कि माननीय वित्त मंत्री ने एसाइड को समाप्त कर दिया है, इसलिए आप हमारी सहायता नहीं कर सकतीं और अब इसका पूरा दायित्व राज्य सरकार पर आ गया है। कृपया अपने सद्भावपूर्ण प्रयासों से जेटली जी से इस विषय पर बात करें- वह एसाइड स्कीम हमारे पर कर दीजिए मैडम,क्योंकि - क्योंकि पिछले वर्ष मैंने यह अनुरोध किया था और जब तक राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित की गई, तब तक, यह स्कीम तो चली गई।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: उस विशिष्ट प्रश्न पर, हो सकता है कि अब राज्यों को एसाइड कोष दे दिया गया हो। …

माननीय अध्यक्ष: पहले उन्हें प्रश्न पूरा करने दीजिए।

श्रीमती कविता कलवकुंतला: मैं वाणिज्य मंत्री की विदेश व्यापार नीति के दस्तावेज़ से उद्धरण देना चाहती हूँ, जिसमें कहा गया है कि बागान उत्पाद, विशेषकर मसाले और चाय, ब्रांड इंडिया से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ये भारतीय व्यंजन, जीवन-शैली और निर्यात को बढ़ावा देने में सहायक हैं तथा उपभोक्ताओं के बीच एक विशेष पहचान स्थापित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हल्दी भारत के लिए सबसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर है। माननीय सारे सांसदों को मालूम है कि हल्दी का महत्व क्या है, स्पेशली भाजपा का प्रिंसीपल जो है - यह भारतीय विरासत और संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है और उसके साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संस्कृति और विरासत के लिए जिस प्रकार का जोर दिया जाता है, उसी प्रकार का प्रोत्साहन न तो हल्दी के उत्पादन को दिया जाता है और न ही उसके निर्यात को। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केसर के लिए उत्पाद तथा निर्यात विकास प्राधिकरण स्थापित की है, जबकि हमारे देश में केसर का उत्पादन बहुत कम होता है। दूसरी ओर, हल्दी को भी भारतीय केसर कहा जाता है।

मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस विषय में कुछ करें। यदि एसाइड योजना के माध्यम से यह संभव नहीं है, तो कम-से-कम सरकार वहां एक उत्पाद तथा निर्यात विकास प्राधिकरण स्थापित कर दे, तो यह सराहनीय होगा। इसके साथ ही एक गंभीर प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण अब हम हल्दी का आयात भी कर रहे हैं। जब तक हल्दी के आयात को नहीं रोका जाएगा, तब तक हम अपने किसानों की सहायता नहीं कर सकते। अतः मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस विषय पर गंभीरता से विचार करें।

[हिन्दी]

मैडम, सरकार ने 'जले पर नमक छिड़कना' जैसा एक और काम कर दिया। हमें तो ए.एस.आई.डी.ई. (असाइड) स्कीम में पैसे नहीं दिए, लेकिन गुंटुर की जो स्पाइस डेवलपमेंट एजेंसी है, उसमें हमारे तेलंगाना के भी टरमैरिक प्रोडक्शन को मैनेज करने की अनुमति दे दी। [अनुवाद] माननीय मंत्री महोदया के पत्र में यही कहा गया है कि जब तक सरकार एक अलग स्पाइस पार्क स्थापित नहीं करती, तब तक हमारे वारंगल क्षेत्रीय

कार्यालय को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और यह जिम्मेदारी गुंटूर कार्यालय को दी गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करती हूँ कि इस जिम्मेदारी को वारंगल क्षेत्रीय कार्यालय को ही प्रदान किया जाए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, माननीय सदस्या ने कई मुद्दे उठाए हैं। मैं एक-एक करके उनका जबाव देना चाहूंगी।

मैं माननीय सदस्य की आभारी हूँ कि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि आज सरकार भारतीय पारंपरिक ज्ञान से संबंधित विषयों को काफी प्राथमिकता दे रही है। हल्दी के उदाहरण को लेते हुए मैं उन्हें बताना और आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हल्दी से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों के मामलों में हम बहुत सजग रहे हैं। हाल ही में आपने मीडिया के माध्यम से भी जाना होगा कि हल्दी के आई.पी. संरक्षण से संबंधित मामलों में हमने लगातार सफलताएँ प्राप्त की हैं और इस विषय में हम बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे हैं।

जहां तक स्पाइस डेवलपमेंट एजेंसी का संबंध है, केसर का उदाहरण लेते हुए मैं कहना चाहूँगी कि भले ही इसकी मात्रा कम हो और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसका हिस्सा सीमित हो, लेकिन जम्मू-कश्मीर के लिए केसर भारत के विशिष्ट व्यापारिक उत्पाद के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी कारण हम इस क्षेत्र में संदेश भी देना चाहते थे और केसर के विकास के लिए कार्य भी करना चाहते थे, इसलिए यह विशेष रूप से किया गया। माननीय सदस्य ने केसर के संदर्भ में जिस एस.डी.ए. का उल्लेख किया है, उसी प्रकार का जोर अन्य 11 केन्द्रों की स्थापना में भी दिया जा रहा है, चाहे वह हल्दी के लिए हो या फिर अन्य मसालों जैसे धनिया, जीरा, पुदीना आदि के लिए।

जहां तक हल्दी के आयात का प्रश्न है, सामान्यतः कृषि उत्पादों के मामले में हम उसका ध्यान रखते हैं। हम आयात की अनुमति नहीं देते। लेकिन जहां इसे पूरी तरह रोकना संभव नहीं होता या आयात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, वहां हम निश्चित रूप से इस बात पर निगरानी रखेंगे कि कितनी मात्रा में आयात हो रहा है।

श्रीमती कविता कलवकुंतला: इसके आयात के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार रबड़ के आयात पर भी रोक नहीं लगा पा रही है। ... (*व्यवधान*)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: क्या आयात ही आत्महत्या का प्रत्यक्ष कारण है, इसे मैं अभी स्थापित नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं निश्चित रूप से इसके विवरण का पता लगाऊँगी।

माननीय सदस्य ने एसाइड के संबंध में भी मुद्दा उठाया है, जिसका उत्तर मैं देना चाहती थी। वास्तव में, एसाइड के लिए जो धनराशि पहले वाणिज्य मंत्रालय को दी जाती थी, वह अब राज्यों को भेज दी जाती है ताकि वे स्वयं उससे संबंधित कार्यों को संचालित कर सकें। इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्यों के अधिकार समाप्त हो गए हैं। राज्यों को केंद्र से प्राप्त एसाइड निधि का उपयोग हल्दी के व्यापार को बढ़ावा देने या हल्दी के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए करने का पूरा अधिकार है। वाणिज्य मंत्रालय ने बार-बार यह आश्वासन दिया है कि जहां भी राज्यों को तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी, हम उसे प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एसाइड की निधि का इस प्रकार राज्यों को हस्तांतरित होना यह नहीं दर्शाता कि हमारी कोई भूमिका नहीं है। हम निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाते रहेंगे।

जहां तक गुंटूर द्वारा हल्दी के मामले को देखने का प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि हल्दी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में उगाई जाती है। वारंगल में भी एक विशेष प्रकार की मिर्च उगाई जाती है, जो बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि मैं वारंगल की मिर्च के बारे में अवगत हूँ। तेलंगाना की हल्दी और मिर्च दोनों को उचित ध्यान दिया जाएगा।

माननीय सदस्य स्पाइस पार्क के बारे में भी बोल रही थीं, जो स्पाइस डेवलपमेंट एजेंसी से अलग है। स्पाइस पार्क के लिए हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। तेलंगाना में ऐसा एक स्पाइस पार्क स्थापित करने में हम सहायता करेंगे, लेकिन यह तभी संभव होगा जब राज्य सरकार आवश्यक दस्तावेज भेजेगी।

श्रीमती कविता कलवकुंतला: कम से कम हमारे मुख्य सचिव को गुंटूर में स्थित स्पाइस डेवलपमेंट एजेंसी (एस.डी.ए.) में स्थान मिलना चाहिए। अन्यथा, वहां हमारा कोई पक्ष नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय: श्री धनंजय महादिक - उपस्थित नहीं

श्री दुष्यंत सिंह: माननीय अध्यक्ष, मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राजस्थान के झालावाड़-बारां क्षेत्र में एक स्पाइस पार्क दिया गया था। लेकिन उस समय राज्य में कांग्रेस सरकार और केंद्र में यूपीए सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से झालावाड़ को आबंटित स्पाइस पार्क को मेरे राज्य के किसी अन्य भाग में भेज दिया जाए। मेरे जिले में स्पाइस डेवलपमेंट एजेंसी (एस.डी.ए.) के अंतर्गत स्पाइस पार्क के लिए भूमि अभी भी उपलब्ध है। यदि राज्य सरकार इस संबंध में अनुरोध भेजती है, तो क्या माननीय मंत्री हमें धनिया और लहसुन के लिए एक स्पाइस पार्क स्थापित करने का अवसर देंगी, क्योंकि मालवा क्षेत्र में, जहाँ से आप भी निर्वाचित हुई हैं, हम धनिया और लहसुन के प्रमुख उत्पादक हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूँ कि क्या झालावाड़ के लिए हमें एक स्पाइस पार्क मिलेगा अथवा केंद्र में मंत्री जी के माध्यम से हमें इस संबंध में सहायता प्राप्त होगी।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, यदि राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा जाता है, तो मंत्रालय निश्चित रूप से उस पर विचार करेगा।

प्रो. रिचर्ड हे (नामांकित): माननीय अध्यक्ष, हमारी मातृभूमि के लोकतंत्र के इस मंदिर में मुझे पहली बार बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं मसालों की भूमि केरल के तलश्शेरी से आता हूं, जो मसालों की भूमि है। मैं अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा कुछ अन्य देशों की यात्रा करता रहता हूँ। मुझे यह बताते हुए गर्व होता है कि भारत की काली मिर्च अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 'टेलिचेरी पेपर', 'मालाबार पेपर' के ब्रांड नाम से बेची जाती है और दालचीनी को 'टेलिचेरी बार्क' के नाम से बेचा जाता है। लेकिन इनका ब्रांडिंग वे लोग करते हैं, हम नहीं करते। इसलिए मैं माननीय सदन से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारतीय मसालों को बढ़ावा देने पर विचार किया जाए, क्योंकि विश्वभर में भारतीय मसालों की बहुत मांग है। अमेरिका के डॉक्टर भी कहते हैं कि

"आप हल्दी, जीरा और अन्य मसालों का सेवन कीजिए और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए।" हमने तो पहले से ही इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी तथा आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे मसालों को विश्व के सभी स्थानों पर बढ़ावा दिया जाए और उनका ब्रांडिंग भारतीय उत्पादकों द्वारा ही किया जाए। धन्यवाद।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: यह एक सुझाव है, महोदया।

माननीय अध्यक्ष: लेकिन उस सुझाव को आपको नोट करना होगा; बस यही बात है।

श्री जी. हरि: धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया। माननीय मंत्री द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद निर्यात में लगातार सात महीनों से गिरावट देखी गई है। माननीय मंत्री इस बात से अवगत हैं कि मसाले और चाय ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें निर्यात के मामले में भारत को अन्य देशों की तुलना में बढ़त प्राप्त है। माननीय मंत्री चाय बागानों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए बार-बार दौरे भी कर रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुरच्चि थलैवी अम्मा के गतिशील नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार मसालों और चाय की खेती को समर्थन प्रदान कर रही है। जब मसाला उत्पादकों की उपज के लिए खरीदार नहीं मिलते, तब राज्य सरकार हस्तक्षेप करती है। मसाला क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो ग्रामीण जनसमूह को रोजगार भी प्रदान करता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कॉयर बोर्ड, टी बोर्ड आदि की तर्ज पर प्रत्येक मसाले के लिए अलग-अलग स्पाइस बोर्ड स्थापित करने पर विचार कर रही है। धन्यवाद, महोदया।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: माननीय अध्यक्ष, स्पाइस बोर्ड के अंतर्गत कुल 52 प्रकार के मसालों का कार्य देखा जाता है। प्रत्येक मसाले को पर्याप्त ध्यान और प्रोत्साहन मिल सके, इसके लिए हमने अब यह कदम उठाया है कि स्पाइस बोर्ड के अंतर्गत 11 विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जाए, ताकि इन्हें उप-समूहों में विभाजित करके विशेष मसालों पर अधिक केंद्रित और प्रभावी ध्यान दिया जा सके। संभवतः 52 अलग-अलग बोर्ड बनाना संभव

नहीं होगा, लेकिन इन्हें 11 समूहों में पुनर्गठित करके हम आशा करते हैं कि प्रत्येक मसाले पर बेहतर ढंग से ध्यान दिया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री दद्दन मिश्रा: अध्यक्ष महोदया, हमारा देश प्राचीन काल से मसालों के उत्पादन में अग्रणी रहा है। यह इस बात से भी प्रमाणित होता है कि ईस्ट इंडिया नामक कंपनी ने मसालों के आयात-निर्यात के बहाने ही हमारे देश में प्रवेश किया था और कालान्तर में हमारे देश की शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या कालान्तर में मसालों के उत्पादन में सरकारों की नीतियों की वजह से गिरावट आई है?

आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा देश भारतवर्ष पुनः विश्व गुरू बनने की दिशा में अग्रसर है। मसालों के उत्पादन में हमारा देश प्राचीन काल से अग्रणी रहा है। मसालों के उत्पादकों को संरक्षण, संवर्धन देकर, पुनः उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को दिलाने का क्या कोई प्रयास हो रहा है? इसके साथ ही साथ सरकार की इस तरह की भी कार्य योजना होनी चाहिए कि पुनः कोई ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के आयात-निर्यात के बहाने हमारे देश में इस तरह की हरकत न कर सके।

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: यह निश्चित रूप से एक अलग प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष, और एक और ऐसा प्रश्न है जो भारत के इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ संकेत करता है। लेकिन आज हम अपने मसालों को पूरे विश्व में पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय मसालों के विकास और उनके निर्यात को विश्वभर में बढ़ावा देने के लिए हमारे पास कई विशेष योजनाएँ हैं। इस विषय पर मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूँ।

(प्रश्न संख्या 265)

[हिन्दी]

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं जिस एफ. एम. टावर के बारे में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, उस एफ.एम. टावर की वजह से ही आज देश के प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी ने एक नयी ऐतिहासिक पहल शुरू की है, 'मन की बात' कह कर आम आदमी को ऊर्जा और शक्ति देने की जो बात शुरू की है उसके लिए आज एफ.एम. टावर बहुत जरूरी हो गया है। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेडियो की डिमांड ज्यादा संख्या में बढ़ती जा रही है। न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि 'मन की बात' सुनने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आपने एफ.एम. टावर्स के आंकड़े दिये हैं लेकिन अभी राजस्थान प्रदेश को 50 प्रतिशत भी कवर नहीं किया गया है, उनके लिए आपने क्या मानदंड बनाये हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाये? उनके बारे में अभी भी सारी चीजें नहीं हो पायी हैं, उस हिसाब से बहुत् सेा एरियाज वंचित है। अभी राजस्थान प्रदेश का 20 प्रतिशत क्षेत्र कवर होता है और 80 प्रतिशत क्षेत्र बाकी है। मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि आपने जो आंकड़े दिये हैं, उनको आप कितनी जल्दी पूरा करायेंगे?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर: अध्यक्ष महोदय, एफ. एम. का एक्सपैंशन काफी बड़ी मात्रा में हुआ है। वर्ष 1999 में जब एफ.एम शुरू हुआ था, तब 21 एफ.एम. स्टेशंस थे। वर्ष 2005 में जब फेज-टू पॉलिसी आयी, तब 222 एफ.एम. स्टेशंस थे और आज की तारीख में 243 एफ.एम. स्टेशंस हैं। अभी जब फेज-थ्री लॉज हो गया है तो 839 चैनल्स हो जायेंगे। भारत वर्ष का 40 प्रतिशत इलाका एफ.एम. से कवर है। अगले ढ़ाई साल के अंदर भारत का 60 प्रतिशत क्षेत्र एफ.एम. से कवर हो जायेगा।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिये है, मैं उनके लिए उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन टोंक नवाबों की नगरी है, वह आज भी इससे वंचित है। अभी आपने उसके लिए तीन टावर्स प्रस्तावित किये हैं। उसके बाद मेरे संसदीय क्षेत्र में आज भी चार बड़े-बड़े शहर ऐसे ही रह जाते हैं,

जैसे - गंगापुर सिटी, देवली, उनीयारा और टोडा रायसिंग। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो मापदंड निधाररित किये हैं, टोंक में सवा डेढ़ लाख की जनसंख्या है, वहां पर आपने तीन टावर्स दिये हैं, बाकी एरियाज आज भी उनेसे वंचित है। मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि एक टावर की रेंज 8-10 किलोमीटर की है। क्या टावर की रेंज बढ़ाने की कोई योजना है ताकि ज्यादा क्षेत्र कवर हों? टावर न बढ़े तो उनकी रेंज बढ़ाई जाये।

इसके साथ बी.एस.एन.एल के टावर्स के बारे में कहना चाहता हूं, हमें बी.एस.एन.एल के टेलीफोन दिए गये हैं। आज बी.एस.एन.एल टावर्स की यह हालत है कि कहीं वह काम करता है और कहीं वह काम नहीं करता है। अगर हम गाड़ी में बैठ कर किसी से बात करते हैं तो फोन तीन-चार बार कट जाता है, तब हम बात कर पाते हैं। मंत्री जी से यह निवेदन है कि उनकी रेंज बढ़ा दें और टोंक में जल्द से जल्द तीन टावर्स बना दें।

माननीय अध्यक्ष: उसका नवाबों की नगरी से कोई लेना-देना नहीं है।

... (व्यवधान)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा-सा कंफ्यूजन है। ये तीन टावर्स नहीं बल्कि रेडियो के तीन स्टेशंस होंगे और ये प्राइवेट स्टेशंस होंगे। यह जो बी.एस.एन.एल. की बात कर रहे हैं, शायद वह रवि शंकर प्रसाद जी के मंत्रालय में आता है। हमारा रेडियस 50 किलोमीटर का है, यानि बहुत दूर-दराज इलाके तक सिंगनल जायेगा।

माननीय अध्यक्ष: आभिषेक बनर्जी, उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

डॉ. के. कामराज: महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र कल्लाकुरिची में लगभग 140 से 200 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी एफएम प्रसारण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। एफएम स्टेशन स्थापित करने के लिए जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं, उनके अनुसार शहरों या कस्बों की जनसंख्या एक लाख से अधिक होना आवश्यक है।

इस मानदंड के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र में एफएम स्टेशन की सुविधा उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे मेरे क्षेत्र में लोगों को एफएम प्रसारण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आकाशवाणी केंद्र स्थापित करने के संबंध में कोई पहल करने जा रहे हैं?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़: महोदया, मैं माननीय सदस्य की चिंता की सराहना करता हूं। निजी एफएम की एक नीति है और साथ ही आकाशवाणी के एफएम स्टेशनों के विस्तार की भी एक नीति है। निजी एफएम स्टेशनों के लिए नीलामी उन शहरों में की जाएगी, जहाँ 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या एक लाख या उससे अधिक है। हालांकि, कुछ ऐसे शहर भी शामिल किए गए हैं, जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या एक लाख या उससे अधिक है, और इस सूची को मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल इस पर विचार करेगा।

वहीं दूसरी ओर, दूसरी ओर, आकाशवाणी केवल शहर की जनसंख्या को ही ध्यान में नहीं रखती, बल्कि उन क्षेत्रों को भी ध्यान में रखती है जहाँ मध्यम तरंग और लघु तरंग के सिग्नल नहीं पहुँचते, जिन्हें 'डार्क जोन' या 'शैडो एरिया' कहा जाता है। हाँ, आपके जैसे क्षेत्रों के लिए अवसर है, जिन्हें इस आधार पर विचार किया जा सकता है कि वहां मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के सिग्नल पर्याप्त रूप से नहीं पहुँच रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राहुल शेवाले: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि देश में 378 शहरों से एफएम रेडियो कार्यशील है और उसकी पहुंच लगभग 45 प्रतिशत आबादी तक है। मेरा कहना है कि जैसे दूरदर्शन में अभी एक कृषि चैनल लॉन्च किया गया है, उसी तरह कृषि एफएम रेडियो चैनल को लॉन्च किया जाना चाहिए। इससे किसानों को कृषि संबंधी सभी तरह की सूचनाएं प्राप्त होंगी और उन्हें अपने खेती के कार्य करने में सुविधा होगी। इससे एफएम रेडियो की पहुंच भी सौ प्रतिशत तक हो जाएगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एक कृषि एफएम चैनल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव कि कृषि के ऊपर कार्यक्रम होने चाहिए, यह अच्छा सुझाव है। इसे किसानों तक पहुंचाने के लिए हमने कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल किया। कम्युनिटी रेडियो का एरिया 15 किलोमीटर होता है और उस इलाके के लिए और स्पैसीफिक हो सकता है। उसके अंदर कोई सीमा भी नहीं है कि हम कितने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन्स देंगे। हमारे पास जितनी ज्यादा ऐप्लीकेशन्स आएंगी, हम उसके जरिए उसे बढ़ावा देना चाहते हैं। हम कम्युनिटी रेडियो कृषि केन्द्रों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को देना चाहते हैं। हालांकि एफएम का और एक्सपैंशन हो रहा है और इस एक्सपैंशन के तहत जरूरी नहीं है कि हर जगह कोई रेडियो स्टेशन ही हो। हम बीएसएनएल के टावर्स के ऊपर एफएम ट्रांसमीटर्स लगाना चाहते हैं ताकि विविद भारती का कम से कम रिले होता रहे।

श्रीमती संतोष अहलावत: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि देश में निजी फ्रीक्वैंसी मॉड्यूल स्टेशन कहीं भी शुरू करने के लिए क्या अर्हताएं हैं? क्या कोई अर्हताएं तय की गई हैं? क्या ग्रामीण एरिया को भी इससे जोड़ने के लिए आगे कोई रणनीति बना रहे हैं ताकि किसानों और हमारे जो युवा पढ़ रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके? आपने इसे शहरों में लगभग शुरू किया है, लेकिन इंटीरियर के ग्रामीण इलाके अभी इस सुविधा से वंचित हैं। क्या भविष्य के लिए ऐसी कोई रणनीति बनाई गई है? आप कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू कर रहे हैं तो कब तक यह योजना पूरी हो जाएगी? मेरे यहां सिर्फ एक सैंटर है। इसलिए मैं चाहती हूं कि देशभर में कहीं का भी ग्रामीण एरिया इसका लाभ उठा सके।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर: अध्य़क्ष महोदया, एफएम एक्सपैंशन की एक पॉलिसी है और हम फेज़वाइज़ उसका एक्सपैंशन कर रहे हैं। 1999 में यह मैट्रो सिटीज़ से शुरू हुआ था। अब धीरे-धीरे छोटे शहरों की तरफ जा रहा है। कम्युनिटी रेडियो का सवाल इस सवाल से हटकर है, लेकिन मैंने पिछली बार इसलिए जवाब दिया था क्योंकि किसानों का जिक्र हुआ था। कम्युनिटी रेडियो आप अभी भी ले सकती हैं। उसकी बड़ी सिम्पल गाइडलाइन्स हैं। आप मिलेंगी तो मैं ऑफिस में बता दूंगा।

[अनुवाद]

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान: माननीय अध्यक्ष, मैं ओड़िशा के संबलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। वहां सात वर्ष पहले एक एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह एफएम रेडियो स्टेशन काम कर रहा है या नहीं। मैं स्वयं उस स्थान का दौरा कर चुका हूँ। वह रेडियो स्टेशन आज तक कार्यरत नहीं है। यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा बिंदु यह है कि माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में 200 एफएम रेडियो स्टेशन हैं। उनमें से वर्तमान में कितने स्टेशन कार्य कर रहे हैं?

कर्नल. राज्यवर्धन राठौड़: महोदया, आज की तारीख में, वर्तमान में 243 एफएम रेडियो स्टेशन कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, 378 एफएम स्टेशन पूर्णतः आकाशवाणी के हैं। **[हिन्दी]** माननीय सदस्य ने जिन स्टेशनों का जिक्र किया है, मेरी जानकारी के अनुसार वह फंक्शन कर रहा है, हालांकि उसके अंदर कोई पेचीदगी है या उसमें कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उसे मैं स्पेशिफिकली एड्रेस कर दूंगा।

(प्रश्न संख्या 265क)

[अनुवाद]

श्री जयदेव गल्ला: महोदया, मैगी नूडल्स एक उत्पाद है, जिसका निर्माण नेस्ले द्वारा किया जाता है, जो एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है और विश्व की सबसे बड़ी खाद्य निर्माण कंपनियों में से एक है।

एफएसएसएआई द्वारा 6 जून, 2015 को मैगी के नौ प्रकारों पर अत्यधिक सीसा (लेड) और एमएसजी की मात्रा पाए जाने के कारण प्रतिबंध लगाया गया था। मैगी में पाए गए सीसा की मात्रा उत्तर प्रदेश में 15 से 20 पार्ट्स प्रति मिलियन, महाराष्ट्र में 10 से 15 पार्ट्स प्रति मिलियन और गुजरात में 5 से 10 पार्ट्स प्रति मिलियन तक पाई गई, जबकि इसकी अनुमेय सीमा 0.1 से 2 पार्ट्स प्रति मिलियन है। इन परीक्षणों के परिणामों में काफी भिन्नता देखी गई, जबकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए परीक्षणों में सीसा की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई। इस संदर्भ में एक लेख भी प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक है- "फूड-टेस्टिंग प्रयोगशालाओं में सुधार की आवश्यकता"।

महोदया, मेरा माननीय मंत्री से यह प्रश्न है कि क्या यह सत्य है कि देश में विभिन्न खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के परीक्षण के लिए कोई समान मानक प्रोटोकॉल नहीं है और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रोटोकॉल अपनाए जाते हैं? क्या यह भी सत्य है कि मैगी कुछ राज्यों में परीक्षण में पास हो गई, जबकि अन्य राज्यों में असफल रही? और यह कि भारत में निर्मित वही मैगी नूडल्स सिंगापुर में परीक्षण में उत्तीर्ण हो गए और वहां अब भी बेचे जा रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि प्रयोगशालाएँ समान रूप से सुसज्जित हों और सभी राज्यों द्वारा मानक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे प्रयोगशालाओं में जो परीक्षण किए गए हैं, उनमें सभी एक समान प्रोटोकॉल का पालन किया गया है; और ये प्रोटोकॉल स्वयं नेस्ले द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही अपनाए गए हैं।

78 नमूनों में से 30 में अत्यधिक मात्रा में सीसा पाया गया। इसके अतिरिक्त एमएसजी का भी मामला था। कुछ उत्पादों में सीसा की मात्रा अनुमेय सीमा 2.5 पार्ट्स प्रति मिलियन से अधिक पाई गई। दिल्ली, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में परीक्षण किए गए और उनमें सीसा की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। इसी कारण उन्हें वापस मंगाने के निर्देश दिए गए।

जहाँ तक प्रयोगशालाओं का संबंध है, कुल 166 प्रयोगशालाएँ हैं; जिनमें 12 रेफरल लैब्स, 72 राज्य स्तरीय लैब्स और 82 निजी एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त लैब्स शामिल हैं। इन सभी प्रयोगशालाओं में पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। साथ ही, हम इन्हें और सुदृढ़ करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो परिणाम सामने आए हैं, वे संदेह के घेरे में हैं। यद्यपि यह मामला मुंबई उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी वहां भी नेस्ले ने परीक्षण सुविधाओं या परिणामों पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है।

श्री जयदेव गल्ला: महोदया, अपने दूसरे पूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि परीक्षण प्रक्रिया में इतनी अधिक भिन्नता क्यों पाई जा रही है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, परीक्षण प्रक्रिया में कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता केवल परिणामों में है और वह स्वयं मैगी उत्पाद के कारण है। हम अपने स्तर पर सीसा नहीं जोड़ते हैं। यदि किसी उत्पाद में सीसा की मात्रा 17.5 पीपीएम है, तो हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि उसमें 17.5 पीपीएम है। यदि किसी अन्य बैच के उत्पाद में सीसा की मात्रा 6 पीपीएम, 5 पीपीएम या 3 पीपीएम है, तो हमारी प्रयोगशालाओं ने उसी के अनुरूप 6, 5 या 3 पीपीएम ही बताया है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ कोई परीक्षण असफल नहीं हुआ। जैसे केरल में कोई परीक्षण असफल नहीं हुआ और गोवा में भी परीक्षण असफल नहीं हुए। इसलिए इन राज्यों के संबंध में हमने बिल्कुल सही परिणाम प्रस्तुत किए हैं और बताया है कि वहां सीसा की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर है।

माननीय अध्यक्ष: अब यह आपका तीसरा अनुपूरक प्रश्न होगा।

श्री जयदेव गल्ला: एसोचैम के अनुसार खाद्य संबंधी परियोजनाओं में लगभग 90,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव लंबित हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2007-08 के 70 मिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 402 मिलियन डॉलर हो गया है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, जो बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसमें संभावित निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जहाँ तक खाद्य सुरक्षा और संरक्षा का प्रश्न है, उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन हो। साथ ही, उद्योग के विकास को भी ध्यान में रखा जाएगा और इस संबंध में हम समय-समय पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जा सके।

लेकिन मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हमने उन्हें उत्पाद वापस लेने के लिए कहा, तब हमने उन्हें नोटिस भी दिया था कि 15 दिनों के भीतर वे यह स्पष्ट करें कि उनके उत्पादों को वापस क्यों न लिया जाए और इसके लिए कारण भी प्रस्तुत करें। आज तक इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, दोनों पक्षों से सहयोग आवश्यक है। हम उनसे कारण माँग रहे हैं। यदि मेसर्स नेस्ले कारण प्रस्तुत करती है, तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे। किन्तु चूँकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर अधिक विस्तार से प्रकाश डालना उचित नहीं समझता। तथापि, हमारा प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सुरक्षा मानकों से किसी प्रकार का समझौता न हो—यह हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात, हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उद्योग का विकास हो और नियम ऐसे हों जो स्व-नियामक प्रकृति के हों।

माननीय अध्यक्ष: श्री सी. एन. जयादेवन - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, चाहे फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या फूड एडल्टरैशन एक्ट हो, यह बिल्कुल टूथलैस टाइगर है। खुद माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जवाब नहीं दिया और केवल विदड्रा कर लिया गया। क्या यह कार्रवाई सफिशिएंट है? अगर लेड एक बार किसी मनुष्य के शरीर में चला जाता है, तो वह पूरी जिंदगी रहता है और उसका कान्सन्ट्रेशन बढ़ता जाता है। मनुष्य के शरीर में उसका इफेक्ट छः महीने, एक साल या दस साल बाद भी होता है। मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी इस पर कोई कार्रवाई करें।

अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न है कि इसी तरह से ऑक्सीटोसिन, जो लैक्टैटिंग मदर का एक फीमेल हार्मोन है, वह गायों में दिया जाता है। कद्दू में देकर उसे 48 घंटे में बड़ा किया जाता है। बच्चियों में पहले मॉनार्की की ऐज तेरह से चौदह 14 होती थी, लेकिन वह आज नौ से दस साल पर चली गयी है। जब बच्चियों समझने लायक भी नहीं होती हैं, उस समय उनमें मेन्सीज़ साइकल स्टार्ट हो जाता है और इसे कहा जाता है कि वे बहुत अच्छा खाना खा रही हैं, इसलिए हो रहा है। जबकि इस देश में वन थर्ड बच्चियां कुपोषण का शिकार हैं, इसलिए इस तरह से कहना कि खाने के चलते हो रहा है, तो यह सरासर गलत है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न होगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बच्चियों और ऐडोलसेन्ट गर्ल्स पर बेड इफैक्ट है, क्या उसकी कोई स्टडी हैल्थ मिनिस्ट्री ने करायी है? अगर करायी है तो उसका क्या नतीजा निकला है? मेरा यह भी अनुरोध होगा कि मैगी में भी सजा मिलनी चाहिए और इस तरह से हमारे देश के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर भी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, जहां तक एफएसएसएआई का सवाल है तो उन्होंने कहा है कि यह एक शक्तिहीन संगठन है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हम नियमों के तहत कार्य करते हैं और मैने कहा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना यह हमारी जिम्मेदारी है।

जहां तक प्रश्न का उत्तर नहीं देने की बात है, तो उसमें मुम्बई हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रौसैस को रोक दिया जाये। लेकिन हमारी तरफ से नोटिस जारी है। इसलिए अभी भी मैगी ऑफ शेल्फ है, लेकिन मेरा फिर कहना है कि हमारे क्वश्चेन का आंसर दिया जाये, उसे चेंज किया जाये और उसमें से सही ब्रांड आये, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एफ.एस.एस.ए.आई. के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्ति है कि तदनुसार कार्रवाई की जाए।

जहां तक इन्होंने ऑक्सीटोसिन का सवाल कहा है, तो इस पर ऐसी कोई स्टडी नहीं है। इन्होंने जो प्रश्न उठाया है, उसे मैं जरूर एग्जामिन करवाऊंगा।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने पहले अपने जवाब में कहा कि हमारे देश में 72 स्टेट लैब्स और 68 प्राइवेट लैब्स हैं। अगर इन्हें देश के 660 जिलों में डिवाइड करें तो हमारे पास लगभग 23 से 24 लाख की जनसंख्या में एक फूड टैस्टिंग लैब है। हरियाणा राज्य में फूड टैस्टिंग लैब एक चंडीगढ़ में है और एक करनाल में है। एक लैब पर लगभग 10 से 11 जिलों का भार होता है। क्या केंद्र सरकार कोई नई पालिसी लेकर आ रही है जिसके तहत फूड टैस्टिंग लैब को प्रत्येक जिले में पहुंचाया जा सके?

श्री जगत प्रकाश नड्डा**:** माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार की प्रियारिटी का विषय फूड टैस्टिंग लैब्रोटरी है। हम इस मामले में लैब्स को स्ट्रैंथन करेंगे और इनकी संख्या बढ़ाएंगे। यह अंडर कंसीडरेशन है और हम इसे जरूर आगे बढ़ाएंगे।

[अनुवाद]

श्री बैजयंत जे पांडा: महोदया, मुझे यह अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

मैं माननीय मंत्री जी को उनके व्यापक उत्तर के लिए धन्यवाद देता हूँ, किन्तु दो ऐसे पहलू हैं जिन पर और स्पष्टीकरण अपेक्षित है। मीडिया में यह रिपोर्ट किया गया है कि जिन बैचों को भारत में अनुपयुक्त पाया गया,

उन्हें निर्यात करने की अनुमति दे दी गई, संभवतः न्यायालय द्वारा। इस पर वे प्रकाश डालें। क्या उन देशों में सीसा के लिए अलग मानक हैं या भारत में प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में कोई कमी रह गई थी?

दूसरा पहलू, जिस पर मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहता हूँ, यह है कि इस प्रकार की कई अन्य समस्याएँ भी सामने आई हैं। हमने सुना है कि यहीं दिल्ली में दूध में डिटर्जेंट मिलाकर मिलावट की जा रही है। यह केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। छोटे स्तर के क्षेत्र में भी अनेक आरोप हैं, जैसे मिर्च पाउडर में गैर-स्वीकृत लाल रंग की मिलावट। एक ओर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की आवश्यकता है और दूसरी ओर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने के अतिरिक्त, क्या माननीय मंत्री ऐसे कोई उपाय या प्रक्रियाएँ स्थापित करने का विचार कर रहे हैं, जिनसे नियमों का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और इस प्रकार की मिलावट तथा ऐसे उत्पाद बाजार में आने से रोके जा सकें?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत प्रासंगिक प्रश्न पूछे हैं।

जहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है कि निर्यात किए जा रहे उत्पादों के लिए अलग-अलग प्रोटोकॉल अपनाए जा रहे हैं या नहीं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि नेस्ले कंपनी के उत्पादों की जाँच उन्हीं प्रोटोकॉल के आधार पर की गई है, जो स्वयं कंपनी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जहाँ तक इंग्लैंड या सिंगापुर में अपनाए जा रहे प्रोटोकॉल का संबंध है, हमने उनसे यह जानकारी माँगी है कि वहां कौन-से प्रोटोकॉल अपनाए गए हैं, किन्तु अभी तक हमें इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने यह जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अधिकांश निर्यात गोवा से होता है और हमारे परीक्षण परिणामों में गोवा के नमूने असफल नहीं पाए गए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनमें पीपीएम स्तर निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है, जबकि कुछ उत्पाद पूरी तरह निर्धारित सीमा के भीतर हैं। केरल में भी परीक्षण सफल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ इकाइयाँ मानकों के अनुरूप उत्पादन कर रही हैं, जबकि कुछ इकाइयाँ निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं कर रही हैं।

जहाँ तक दूध में मिलावट का प्रश्न है, हम इस विषय को लेकर भी गंभीर हैं। हम इसकी जाँच कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं कि कानूनों को और अधिक कठोर बनाया जाए।

(प्रश्न संख्या 266)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: क्या आपकी यही सीट है?

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: मेरी सीट यह नहीं है, मैं खंबा पीड़ित सांसद हूं।

माननीय अध्यक्ष: हमने उनके लिए भी व्यवस्था की है।

[अनुवाद]

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: महोदया, सेल, टाटा स्टील और जेएसडबल्यू स्टील जैसी कंपनियों द्वारा लौह अयस्क और मैंगनीज़ जैसे खनिजों का लगभग 14,541 करोड़ रुपये का अवैध उत्खनन किया गया है। यह तथ्य न्यायमूर्ति एम.बी. शाह आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है। आयोग ने सिफारिश की थी कि इस राशि की वसूली इन कंपनियों से खनिज एवं खनन (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के अंतर्गत की जाए। मैं, आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और क्या उनसे उक्त राशि की वसूली की गई है?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, मुझे यह निश्चित नहीं है कि यह विशिष्ट प्रश्न मेरे मंत्रालय से संबंधित है या नहीं, विशेषकर दोषी कंपनियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के संदर्भ में। क्योंकि हमें वित्त मंत्रालय से भी यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कर चोरी तथा ऐसे प्रकरण, जिनमें अनुमानित धनराशि देश में वापस नहीं लाई गई है, सामने आए हैं।

जहां तक अवैध खनन का सवाल है, यह एम.एम.डी.आर. अधिनियम के अंतर्गत आता है और यह खान मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः यह प्रश्न सीधे तौर पर मुझसे संबंधित नहीं है।

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि वर्तमान में मौजूदा एक्सिम नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक्सिम नीति अंतिम बार कब बनाई गई थी? बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए इस नीति की समीक्षा की आवश्यकता क्यों नहीं समझी जा रही है?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, खनिज और धातु निर्यात भी विदेश व्यापार नीति का ही हिस्सा हैं। एक्सिम का अर्थ निर्यात/आयात नीति है, जो स्वाभाविक रूप से विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत आती है। वाणिज्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2015 को वर्ष 2015 से 2020 की अवधि के लिए यह नीति जारी की है। अध्याय 25, 26 और 27 खनिजों के निर्यात से संबंधित हैं और उसी का प्रावधान करते हैं। यदि माननीय सदस्य ने समीक्षा की बात कही है, तो यह भी उल्लेखनीय है कि समीक्षा के बाद ही नई नीति की घोषणा की गई है। इस नई नीति में उच्चतम न्यायालय के आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, जो भी निर्यात प्रोत्साहन आवश्यक होगा, उसे प्रदान करने के लिए हम पूर्ण रूप से तत्पर हैं। पूर्ववर्ती नीति वर्ष 2009 से 2014 तक की थी। उसके बाद एक वर्ष के अंतराल के पश्चात वर्ष 2015 की नीति घोषित की गई है, जो 2020 तक प्रभावी रहेगी। तकनीकी रूप से लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज जबकि यूरोप, चीन तथा अन्य देश जो प्रमुख आयात देश हैं, मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में निर्यात बढ़ाने की दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा कौन कौन से नये देशों से संबंध स्थापित किये जा रहे हैं जिससे निर्यात में हो रही कमियों को पूरा किया जा सके?

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, मांग में कमी की स्थिति केवल लौह अयस्क या किसी अन्य खनिज अथवा विशिष्ट धातु तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक रूप से समग्र निर्यात को प्रभावित कर रही है। वाणिज्य

मंत्रालय उद्योग समूहों और निर्यातकों के साथ मिलकर इस बात पर कार्य कर रहा है कि निर्यात में गतिशीलता बनाए रखने के लिए क्या सर्वोत्तम कदम उठाए जा सकते हैं। यह खनिजों के निर्यात से भी संबंधित है। मांग में आई गिरावट का संज्ञान लिया गया है और हम उद्योग के साथ समन्वय कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि हम निर्यात को और अधिक प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं।

श्री कोण्डा विश्वेश्वर रेड्डी: धन्यवाद महोदया। मेरा प्रश्न 'संघर्ष खनिजों' से संबंधित है। कुछ क्षेत्रों में कुछ खनिजों का उत्खनन अत्यधिक सामाजिक लागत पर किया जाता है; इससे स्थानीय संस्कृति प्रभावित होती है और आंतरिक सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। पहला, क्या सरकार ने ऐसे किसी खनिज को 'संघर्ष खनिज' के रूप में चिन्हित एवं वर्गीकृत किया है, विशेष रूप से उनके आयात और निर्यात की निगरानी के संदर्भ में? दूसरा, इस क्षेत्र में खनन के सुशासन को सुनिश्चित करने तथा इन विशिष्ट क्षेत्रों में इन खनिजों के जिम्मेदार स्रोत एवं उत्खनन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? धन्यवाद, महोदया।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, जहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा 'संघर्ष खनिजों' कहे गए खनिजों का संबंध है, इस विषय में मेरे पास कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसे खनिजों की कोई सूची तैयार करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष प्रयास किया गया है। वर्तमान समय में इस विषय की समीक्षा करने की दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया: माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि क्रूड ऑयल और इलैक्ट्रॉनिक गुड्स के इम्पोर्ट के परिणामस्वरूप भारत का भुगतान संतुलन बिगड़ा है? क्या सरकार इंवेस्टर्स को कोई राहत देने जा रही है जिससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के मामले में भारत को जो घाटा हुआ है, इसकी भरपाई हो सके और हम अपने एक्सपोर्ट को दूसरे देशों में और बढ़ा सकें? क्या इस बारे में सरकार ने कोई नीति बनाई है?

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, यद्यपि यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर है, किन्तु यह उस मूल विषय से संबंधित नहीं है जिस पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

(प्रश्न संख्या 267)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: माननीय अध्यक्ष जी, जो जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दिया है, वह अपने आप में सही नहीं है। सबसे बड़ी बात है गुजरात एवं राजस्थान से यह बीमारी शुरु हुई है और लगातार देश के कई राज्यों में यह बीमारी बढ़ती चली गई है। आप कह रहे हैं कि बीमारियों की रोकथाम के लिए हम प्रमुख चीजें करते जा रहे हैं और आपका मंत्रालय लगातार निशुल्क सेवा के साथ साथ जो चीज आपने उसमें लिखी हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज आपने यह भी लिखी है कि मौतें सहरुग्णता की दशा में, उसमें नैदानिक प्रबंधन तथा वैंटीलेटर भी दिया है और मरीजों की प्रतिरक्षण क्षमता की कमी के कारण' का भी जिक्र किया है। [अनुवाद]मौते सहरुग्णता की दशा और मरीजों की प्रतिरक्षण क्षमता में कमी का जो आपने जिक्र किया है, इसमें 92 प्रतिशत वो लोग हैं जो समाज के आर्थिक रूप से जरुरतमंद इंसान हैं, गरीब हैं, समाज के कमजोर लोग हैं, क्या आपने इस दिशा में कोई पहल की है?

दूसरे, नैदानिक प्रबंधन और वेंटीलेटर की बात आपने कही है। आपने इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया है कि ऐसे राज्यों में इसकी क्या स्थिति है? वेंटीलेटर हैं या नहीं हैं? ये बीमारी आगे न बढ़ें, इसके लिए आपके पास कोई रास्ता है कि नहीं क्योंकि लगातार यह बीमारी अन्य राज्यों में बढ़ती जाएगी और हम सिर्फ जवाब देते जाएंगे क्योंकि इस बीमारी से ज्यादातर गरीब लोग ही प्रभावित होते हैं।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहली बात यह है कि यह बीमारी कोई राजस्थान और गुजरात से शुरु नहीं हुई है। यह एक वायरस है और यह एच वन एन वन है और यह सब जगह विद्यमान है। यह वायरस सारी दुनिया और सारे देशों में विद्यमान है। जब चेंज ऑफ सीजन और मौसम में बदलाव आता है तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और उस समय इसके पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है, जैसे जब विंटर आएगा तो यह वायरस एक्टिवेट हो जाता है, उसी तरह से वैसे ही मानसून आया है तो मानसून की दृष्टि से यह वायरस एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए स्थान से इसका कुछ संबंध नहीं है क्योंकि यह वातावरण में है तो यह कहीं भी एक्टिवेट हो सकता है।

जहां तक इन्होंने गरीबी की रेखा की बात कही, मैं बताना चाहता हूं कि उस दृष्टि से हमारी जो व्यवस्था है, वह सबके लिए है और सबके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हैं। सबसे पहले हमने सभी राज्यों को पहले तो प्रोटोकोल समझाया है। उनको ट्रेनिंग दी है। उसका प्रोटोकोल मैनेजमेंट बताया है कि किसको दवा चाहिए, किसको दवा नहीं चाहिए, किसको कितनी डोज की दवा चाहिए, यह सारा प्रोटोकोल होता है। हैल्थ वर्कर्स को एडवाइजरी दी गई है कि वह अपने आप को पहले इम्युनाइज करवाएं। जनरल पेशेंट्स के लिए वैक्सीनेशन रिकमेंडेड नहीं है। उनको दवाई और कैप्सूल देना है। वह भी किसको देना है, वह भी प्रोटोकोल में मेंशन्ड है। सारी व्यवस्था की दृष्टि से आज सभी राज्यों के पास पूरी दवाएं हैं और दवाओं के साथ पर्सनल प्रोटैक्शन इरक्विपमेंट्स हैं। उसी तरीके से मास्क 95 है। ये सारी व्यवस्थाओं के साथ सभी राज्यों के पास हमने ये सारी व्यवस्था की है।

हमारे टैक्नीकल स्टॉफ ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना इन सारे राज्यों में जहां जहां इसका प्रकोप ज्यादा था, वहां वहां पर हम लोगों ने अपनी टीम को भेजकर प्रोटोकोल मैनेजमेंट को असैस भी किया है। आज भी हमारे पास यहां भी स्टॉक है और रीसेंटली जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, वे केरल में और महाराष्ट्र में खासकर मुम्बई में इसका इरप्शन हुआ है। हमने दोनों ही सैक्रेटरीज से बातचीत की है। उनके लोगों से बातचीत की है। उनके पास पर्याप्त दवाएं हैं। हमने फिर भी कहा है कि कोई दवा या कोई टैक्नीकल आसिस्टेंस चाहिए तो वह हम देने के लिए तैयार हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने निशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराए जाने का जिक्र किया है। दूसरी बात सरकार द्वारा महामारी एवं प्राकृतिक आपदा में मदद के बारे में कही है। बाढ़, तूफान, भूकम्प या साइक्लोन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते लगातार हर साल मुजफ्फरपुर में संक्रमण बीमारी से लोगों की मौत होती है और 99.2 प्रतिशत गरीब बच्चे सैकड़ों की तादाद में मरते हैं। मंत्री जी ने प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन भी राज्यों में प्राकृतिक आपदा आती है, उन राज्यों में क्या आप नए एम्स खोलने जा रहे हैं क्योंकि आपने लिखा है कि हम लगातार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क की स्थापना, स्वास्थ्य अनुसंधान का काम कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरीके से उन राज्यों में नए एम्स या स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान खोलने की व्यवस्था खास तौर पर बिहार में जहां बाढ़ की अत्यधिक स्थिति खराब है वह कोसी है, सीमांचल है, मिथिलांचल है, वहां नए एम्स या अनुसंधान संस्थान खोलने की कोई योजना सरकार की है ताकि प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को उचित मदद दी जा सके?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: जहां तक प्राकृतिक आपदा का सवाल है हमने कहा है कि एच-1, एन-1 कहीं भी हो सकता है और उसके लिए समुचित व्यवस्था केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकारों से बातचीत करके की है। एम्स का प्रश्न इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बिहार के लिए एक एम्स दिया हुआ है और एक एम्स की बात भी हुई है लेकिन उस एम्स के लिए बिहार सरकार से हमारे पास अभी तक जवाब नहीं आया है। जब बिहार सरकार से हमें उत्तर आ जाएगा तो हम बिहार में एम्स खोल देंगे। हम अपनी तरफ से बिहार में एम्स खोलने के लिए तैयार हैं।

[3*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 268 से 282
अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3002, 3004 से 3014, 3016 से 3035, 3037 से 3038, 3040 से 3058, 3060 से 3063, 3065 से 3083, 3085 से 3114, 3116 से 3139, 3141 से 3150, 3152 से 3156 और 3158 से 3220)

[3*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के सचिव और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या) संशोधन नियम, 2015, जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.458 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 2983/16/15]

(2) गैर-राजपत्रित केन्द्र सरकार कर्मचारियों को 30 /- रुपये प्रतिमाह परिवहन भत्ते के संदाय के बारे में सी.ए. संदर्भ 1988 का मामला संख्या 1 - माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट के आग्रहण से संबंधित विनिश्चय के बारे में माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 2984/16/15]

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं. 44 / 2015- जो 7 अगस्त 2015 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी जिसका आशय 31 मार्च, 2016 तक गेहूं पर 10% आधारभूत सीमा शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 2983अ/16/15)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 18 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1 - 83 एल./एस.ओ.एल./नोटि./एफ.एस.एस.ए.आई.-2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 2985/16/15]

(2) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उप-धारा (4) के अंतर्गत संशोधित बी.डी.एस. पाठ्यक्रम (सातवां संशोधन) विनियम, 2015 जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. डी. ई. - 87 (1)-2015 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 2986/16/15]

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदया, मैं इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा आयुष मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 2987/16/15]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विदेश व्यापार (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2015, जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 300 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 2988/16/15]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारत में आवास के रुझान और प्रगति-2014 के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 2989/16/15]

(2) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के 45वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या. एलटी 2990/16/15]

(3) सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या. एलटी 2991/16/15]

(4) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रुरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रुरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एलटी 2992/16/15]

(5) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन:-

(1) सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक, मेरठ

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एलटी 2993/16/15]

(2) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एलटी 2994/16/15]

(3) सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एलटी 2995/16/15]

(4) बड़ोदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एलटी 2996/16/15]

(5) झारखंड ग्रामीण बैंक, रांची

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एलटी 2997/16/15]

(6) पंजाब ग्रामीण बैंक, फिरोजपुर

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एलटी 2998/16/15]

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 892 (अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145(2) के अंतर्गत दस मामलों पर आय संगणना और प्रकटन मानकों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 758(अ) जो 14 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नियम 10च, 10ज, 10झ, 10ट,10ड, 10द का संशोधन तथा नियम 10डक और 10दक का अंत:स्थापन, और आयकर नियम, 1962 के प्ररूप संख्या 3 सी.ई.डी.ए. का अंत:स्थापन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2015, जो 13 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1002 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2015 जो 13 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1014 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2015, जो 24 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1683 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2015, जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 915 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2015, जो 10 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 995 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एलटी 2999/16/15]

(7) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुज्ञेय पूंजी लेखा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 13 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 283 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 13 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 284(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (सामग्री और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 28 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 326(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जो 11 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 484(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3000/16/15]

(8) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 434 (अ), जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 3001/16/15]

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, जो 21 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या से.बी.-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.ई./जी.एन./2015-16/002 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 3002/16/15]

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2014, जो 6 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 42(अ) प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2014, जो 6 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.43(अ) प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2015, जो 8 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1836(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2015, जो 8 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1837(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पाँच) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2015, जो 4 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या का.आ.348(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छः) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2015, जो 4 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.349(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 3003/16/15]

(11) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (चौथा संशोधन) नियम, 2015, जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.500 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (तीसरा संशोधन) नियम, 2015, जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 359(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ. 1181(अ) जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छह स्वापक ओषधियों को आवश्यक स्वापक ओषधियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 3004/16/15]

(12) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) सा.का.नि. 293(अ) जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चायनीज ताइपे और सउदी अरब से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'एसीटोन' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयातमक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.301(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक थाइलैंड और जापान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फेनोल' के आयात पर उसमें उद्ग्रहित प्रतिपाटन शुल्क को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 18 अप्रैल, 2016, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.350(अ) जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक रूस से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीलिन (पी.टी.एफ.ई.)' के आयात पर उसमें उद्ग्रहित प्रतिपाटन शुल्क को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 2 मई, 2016, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.392(अ) जो 18 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित मध्यावधि समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में संयुक्त राज्य अमरीका से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मॉरफोलिन' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को वापस लेना है तथा चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मॉरफोलिन' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 19 सितम्बर, 2016 तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि.409(अ) जो 20 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम

निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सोडियम साइट्रेट' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि.413(अ) जो 22 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में रूस से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पेंटाइरीथ्रीटॉल' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.414(अ) जो 22 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मोटर वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले और 12 इंच से 24 इंच तक व्यास के आकार वाले कास्ट एलुमीनियम एलॉय व्हील्स या एलॉय रोड व्हील्स, चाहे ये अपने सहायक उपकरणों से संलग्न हो या नहीं, के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख, अर्थात 11 अप्रैल, 2014, से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.415(अ) जो 27 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और चायनीज ताइपे से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'यूएसबी फ्लैश ड्राइवर्स जिनमें पेन ड्राइव, कीचेन ड्राइव्स, की ड्राइव्स यूएसबी स्टिक्स, फ्लैश स्टिक्स, जम्प स्टिक्स, यू.एस.बी. कीज या मेमोरी कीज के विभिन्न अन्य

नामों से बाजार में ज्ञात उत्पाद शामिल हैं, के आयात पर अधिरोपण की तारीख अर्थात 22 मई, 2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.429(अ) जो 27 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'प्यूरीफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड (पी.टी.ए.)' जिसमें इसके विभिन्न मीडियम क्वालिटी टेरेपथैलिक एसिड (एम.टी.ए.) और क्वालीफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड (क्यू.टी.ए.) भी शामिल है, के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख, अर्थात् 25 जुलाई, 2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.437 (अ) जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर्स (ऐसे कैलकुलेटर्स जिनके साथ प्रिंटर लगे हुए हैं, जिन्हें आम तौर पर प्रिंटिंग कैलकुलेटर्स कहा जाता है; चार्ट और ग्राफ बनाने की क्षमता वाले कैलकुलेटर्स, जिन्हें आम तौर पर ग्राफिंग कैलकुलेटर्स और प्रोग्राम साध्य कैलकुलेटर्स कहा जाता है, को छोड़कर) के आयात पर अधिरोपण की तारीख अर्थात 29 मई, 2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.443(अ) जो 1 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित की जा रही सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक कोरिया गणराज्य, ताईवान, चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया,

थाईलैण्ड और रूस से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पॉली विनाइल पेस्ट रेसिन' के आयात पर उसमें उद्ग्रहित प्रतिपाटन शुल्क को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 25 जुलाई, 2016 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.444(अ) जो 1 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित की जा रही सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक यूरोपीय संघ से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन' के आयात पर उसमें उद्ग्रहित प्रतिपाटन शुल्क को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 24 जून, 2016 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.445(अ) जो 1 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'एक्रीलिक फाइबर' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.462(अ) जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और मलेशिया से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'ए.एस.टी.एम. ग्रेड 304 स्टेनलेस स्टील के हॉट रॉल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स तथा इसके सभी रूपांतरण' जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है, के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्यात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.473(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'प्राकृतिक रूपों को छोड़कर विटामिन ई के सभी रूपों' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चायत्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.489(अ) जो 12 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चायत्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.377(अ) जो 8 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.नि.549(अ) जो 9 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'स्टील मीजरिंग टेप्स और फाइबर ग्लास मीजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स और संघटकों' के आयात पर अधिरोपण की तारीख अर्थात 9 जुलाई, 2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चायत्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.552(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा

जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में दक्षिण अफ्रीका से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फेनोल' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चायत्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.554(अ) जो 13 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित की जा रही सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'ग्लास फाइबर और उसकी वस्तुओं' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 13 जुलाई, 2016, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 3005/16/15]

(13) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 169 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) सा.का.नि.237(अ) जो 30 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सीशु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.338(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 122012/2012-सीशु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.339(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सीशु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.340(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011 - सीशु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि.370(अ) जो 7 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीशु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि.433(अ) जो 28 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीशु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.455(अ) जो 4 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 60/2011-सीशु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.474(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एड्स, टीबी और मलेरिया का सामना करने के लिए वैश्विक निधि द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आवश्यक औषध, नैदानिक तथा उपकरणों पर उद्ग्रहणीय आधारभूत सीमाशुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क से छूट प्रदान करना है और यह छूट 31 मार्च, 2016 तक मान्य होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.499(अ) जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीशु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ.756(अ) जो 13 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3, अगस्त 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीशु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ.794(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 28/2015-सीशु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ.802(अ) जो 19 मार्च, 2015, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ.832(अ) जो 25 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 32/2015-सीशु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ.889(अ) जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 - सीशु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का.आ.916 (अ) जो 1 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ.1016 (अ) जो 15 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीशु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ.1028 (अ) जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) का.आ.1144 (अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 38/2015-सीशु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ.1145 (अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीशु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ.1182(अ) जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 38/2015 - सीशु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ.1222 (अ) जो 7 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ.1303(अ) जो 15 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 - सीशु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का.आ.1366(अ) जो 21 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का.आ.1437 (अ) जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीशु (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) का.आ.1470 (अ) जो 4 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) का.आ.1570 (अ) जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीशु(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) का.आ.1781(अ) जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीशु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 3006/16/15]

(14) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) सा.का.नि.348(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.349(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.398(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 जून, 2015 से वित्त अधिनियम, 2015 के कतिपय उपबंधों को प्रवृत्त किया जाना है।

(चार) सा.का.नि.399(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 जून, 2015 से 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 05/2015-सेवाकर के कतिपय उपबंधों को प्रवृत्त किया जाना है।

(पाँच) सा.का.नि.400(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 06/2015-सेवाकर के कतिपय उपबंधों को 1 जून, 2015 से लागू किया जाना है।

(छः) सा.का.नि.401(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विद्युत मंत्रालय की विद्युत प्रणाली विकास निधि (पी.एस.डी.एफ.) स्कीम के अंतर्गत, कतिपय सेवाओं को छूट प्रदान की जानी है।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 3007/16/15]

(15) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) सा.का.नि.341(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.342(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.343(अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 16/2010-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.344 (अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 14/2015-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि.345 (अ) जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/2015-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सेनवेट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.346(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) चर्वण तम्बाकू और अविनिर्मित तम्बाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 जो 30 अप्रैल, 2015 के भारतके राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.347(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सेनवेट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.402(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.403(अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या 12/2014-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.416(अ) जो 22 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 6/2005-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.432(अ) जो 28 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.456(अ) जो 4 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.475(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें विहित शर्तों के अध्यधीन एड्स, टीबी और मलेरिया का सामना करने के लिए वैश्विक निधि द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आवश्यक

औषध, नैदानिक तथा उपकरणों पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह छूट 31 मार्च, 2016 तक मान्य होगी।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 3008/16/15]

(16) (एक) एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3009/16/15]

(17) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2014 जो 4 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.269(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2014 जो 7 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.274(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 24 जुलाई, 2015 अधिसूचना संख्या सा.का.नि.580(अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) में प्रकाशित हुआ था।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3010/16/15]

अपराह्न 12.03 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (गढ़वाल): अध्यक्ष जी, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के संबंधित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कायवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. 'वर्ष 2012-13 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के पंद्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
2. 'सैनिक स्कूलों के कार्यकरण की महत्वपूर्ण समीक्षा विषय पर समिति (15वीं लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
3. 'वर्ष 2013-14 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.03 ½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

नौवाँ और दसवाँ प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): महोदया, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'भारतीय दूरभाष उद्योग (आई.टी.आई.) लिमिटेड का पुनरुद्धार' विषय पर नौवां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थापन और आधुनिकीकरण' विषय पर 10वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे और पांचवे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। [4*]

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(2) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे वित्त संबंधी स्थायी समिति के पांचवे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

[4□] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें क्रमशः संख्या एलटी 3011/16/15 और 3012/16/15।

<u>अपराह्न 12.04 ½ बजे</u>

(दो) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे वित्त संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[5*]

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): महोदया, मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश 73-क के अनुसरण में वित्त पर स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन (16 लोक सभा) वर्ष 2015-16 के लिए योजना मंत्रालय के अनुदान की मांगों की जांच से संबंधित है, जिसे 24 अप्रैल, 2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था।

समिति की बारहवीं प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन, योजना मंत्रालय द्वारा 22 जून, 2015 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति, जैसा कि मेरे वक्तव्य के परिशिष्ट में दर्शाया गया है, सभा पटल पर रखा जाता है। मैं इस परिशिष्ट की समस्त सामग्री को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं करना चाहूँगा। मैं अनुरोध करता हूँ कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

---

[5] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3013/16/15

अपराह्न 12.05 बजे

सभा का कार्य

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, आपकी अनुमति से, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सोमवार, 10 अगस्त से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

(1) निम्नलिखित विधायकों पर विचार और पारित करनाः

(क) विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2015

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015

(2) भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 5) में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार को अस्वीकार करने और भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 में निष्पक्ष प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार पर विचार और पारित करने के लिए वैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय अध्यक्ष, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित लोक महत्व के विषयों को शामिल करने की कृपा करें:-

(1) मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनपद चित्रकूट एवं बांदा में डकैतों के आतंक के कारण केन्द्र एवं राज्य योजनाएं व आगामी पंचायत चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षकों का स्कूलों से अपहरण हो रहा है। अस्तु, इसके निदान हेतु सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।

(2) मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चित्रकूट एवं बांदा में सिंचाई प्रतिशत आति न्यून है एवं आधिकतर जमीन आसिंसित है। अस्तु, वहां सिंचाई व्यवस्था हेतु विशेष पैकेज के तहत धन दिये जाने एवं कम से कम सौ ट्यूबवेल सिंचाई हेतु देने के विषय में सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री के. परशुरामन (तंजावुर): माननीय अध्यक्ष, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री अगले सप्ताह की कार्य-सूची के संबंध में वक्तव्य देंगे तो मैं निम्नलिखित मामले उठाना चाहता हूं:

(1) जी. ए. नहर (कल्लनई) नवीकरण परियोजना के लिए तमिलनाडु सरकार को 2610 करोड़ रुपये की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि तंजावुर, त्रिची और पुदुकोट्टई जिलों के लिए बेहतर सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

(2) तमिलनाडु के तंजावुर तालुक, नीलगिरि थेरकुथोट्टम पंचायत में रेलवे की भूमि पर 50 वर्षों से रह रहे 250 परिवारों को *पट्टा* प्रदान करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): माननीय अध्यक्ष, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए:-

(1) पूरे देश में बच्चों को स्कूल ले जाने वाले ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, तांगों एवं मिनी बसों में सीमा से आधिक संख्या में भर-भरकर ले जाया जाता है, जिससे अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं में बच्चों के मृत होने तथा बड़ी संख्या में घायल होने के समाचार आते रहते हैं। अतः शीघ्र कार्यवाही कर बच्चों को निधाररित संख्या में ही वाहनों से ले जाना सुनिश्चित कराया जाए।

(2) स्कूल कैब एवं मिनी बसों के चालकों एवं कंडक्टरों द्वारा छात्राओं के साथ यौन शोषण की संख्याओं में वृद्धि के समाचार बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अतः छात्राओं के साथ यौन शोषण की घटनाओं को रोकने हेतु सख्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरि): माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए:

कृष्णागिरी जिले में कॉलेज स्तर पर कोई एन.सी.सी. यूनिट नहीं है। सेना सेवाओं में उच्च पद के लिए एन.सी.सी. 'सी' प्रमाणपत्र बहुत आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू एवं गढ़वा जिले के अन्तर्गत अमानत, उत्तर कोयल एवं सोन नदी के प्रवाह से हो रहे सिंचित भूमि एवं मकानों के कटाव के संबंध में।

साथ ही, राष्ट्रीय उच्च पथ-75, जिसको बनाने की शुरूआत वर्ष 2010 में की गयी थी एवं वर्ष 2012 में इसे बनकर तैयार हो जाना था, वह आज तक नहीं बना है, जिसके परिणाम स्वरूप आए दिन उस पर सड़क दुर्घटना होने के चलते अब तक दर्जनों व्यक्तियों की जानें जा चुकी हैं एवं इससे उत्पन्न जनता की कठिनाइयों की ओर लोकहित के मामले को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित कराने का निवेदन करता हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

1. गिरीडीह संयुक्त झारखण्ड-बिहार का प्राचीन ऐतिहासिक और पर्यटक आदि महत्व का शहर है, अतः उक्त शहर को स्मार्ट सिटी शहर के रूप में शामिल करने की आवश्यकता।

2. गिरीडीह एक प्राचीन शहर है, जिसके कारण इस शहर में जनसंख्या का घनत्व आधिक होने के कारण शहर में जाम की स्थिति से उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए गिरीडीह में रिंग रोड निर्माण की आवश्यकता है।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध करता हूं:

1. प्रायः यह देखने में आता है कि अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों में भगदड़ मच जाने के कारण सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यू हो जाती है, जिसमें आधिकतर संख्या महिलाओं एवं बच्चों की होती है। अतः अत्यधिक भीड़ वाले कार्यक्रमों में भीड़ की संख्या सीमित करने एवं ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति देने के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाए जाने के विषय को चर्चा में सम्मिलित किया जाए।
2. देश में प्रत्येक छोटे और बड़े शहर में यातायात का बोझ बढ़ता जा रहा है, पार्किंग की समस्या सबसे विकट समस्या होती जा रही है, अतः पूरे देश में सभी शहरों के लिए यातायात की समुचित व्यवस्था हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने से संबधित विषय चर्चा में सम्मिलित किया जाए।

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज): अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

1. एससी-एसटी व ओबीसी के आधिकारियों व कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग, पुलिस विभाग, होमगार्ड्स विभाग व सिंचाई विभाग में आधिकारियों व कर्मचारियों को रिवर्ट करके अपमानित किया गया है, इसलिए यह जरूरी है कि एससी-एसटी व ओबीसी के आधिकारियों व कर्मचारियों को वरिष्ठता क्रम में पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का विधेयक अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

2. विकास कार्य करने वाले ज्यादातर विभाग प्रदेश सरकारों के पास रहते हैं, जिससे सांसदों की कोई सहमति नहीं ली जाती है, जिसके कारण जनता से जुड़े तमाम विकास कार्यों में संसद सदस्य अलग-थलग पड़ जाते हैं, जबकि विकास कार्यों का आधिकांश धन केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेशों में भेजा जाता है। इसलिए प्रदेश के विकास कार्यों में संसद सदस्यों की सहमति करने का विधेयक अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

1. महराजगंज लोक सभा क्षेत्र के सभी गरीब-गुरबा के घरों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तार, पोल एवं टांसफार्मर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
2. बिहार राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जाए। विशेषकर सारण जिले में हो रही हत्या, लूट या अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु अपने स्तर से यहां चर्चा कराकर शीघ्र राज्य सरकार को निदेरशित किया जाए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

1. समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अवैतनिक कर्मी से नियमित करने एवं सरकारी कर्मचारी के बराबर लाने हेतु सख्त विधि नियम बनाने के संबंध में।
2. वर्ग एक से आठ तक के सरकारी, सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के लिए मिड-डे मील योजना के तहत कार्यरत रसोइया, जिनके ऊपर काफी आधिक जिम्मेदारी एवं कार्य रहता है, लेकिन सरकार द्वारा उनके कार्य की महत्ता के अनुरूप कुछ भी नहीं दिया जाता है, को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए वेतनमान निधाररित करने हेतु विधि नियम बनाने के संबंध में।

माननीय अध्यक्ष: अभी शून्य काल शुरू नहीं हुआ है, आप बैठ जाएं।

श्री राजेश रंजन: अध्यक्ष महोदया, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

<u>अपराह्न 12.14 बजे</u>

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का समय बढ़ाए जाने से संबंधित प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष: अब हम मद सं 12 को लेंगे। श्री भर्तृहरि महताब प्रस्ताव करते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 11 अगस्त, 2015 तक बढ़ाती है। "

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 11 अगस्त, 2015 तक बढ़ाती है। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.15 बजे

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015[6*]

माननीय अध्यक्ष: अब हम मद सं 13 को लेंगे। श्री राम विलास पासवान विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं -

> "माल, वस्तु प्रसंस्करण, पद्धति और सेवाओं के मानकीकरण, अनुरूपता निर्धारण और क्वालिटी आश्वासन के क्रियाकलापों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए राष्ट्रीय मानक निकाय की स्थापना के लिए और उससे संबंद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> " कि माल, वस्तु प्रसंस्करण, पद्धति और सेवाओं के मानकीकरण, अनुरूपता निर्धारण और क्वालिटी आश्वासन के क्रियाकलापों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए राष्ट्रीय मानक निकाय की स्थापना के लिए और उससे संबंद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम विलास पासवान: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

6□ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 12.16 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) बिहार में पुलिस के अत्याचार के बारें में

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, बिहार में लोकतंत्र खतरे में है। वहां के 10 करोड़ 33 लाख लोग असुरक्षित हैं। निर्भया और दामिनी की जो घटना घटी थी, तो पूरा देश उस घटना के खिलाफ एकजुट हो गया था। पर्वत्ता के एक गांव में 12 बजे से तीन बजे तक महादलितों के परिवारों को लूटा गया, इज्जत लूटी गई, नंगा करके 100-100 लाठियां 80 महिलाओं को मारी गईं। बच्चियों से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और सारे घर लूट लिए गए। वहां पर विधायकों के सरकारी घर हैं, वहां की सरकार के विधायकों के गुंडों के नेतृत्व में लगातार जनप्रतिनिधियों पर हमला हो रहा है। कल पटना में दिन में भाजपा के संगठन मंत्री श्री मनीष कुमार को सड़कों पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया और गोली मार कर उन्हें मार दिया गया। अभी दस दिन पूर्व दानापुर में दो वकीलों को मारा गया। बिद्दुपुर में दो मुखियाओं को मारा गया। मुख्य मंत्री के गांव के बगल में तीन किलोमीटर की दूरी पर हरनौत में दो नौजवान लड़कों को गोली मार दी गई। इस तरीके से लगातार बिहार की स्थिति दिनोंदिन इस एक महीने में बद से बदतर होती जा रही है।

इसके अलावा, राज्य में 70 बलात्कार हुए हैं, जिनमें से सात सामूहिक बलात्कार हुए हैं। इन बलात्कारों में सब की सब दलित, महादलित और आति पिछड़े वर्ग की बेटियां हैं। आखिर क्या कारण है कि गरीबों के बारे में और सामाजिक न्याय की बात करने वाली प्रदेश सरकार दलितों, महादलितों की बच्चियों की सुरक्षित नहीं कर सकती। इससे बलात्कारियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अपराधी प्रत्येक दिन जनप्रतिनिधियों को निशाना बना रहे हैं। मुखिया जी तक नहीं बचते। कल जिस तरीके से पटना में घटना घटी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक तरफ अपराधियों और बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है और दूसरी तरफ मुझे एस.पी. द्वारा

धमकी दी गई है। पटना के एस.पी. द्वारा धमकी दी गई कि पप्पू यादव को भुगतना होगा। मैं इस सम्बन्ध में यहां प्रिवीलेज मोशन ला रहा हूं। वहां पर लगातार निरह शिक्षकों पर लाठी और गोली चलाई गई। सांखिकी में एक विधायक को और वहां के नौजवानों को मार-मार कर बर्बाद कर दिया गया। आंगनवाड़ी और जो रसोई का काम करने वाली महिलाएं हैं, उन्हें टीएटी और एसटीटी को लाठी-गोली की सरकार दबा रही है। अपराधियों के बल पर यह सरकार चल रही है। जब से लालू यादव और नीतीश कुमार में गठबंधन हुआ है, बिहार की स्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी है। एक भी जनप्रतिनिधि, एक भी महिला सुरक्षित नहीं है, खासकर दलित और महादलित सुरक्षित नहीं हैं। मैं सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करता हूं। परबत्ता की घटना के पीड़ितों को बगैर सीबीआई की जांच के न्याय नहीं मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके ऊपर रिप्लाई चाहता हूं। कल वहां जो घटना घटी है, उसके बाद तो राष्ट्रपति शासन के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति शासन के अंदर ही वहां चुनाव होने चाहिए। राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो विधान सभा के चुनाव में पप्पू यादव जैसे जो विपक्षी जनप्रतिनिधि होंगे, उनको मरवा दिया जाएगा। मेरी सुरक्षा छीन ली गयी और आज तक मुझे सुरक्षा नहीं मिली है। केन्द्र सरकार के बावजूद भी पप्पू यादव को मरवाने की साजिश की गयी। मैं आग्रह करूंगा कि पप्पू यादव की जान जाए कोई बात नहीं है, लेकिन पटना में जिन नौजवानों की जान गयी है, ऐसे नौजवानों की जान न जाए इसके लिए केन्द्र सरकार सुनिश्चित करे कि बिहार के नौजवानों की सुरक्षा हो और परबत्ता की घटना की सीबीआई इनक्वायरी हो, अन्यथा न्याय नहीं मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्रीमती कोथापल्ली गीता और श्री पी.पी. चौधरी को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही गम्भीर बात है कि अगर पप्पू यादव जी जैसे व्यक्ति को जान की धमकी मिले तो सच में लोकतंत्र खतरे में है।

महोदया, कल सुबह गांधी मैदान जहां आज के देश के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ था और वहां छः बम विस्फोट हुए थे। उस समय सरकार ने कहा था कि हम बड़ी मुस्तैदी से

लोगों को रखेंगे क्योंकि लाखों लोग सुबह से शाम तक घूमने के लिए आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की निर्मम तरीके से और खुलेआम हत्या की गयी। सरेआम तीन लोग बंदूक लेकर आए और उनको मार दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है कि वहां की सरकार में इस प्रकार की घिनौनी हरकत हो रही है। अब से लगभग एक महीने पूर्व कमतौल में वहां के थाना प्रभारी ... को थाने के बाहर तीन गुंडों ने आकर माथे से पिस्टल सटाकर तीन गोली मारी और वह वहीं पर खत्म हो गए।

माननीय अध्यक्ष: आप किसी का नाम मत लीजिए, लेकिन परिस्थिति के बारे में बता सकते हैं। हालांकि यह सब स्टेट्स मेटर्स हैं।

श्री कीर्ति आज़ाद: महोदया, नाम बताना इसलिए जरूरी है कि उनको गैलंटरी मेडल मिला हुआ है। उसके बाद गांव-गांव में शराब बेचना तो ...[7*] की सरकार ने, मुख्यमंत्री की सरकार ने किया, मैं नाम हटा देता हूं। लेकिन पुलिस और प्रशासन का लालच देखिए कि अवैध शराब बन रहा है और सुपौल में तीन लोग उस अवैध शराब को पीकर मर गए, लेकिन आज तक न तो एफआईआर दर्ज हुई और न वह दुकान बंद की गयी है। यही नहीं, सांसद निधि कोष से कुछ कार्य करने के लिए मैंने दिया था। वहां के एसडीओ, आसिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर नापी करने के लिए गए थे। उन्होंने अवैध रूप से नापी करने के लिए मना किया तो उनको मार-मार कर अधमरा किया गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने कोई केस नहीं किया और अपने लोगों को बचाया है। आज वहां इस प्रकार की परिस्थिति बन चुकी है कि हमारे मिथिला में मखाना, जो पूजा वगैरह में प्रयोग होता है और लोग उसे खाते भी हैं, उस मखाने को कूटने के मल्लाह, जो कि मछुआरे जाति के होते हैं, वह गांव-गांव में किसानों को ले जाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ मखाना फोड़ने के लिए चलिए। उन लोगों को खेतिहर मजदूर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति एक विशेष गांव में गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उस गांव में गया तो उसको मार-मार कर अधमरा कर दिया गया और कहा गया कि यह बच्चा चुराने के लिए आया था। यह सिर कटुआ है और बच्चे का सिर काट कर ले जाने के लिए आया था।

[7*] रिकार्ड नहीं किया गया

इस प्रकार से मार कर उसको अस्पताल में रखा गया है। मैंने जितने लोगों का जिक्र किया है, ये सभी लोग अस्पताल में हैं और गरीब हैं, सरकारी अफसर हैं, थानाध्यक्ष है, जूनियर इंजीनियर है, आसिस्टेंट इंजीनियर है। उनके साथ अवैध शराब बेचने वाले लोग हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पप्पू यादव जी ने जिस बात को कहा है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है साथ ही साथ सीबीआई की इनक्वायरी होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और हम लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें। यदि पप्पू यादव जी सुरक्षित नहीं हैं तो मुझे लगता है कि हम भी सुरक्षित नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता को श्री कीर्ति आजाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. भोला सिंह, कृपया सहयोग कीजिएगा।

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय): महोदया, यदि मेरे जैसे उम्र के व्यक्ति को आप सहयोग करने के लिए कहेंगी तब बचेगा क्या?

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं है, आपको बोलने का आगे भी समय मिलेगा।

डॉ. भोला सिंह: महोदया, बिहार मात्र इस देश का एक संघीय राज्य नहीं है। बिहार सर्वधर्म सम्भाव वाला राज्य है। बिहार की दुनिया के राजनैतिक क्षितिज पर सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ता की सीमा है। बिहार दुनिया के सबसे बड़े धर्म की मां है।

माननीय अध्यक्ष: प्लीज भोला सिंह जी आप समाप्त कीजिए।

डॉ. भोला सिंह: मैडम, मैं समाप्त करने वाला हूं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था राज्य का प्रश्न है, लेकिन जब कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कारक राज्य सरकार बनती है तो केन्द्र चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। इसलिए मैं अभी राष्ट्रपति शासन की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार बिहार की कानून व्यवस्था को देखे। आज बिहार में स्कूल और कालेज बंद हैं, बच्चे

मरते जा रहे हैं, बिहार में प्रत्येक दिन खून की होली खेली जा रही है। वहां इंसान को मारते-मारते खदेड़ा जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार अगर यह कहे कि कानून व्यवस्था का प्रश्न है, यह राज्य का प्रश्न है, यह राज्य का प्रश्न नहीं है। राज्य स्वयं, सरकार स्वयं व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का कारक है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह एक शिष्ट मंडल बिहार में भेजे और वहां जाकर शिष्ट मंडल की जो ओपीनियन हो, जो उनकी जांच-पड़ताल हो, उसे सदन में रखा जाए और सदन उस पर विचार-विमर्श करे और उसकी रोशनी में तत्काल बिहार में एक नई व्यवस्था को लागू करने की अगर आवश्यकता है तो उसे लागू किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.पी.चौधरी एवं श्री सुधीर गुप्ता को डा.भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष महोदया, माननीय पप्पू यादव ने जिस विषय को उठाया है, कीर्ति आजाद जी, डा.भोला सिंह जी और जनार्दन सिंह सीग्रीवाल भी इस विषय को उठाना चाह रहे थे। पटना में निश्चित रुप से जो घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से मनीष कुमार की हत्या की गई। इसी प्रकार से बिहार से सूचनाएं आ रही हैं और तरह-तरह से सम्मानित सांसद ये सूचनाएं दे रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी एक सात वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके साथ बलात्कार किया गया। निर्भया से कहीं आगे की यह घटना है। अभी दुर्भाग्य है, यह नहीं कहना चाहिए कि दिल्ली की घटना को लोग और पत्रकार ज्यादा ही उठाते हैं और देहात और गरीब के पास पहुंचने में कठिनाई होती है। लेकिन अनफोर्चुनेटली जिस प्रकार की घटनाएं बिहार में हो रही हैं, यह चिंता का विषय है। डा. भोला सिंह जी ने जिस विषय को रखा है, यह हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि विधि व्यवस्था राज्य का विषय है, जिसकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिहार की विधि व्यवस्था के बारे में माननीय सांसद विषय उठा रहे हैं, इस विषय पर निश्चित रूप से मैं गृह मंत्री जी से बात करूंगा और एक प्रकार से समीक्षा के दृष्टिकोण से जो बातें उठाई जा रही हैं, क्या सचमुच बिहार की स्थिति

इतनी गंभीर हो चुकी है, क्या सचमुच विधि व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई है। निश्चित रूप से मैं इस विषय पर माननीय गृह मंत्री जी से बातचीत करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो इस विषय पर एक समीक्षा के दृष्टिकोण से उनके साथ बैठक करके...(व्यवधान) जहां माननीय सांसद माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठकर बिहार की स्थिति के बारे में जो केन्द्र स्तर की समीक्षा है, उसके बारे में बात करके निश्चित रुप से हम इनके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं आति लोक महत्व का विषय शून्यकाल में उठाना चाहती हूं। आज मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज-आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में पेयजल की कमी का संकट मंडरा रहा है। कहीं यह गिरते भूजल स्तर के रूप मे हैं तो कहीं सूखते सिमटते तालाब के रूप में है। लालगंज-आजमगढ़ में भूजल संरक्षण के प्रमुख स्रोत नदी, ताल, तलैया और तालाबों पर बड़े पैमाने पर आतिक्रमण के कारण उनके आस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। कहते हैं कि जल ही जीवन है, मनुष्य बिना जल के तीन दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, वहीं दूषित पेयजल के कारण लोग विशेषकर बच्चे जानलेवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। यह प्रमाणित है कि दुनिया में लगभग 80 प्रतिशत बीमारियों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दूषित पेयजल ही कारण होता है। बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यू आतिसार, पीलिया, पोलियो एवं मस्तिष्क ज्वर (इंसेफलाइटिस) के कारण होती है, जो दूषित पेयजल के कारण होती है।

मैं बड़ी विनम्रता और आत्मिक वेदना के साथ अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में शुद्ध पेयजल की समस्या से सदन को अवगत कराना चाहती हूं। आज वर्षा ऋतु के बावजूद भी जलस्तर की गिरावट में कोई सुधार नहीं है। यहां कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां जल स्तर 200 फीट तक नीचे चला गया है और

तालाब हैंडपम्प पानी नहीं दे रहा है। अल्प वृष्टि के कारण कुंए, तालाब सूखे पड़े हैं और लोगों को शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि लालगंज-आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में विशेष पेयजल योजना लागू की जाए, जिससे सामान्य जन-जीवन को बचाया जा सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री दद्दन मिश्रा को श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): माननीय अध्यक्ष, मैं सड़कों पर बच्चों की सुरक्षा की कमी के बारे में देश की गंभीर चिंता के बारे में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

बच्चे देश का भविष्य हैं। यह अत्यंत चिंताजनक और व्यथित करने वाली बात है कि एक राष्ट्र के रूप में हम अपने बच्चों को सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु से बचाने में असफल रहे हैं, जबकि ये दुर्घटनाएँ पूरी तरह रोकी जा सकती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रतिदिन 20 बच्चों की मृत्यु हो जाती है।

वर्ष 2013 में, 14 वर्ष से कम आयु के 7300 से अधिक निर्दोष बच्चों ने भारत की घातक सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई। यह संख्या बच्चों के विरुद्ध सभी प्रकार के अपराधों से हुई कुल दर्ज मौतों की तुलना में लगभग 300 प्रतिशत अधिक है। मैं किसी भी प्रकार से बच्चों के विरुद्ध अपराधों को कमतर नहीं आंकना चाहती हूँ, बल्कि मैं केवल सड़क दुर्घटनाओं की भयावहता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जो एक मौन हत्यारे के रूप में उभरकर सामने आई हैं। यह अत्यंत निराशाजनक है कि नीति-निर्माताओं द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को वह ध्यान नहीं मिल पाया है, जिसके वे वास्तव में हकदार हैं।

महोदया, पिछले एक वर्ष में एनडीए सरकार ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ हम सभी मिलकर अपने बच्चों के लिए

सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। मैं इस सदन से आग्रह करती हूँ कि इस चिंताजनक प्रवृत्ति पर रोक लगाने और हमारे देश के भविष्य की रक्षा करने के लिए तत्काल विधायी एवं नीतिगत कदम उठाए जाएं। यह आवश्यक है कि बच्चों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों तथा वयस्कों जैसी संस्थाओं को जवाबदेह बनाया जाए, जिसमें विद्यालय तक सुरक्षित आवागमन भी शामिल है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि बच्चों के लिए न्यूनतम सुरक्षा मानक निर्धारित किए जाएं, जैसे कि बच्चों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग, तथा उनके सख्त अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, बच्चों को साथ लेकर यात्रा करने के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन तथा बच्चों की मृत्यु का कारण बनने वाली लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से यह भी आग्रह करती हूँ कि बच्चों के लिए पड़ोस की सड़कों को पुनः सुरक्षित बनाया जाए और बाल क्षेत्रों (चाइल्ड ज़ोन) के पृथक्करण के माध्यम से तेज एवं लापरवाह यातायात द्वारा होने वाली उनकी दर्दनाक मौतों को रोका जाए।

माननीय अध्यक्ष, मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधियों के रूप में हमें सड़कों पर बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और इन सभी मुद्दों का समग्र रूप से समाधान करने वाला एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री निशिकान्त दुबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्रा और श्री पी. पी. चौधरी को श्रीमती किरण खेर द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): माननीय अध्यक्ष, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसका उल्लेख तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री 'पुरच्चि थलैवी अम्मा' द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में किया गया है

वर्तमान में शहरी विकास मंत्रालय शहरी परिवहन के लिए बसों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। किन्तु मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत केवल लो-फ्लोर बसों की ही खरीद पर जोर दे रहा है। ये बसें

अत्यंत महंगी हैं और राज्य परिवहन निगमों के बेड़े में पहले से चल रही सामान्य बसों के अनुरूप नहीं हैं। तमिलनाडु में यात्रियों की भी इन बसों के प्रति कोई विशेष प्राथमिकता नहीं है। अतः शहरी विकास मंत्रालय को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सामान्य बसों की खरीद की भी अनुमति देनी चाहिए, जिसके लिए राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी वहन करने को तैयार है।

चेन्नई शहर के लिए बुद्धिमान परिवहन समाधान के संदर्भ में, उपलब्ध नवीनतम वैश्विक तकनीक का उपयोग करते हुए यातायात प्रबंधन की वर्तमान प्रणाली में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है।

<u>अपराह्न 12.33 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

जापान आंतरिक सहयोग एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) ने चेन्नई शहर के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) मास्टर प्लान तैयार करने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) करने का सुझाव दिया है। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को इस वर्ष शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाए।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान दिल्ली सरकार की तरफ दिलाने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। राजधानी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना मैं अपना फर्ज़ समझता हूँ। दिल्ली राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सन् 1908-09 में अंग्रेजो के शासन काल के दौरान जमीन की बंदोबस्ती की गई, जिसके द्वारा गांवों की सीमा निधाररित की गई थी, जिसे लाल डोरे का नाम दिया गया था। लाल डोरे की परिधि में आने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया गया, जिसके अनुसार उस क्षेत्र में भूसा डालने के कोठे बनाने व पशुपालन हेतु छप्पर डालने आदि की छूट दी गई, जिसके लिए नक्शा आदि की आवश्यकता नहीं थी, जरूरत के हिसाब से एक-दो

मंजिला मकान बनाने, व्यवसाय, धंधे आदि की भी छूट दी गई। इन सभी पर कोई हाउस-टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया गया। इसके पश्चात् सन् 1952-53 में चकबंदी के द्वारा लालडोरे को ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती हुई आबादी के अनुसार बढ़ाया गया। सन् 1963 में बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार दिल्ली में लाला डोरा/एक्सटैंडिड लालडोरे के प्लॉटों के अंदर की कुछ छूट दी गई। परंतु उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह विचारणीय है कि जिस तरह से दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसके अनुसार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विस्तार हेतु पर्याप्त जमीन चाहिए। परिवार दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं और जमीन कम होती जा रही है।

इस समस्या के निदान हेतु भारत सरकार द्वारा तेजेन्द्र खन्ना समिति का गठन किया गया था, जिसने दिनांक 13 मई 2006 को अपनी रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती हुई आबादी को लेकर और लाल डोरे की व्यवस्था के कारण जमीन की अनुपलब्धता को स्वीकार किया था तथा जन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाल डोरे/एक्सटेंडेड लाल डोरे में भविष्य के निर्माण के लिए उचित नियमन हेतु वहां किए गए विभिन्न निर्माणों को ध्यान में रखते हुए कई सुझाव दिए थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में तत्कालीन सरकार द्वारा भी कुछ कदम उठाए जाने की खबरें थीं, जिसके अनुसार लाल डोरा बढ़ाने हेतु पहला रास्ता चकबंदी करना अथवा भूमि सुधार आधिनियम की धारा 23(3) के द्वारा माननीय उपराज्यपाल की अनुमति लेना था, परन्तु अत्यंत खेद का विषय यह है कि इस संबंध में ना ही तेजेन्द्र खन्ना रिपोर्ट के सुझावों पर कोई कार्यवाही हुई और ना ही पूर्ववर्ती सरकारों ने भूमि सुधार आधिनियम के अनुसार कोई उचित कदम उठाया है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दिल्ली प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता की आबादी बढ़ने से अब अगर वे अपने खेतों में अपना घर बनाते हैं, एक्सटेंडेड ईयर में बनाते हैं, वहां एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार उन लोगों से मकान गिराने के नाम पर पैसा वसूल करते हैं।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह दिल्ली सरकार का विषय है। हरिश्चन्द्र के नाम से, दिल्ली में विकास के नाम से एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने केवल लोगों को... [8*]किया। उनको 6 महीने हो गए हैं,

[8□] अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी प्रस्ताव केन्द्र के पास नहीं भेजा है। केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर है, इसलिए वह उनको आदेश दे और अगर दिल्ली सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करे, तो केन्द्र सरकार सीधे आधिकारियों को आदेश दे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि उनके लाल डोरे के एक्सटेंडेड एरिया में उनको मकान बनाने की इजाजत दी जाए। जो लोगों को लूटा जा रहा है, मकान गिराने के नाम पर उन्हें डराकर पैसे लिए जा रहे हैं, जमीनों को ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया जाता है, उससे उन लोगों को छुटकारा मिले और दिल्ली में भ्रष्टाचार पर रोक लगे। जिस भ्रष्टाचार के नाम पर वह सरकार बनकर आई थी, उस सरकार को कम से कम केन्द्र सरकार यह एहसास दिलाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात मराठी में यहाँ रखना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के पंडरपुर क्षेत्र का मुद्दा है और मराठी जानने वाले बहुत सारे भक्तगण और वर्कर वहां रहते हैं।

[अनुवाद]

[9]माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में स्थित पवित्र तीर्थस्थल पंढरपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें से अधिकांश दक्षिण भारत के राज्यों से होते हैं। आषाढ़ और कार्तिकी मास में, विशेषकर एकादशी के अवसर पर, यहाँ विशाल तीर्थयात्रा आयोजित होती है। इस समय लगभग 10 से 20 लाख श्रद्धालु श्री पांडुरंग के दर्शन हेतु यहाँ पहुंचते हैं। आषाढ़ माह में महाराष्ट्र और कर्नाटक से 200 से अधिक पालकियाँ पैदल चलकर आती हैं। देहू से जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी तथा आलंदी से श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी 20 से 22 दिनों तक लगभग 200 से 225 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहाँ पहुंचती हैं। इस विशाल यात्रा में लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालु भाग लेते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में यह एकमात्र ऐसा आयोजन है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग पैदल यात्रा में सम्मिलित होते हैं। पंढरपुर एक छोटा नगर है और इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराना इसके लिए अत्यंत कठिन है। नगर परिषद के पास सीमित संसाधन हैं। राज्य सरकार भी सहायता प्रदान करती है, किन्तु

[9]□ मूल रूप से मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

वह पर्याप्त नहीं है। चंद्रभागा नदी का महत्व गंगा नदी के समान है। किन्तु पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में वारकरी तथा लाखों महिला श्रद्धालुओं को नदी के किनारे खुले में शौच करने के लिए विवश होना पड़ता है और यह स्थिति कई वर्षों से बनी हुई है। तीर्थयात्रा के उपरांत पूरे महीने तक यह नगर दुर्गंध और गंदगी से भर जाता है, जिससे लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पंढरपुर में आवश्यक सभी सुविधाओं के विकास हेतु विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, जैसा कि देश के अन्य पवित्र तीर्थस्थलों और धार्मिक स्थलों के लिए किया जाता है। धन्यवाद। श्री राम कृष्ण हरि।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत, श्री विनायक राउत, श्री राहुल शेवाले, श्री सृजन विचारे, श्री संजय जाधव, डा. श्रीकांत शिंदे, प्रो. रविन्दर विश्वनाथ गायकवाड़ को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में कुछ विशेष प्रकार के, जैसे मूक-बधिर बच्चे होते हैं जो सामान्य रूप से अपना जीवन जी नहीं पाते। ऐसे बच्चे सामान्य रूप से अपना जीवन जी सकें, इसके लिए आवश्यक है कि ऐसी सुविधाएँ उनको उपलब्ध कराई जाएँ जिससे अक्षमताओं पर विजय प्राप्त कर सामान्य जीवन जीने में उन्हें मदद मिल सके। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसे बच्चे जो मूक-बधिर हैं, उनकी शिक्षा के लिए कुछ विद्यालय तो हैं, परंतु उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है, तथा जो विद्यालय हैं भी, उनमें प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन विशेष विद्यार्थियों को सामान्य परीक्षार्थियों की भांति एक समान बोर्ड से परीक्षा देनी पड़ती है और उसी पाठ्याक्रम का उपयोग उनको भी करना पड़ता है जो सामान्य विद्यार्थी करते हैं। ऐसे में उनको परीक्षा पास करने में बहुत ही कठिनाई होती है। जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड में यूपी बोर्ड द्वारा ही सामान्य और विशेष बच्चों की परीक्षा एक सामान्य पाठ्याक्रम के द्वारा ली जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ और मांग भी करता हूँ कि उक्त विशेष जो विद्यार्थी बच्चे हैं, उनके लिए विद्यालयों की विशेष व्यवस्था की जाए तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उनके लिए ज़रूरत है, उसकी

व्यवस्था हो। अतः आवश्यक है कि ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा सामान्य परीक्षार्थियों के साथ न लेकर इनके लिए विशेष बोर्ड बनाया जाए तथा इनके लिए विशेष पाठ्याक्रम की व्यवस्था भी की जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता, भैरों प्रसाद मिश्रा और श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को आज शून्य काल के दौरान श्री अजय मिश्रा (टेनी) द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): माननीय महोदय, बेल्लारी जिले के हम्पी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मिनी सर्किल की नई स्थापना के लिए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ।

महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र कोप्पल के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अनेक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्मारकों के होने के बावजूद यह क्षेत्र विकास तथा पर्यटन गतिविधियों से अभी भी वंचित है। कोप्पल अनुच्छेद 371जे के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद, कोप्पल पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं यहाँ कुछ प्रमुख स्थलों का उल्लेख करना चाहूँगा कि एक, कोप्पल जिले के गविमठा तथा पालकी गुंडु की पहाड़ी पर सम्राट अशोक के शिलालेख; दो, रायचूर जिले के कास्की में सम्राट अशोक के शिलालेख तथा प्राचीन टीला; तीन, कोप्पल जिले के येलबुर्गा तहसील के इटगी में स्थित महादेव मंदिर (मंदिरों का सम्राट); चार, कोप्पल जिले के गंगावती तहसील के अनेगुंडी में स्थित स्मारक; पाँच, कोप्पल जिले के गंगावती तहसील के कनकगिरि में स्थित कनकाचल मंदिर तथा अन्य स्मारक। ये सभी महत्वपूर्ण स्थल मेरे क्षेत्र में स्थित हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इनमें से कुछ स्मारक धारवाड़ स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्किल के अंतर्गत आते हैं। किन्तु इन सभी स्मारकों के बेहतर संरक्षण एवं रखरखाव के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन्हें हम्पी में नवस्थापित एएसआई के मिनी सर्किल के अंतर्गत शामिल किया जाए। मैं आपका ध्यान इस ओर

भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह क्षेत्र हैदराबाद-कर्नाटक के अनुच्छेद 371जे के अंतर्गत आता है, जिसे हाल ही में संविधान संशोधन के माध्यम से विशेष दर्जा प्रदान किया गया है।

यदि इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, तो यह न केवल मेरे लिए, बल्कि कोप्पल संसदीय क्षेत्र के लिए भी अत्यंत प्रसन्नता की बात होगी। इससे यह क्षेत्र मेक इन इंडिया पहल का भी एक हिस्सा बन सकेगा तथा इन ऐतिहासिक धरोहरों, जो हमारी वास्तविक संपत्ति हैं, की ओर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री लल्लू सिंह (फ़ैज़ाबाद): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र फैज़ाबाद में स्थित विमानतल को कार्गो विमानतल के रूप में विकसित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। फैज़ाबाद एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है जहाँ पर अयोध्या, मखौड़ा, स्वामीनारायण छपिया जैसे महत्वपूर्ण स्थान हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और पर्यटन की दृष्टि से श्रद्धालु के रूप में यहाँ दर्शन करते हैं और घूमते हैं।

फैज़ाबाद का जो विमानतल है, यह ब्रिटिश काल में निर्मित हुआ था और आज केवल आति-विशिष्ट लोगों के उतरने के लिए ही उसका उपयोग होता है। यदि इस विमानतल को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाए तो फैज़ाबाद के आसपास के आठ-दस जिले, गोंडा, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर की उपजाऊ भूमि पर कृषि जिन्सों के विकास, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस सम्बन्ध में हमने माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी को पत्र लिखा था और उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि इसको कारगो हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके साथ-साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी फैजाबाद में, चूंकि वहां पर सेना की बड़ी छावनी है, आज देश को सबसे बड़ा खतरा जिस देश से है, वह चाइना है। अगर कभी किसी प्रकार का खतरा इस देश को हो सकता है तो अगर यह हवाई पट्टी बन जायेगी तो उस दृष्टि से भी इसका उपयोग हो सकेगा।

मान्यवर, इस एयर स्ट्रिप के निर्माण होने से जहां रोजगार मिलेगा, जहां देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, इस सब को देखते हुए भी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसके प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन ने अभी भूमि आधिग्रहण पर कुछ दिनों पहले रोक लगा दी है, जिसके कारण इस विस्तारीकरण योजना पर खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार से इसके लिए आग्रह करते हैं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री लल्लू सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

<u>अपराह्न 12.45 बजे</u>

<u>सदस्यों द्वारा निवेदन ...जारी</u>

(दो) देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए मानकों के बारें में

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अखबार में जो छपा है, स्किल डैवलपमेंट मंत्रालय की न्यूज़ छपी है, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि यू.पी. ए. सरकार ने जो इस देश का कबाड़ा किया, वह अभी तक कंटीन्युअस प्रोसैस चल रहा है। हमारी सरकार आने के बाद भी हमने उन चीजों से सीख नहीं ली है और यू.पी. ए. का जो मतलब था कि आप मुझे चेहरा दिखाइये और मैं आपको कानून बताऊंगा। इस देश में जैसे बी.पी.एल. के लिए लकड़वाला कमेटी थी, लकड़वाला कमेटी के बाद तेंदुलकर कमेटी बन गई, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बन गई, आपको पता है, रंगराजन कमेटी बन गई, हाशिम कमेटी बन गई और यह तय नहीं हो पाया, क्योंकि, प्लानिंग कमीशन कोई अलग बी.पी.एल. का क्राइटीरिया तय करता था, रूरल डैवलपमेंट मंत्रालय कोई अलग क्राइटीरिया तय करता था और केन्द्र सरकार में प्रधानमंत्री

कोई अलग क्राइटीरिया तय करते थे, इस कारण से गरीब कौन है, गरीबी रेखा के नीचे कौन है, यह तय नहीं हो पाया।

उसी तरह से प्लानिंग कमीशन का नक्सलवादी जिलों के बारे में अलग क्राइटीरिया था, वे एल.डब्लू.ई. डिस्ट्रिक्ट्स थे, आई.आई.पी. डिस्ट्रिक्ट्स थे, रूरल डैवलपमेंट मंत्रालय अलग सोचता था और जो इस देश का गृह मंत्रालय है, वह अलग सोचता था। इस कारण से जो क्राइटीरिया बना, प्लानिंग कमीशन ने कहा कि 34 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जो रूरल डैवलपमेंट मंत्रालय है, उसने तय किया कि 71 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं और जो इस देश का गृह मंत्रालय है, उसने हमेशा कहा, एस.आर.ई. डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पर कि 106 से लेकर 111 जिले नक्सलवाद से प्रभावित जिले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब एफ.एम. ऑक्शन होने लगा और आई.एण्ड बी. मिनिस्ट्री और होम मंत्रालय में जब लड़ाई शुरू हो गई तो फाइनली कैबिनेट ने यह तय किया कि जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय है, वही तय करेगा कि नक्सलवादी कौन है और आतंकवादी कौन है और वहां किस तरह का विकास होगा।

मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा विषय नहीं है, विषय यह है कि जो भी नक्सलवाद के जिले होंगे, उनमें स्वास्थ्य क्या होगा, शिक्षा क्या होगी, उनका एजुकेशन का लेविल क्या होगा, उनमें रोजगार की समस्या कैसे होगी, उद्योग-धन्धा कैसे लगेगा, यह इम्पोर्टेंट है। उसमें रोड कैसे बनेगी, रूरल रोड कैसे बनेंगी, इसीलिए मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है कि होम मंत्रालय एस.आर.ई. डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पर जो नक्सलवादी जिले घोषित किये हुए हैं, उसी को आप एक क्राइटीरिया मानिये और जिलों का विकास करिये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सुनील कुमार सिंह, भैरों प्रसाद मिश्रा, श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): निशिकान्त जी ने जो एस.आर. ई. जिले घोषित हुए हैं, जिनमें स्किल डैवलपमेंट के बारे में जिस समाचार का ये रैफरेंस कर रहे हैं, उसका मैं संज्ञान लूंगा। यह मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि लैफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट्स इफैक्टिड डिस्ट्रिक्ट्स में गृह मंत्रालय नोडल है, क्योंकि, कई मंत्रालय इस काम को कर रहे हैं, कई अच्छे काम हुए हैं, लेकिन कई काम अभी होने हैं। लेकिन जिस प्रकार से निशिकान्त जी ने इस पूरे विषय को रखा है और पूरे अध्ययन के साथ रखा है, मैं अपने मंत्रालय से सम्बन्धित और गृह मंत्रालय के माध्यम से एल.डब्लू.ई. डिस्ट्रिक्ट्स में किस प्रकार के स्किल डैवलपमेंट का काम हो सकेगा, एक समन्वय स्थापित करके गृह मंत्रालय के साथ इस काम को करूंगा और निश्चित रूप से माननीय संसद को भी इस पूरे विषय की जानकारी दूंगा।

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि मैं इस सदन के समक्ष एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को रख सकूँ, जिसका सामना देश में नौ लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ता हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ हैं। देश में टीकाकरण हो, प्रसव हो या अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ- ये कार्यकर्ता ही अधिकांश मामलों में एकमात्र संपर्क बिंदु होती हैं।

लेकिन समस्या यह है कि आशा कार्यकर्ताओं को जो पारिश्रमिक या मुआवजा मिलता है, वह अत्यंत कम है और कई बार तो वह देश में निर्धारित न्यूनतम वेतन के मानकों को भी पूरा नहीं करता। इसके परिणामस्वरूप न केवल वे स्वयं प्रभावित होती हैं, बल्कि जिस उद्देश्य से उनकी नियुक्ति की गई है, वह भी कमजोर पड़ जाता है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि देशभर में नौ लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं का संज्ञान लिया जाए और उन्हें मिलने वाले प्रोत्साहन-आधारित भुगतान के अतिरिक्त एक निश्चित वेतन या मानदेय प्रदान किया जाए। साथ ही, उनके लिए भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा तथा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी लागू किया जाए।

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जनमहत्व के एक विषय को उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जगतसिंहपुर में स्थित पारादीप बंदरगाह का क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ के औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषक अत्यंत हानिकारक हैं, जिसके कारण स्थानीय निवासी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। पूर्व में कई अवसरों पर उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को औद्योगिक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है और त्वरित जीवनरक्षक चिकित्सा सुविधा के अभाव में कई लोगों की मृत्यु भी हुई है।

यद्यपि पारादीप बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह है और इसके आसपास अनेक विश्वस्तरीय उद्योग स्थापित हो चुके हैं, जहाँ देश के विभिन्न भागों से श्रमिक कार्यरत हैं, फिर भी इस क्षेत्र के अस्पताल आधुनिक तकनीक और आवश्यक आधारभूत संरचना से सुसज्जित नहीं हैं। इस संदर्भ में, मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की थी, जब वे इंडियन ऑयल रिफाइनरी के ऑयल जेट्टी के उद्घाटन के अवसर पर पारादीप आए थे। मैंने उनसे इस बंदरगाह क्षेत्र में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने का अनुरोध किया, क्योंकि यह क्षेत्र उनके मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने इस संबंध में प्रक्रिया प्रारंभ करने और उसे शीघ्र आगे बढ़ाने का आश्वासन भी दिया।

एक बार पुनः माननीय पोत परिवहन मंत्री तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि ओडिशा के पारादीप में शीघ्रातिशीघ्र एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना हेतु त्वरित कदम उठाए जाएँ।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री रवींद्र कुमार जेना को डॉ. कुलमणि समल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गयी है। आए दिन शिक्षकों को, खासकर अनुबंध पर प्रतिनियुक्त शिक्षकों को, धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होना पड़ता है। सरकार उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं का निदान करे। पर, उसके ज़गह पर वह उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम करती है, उन्हें जेलों में डालने का काम करती है। शिक्षा की दृष्टि से बिहार आज बड़े अराजक दौर से गुज़र रहा है।

महोदय, सारण जिला में जय प्रकाश विश्वविद्यालय स्थापित है। उस विश्वविद्यालय में पदस्थापित कुलपति एवं रजिस्ट्रार एक बड़े घोटाले में निगरानी विभाग की जांच में फंसे हुए हैं। महीनों तक फरार एवं चार्जशीटेड रहने के बाद निगरानी विभाग द्वारा संबंधित स्थानों पर अग्रतर कार्रवाई हेतु कागज़ात भेजे गए हैं।

कुलपति एवं रजिस्ट्रार के ऐसे घोटाले में फंसे रहने के कारण विश्वविद्यालय में पठन-पाठन एवं परीक्षाफल प्रभावित है। वहां अराजक स्थिति बनी हुई है। छात्रों का परीक्षाफल प्रकाशित नहीं होने के कारण छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा विश्वविद्यालय में प्रतिदिन धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां लगभग चालीस हजार से ज्यादा छात्रों का परीक्षाफल लंबित है। मनमाने तरीके से विश्वविद्यालय के संचालन के कारण महाविद्यालयों को जो अनुदान मिलता है, उसका भी सही तरीके से वितरण नहीं हो पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जय प्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति एवं रजिस्ट्रार पर शीघ्र अग्रतर कार्रवाई करे। वहां अराजक स्थिति बनी हुई है। छात्रों का परीक्षाफल नहीं निकल रहा है। छात्र प्रतिदिन धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां के महाविद्यालय, चाहे जगदम महाविद्यालय हो या राजेन्द्र महाविद्यालय हो, बन्द पड़े हुए हैं। महाविद्यालयों में प्रतिदिन छात्रों के द्वारा आगजनी की जा रही है, उनके ऊपर कुशल कार्रवाई करें और एक सख्त निर्देश दे। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम कार्यसूची की दूसरी अनुपूरक सूची लेंगे। इसके बाद 'शून्यकाल' को जारी रखा जाएगा।

अपराह्न 12.54 बजे

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित .... जारी

(दो) विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2015[10*]

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री (श्री अशोक गजपति राजू): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विमानवहन अधिनियम 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि विमानवहन अधिनियम 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अशोक गजपति राजू: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

[10□] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II,खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री सुमेधानंद सरस्वती (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रेलवे के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अजमेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला वाया रिंगस एक ट्रेन हॉलीडे स्पेशल के रूप में सप्ताह में पांच दिन चलती थी, जिसका नंबर 9627 व 9628 है। पिछले कुछ समय से यह ट्रेन सप्ताह में केवल दो दिन चली। 30 जुलाई यह ट्रेन बन्द कर दी गई।

मान्यवर, इस गाड़ी से अजमेर, नागौर, सीकर, अलवर और जयपुर ये पाँच जिले सम्बन्ध रखते हैं। पुष्कर, अजमेर और खाटूश्याम तीन ऐसे तीर्थ स्थान हैं, जहाँ लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। अजमेर से दिल्ली को जोड़ने वाला यह सबसे छोटा रास्ता है। इस ट्रेन को चलाने से काफी लोगों को लाभ होगा।

अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस ट्रेन को नियमित किया जाए, क्योंकि प्रातःकाल केवल एक ही ट्रेन है जो दिल्ली आती है। धन्यवाद।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें लगातार अखबारों के माध्यम से, वाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पर समाज के अन्दर सांसद की प्रतिष्ठा और गरिमा हमेशा गिरती है। विषय बहुत छोटा है, लेकिन उसमें परिणाम समाज के ऊपर देशव्यापी आता है। [अनुवाद]संसद में चलने वाली हमारी जो कैन्टीन है, उस पर सब्सिडाइज रेट पर हमको, मीडियाकर्मियों और कर्मचारियों को भोजन मिलता है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आपका विषय सब्सिडी से संबंधित नहीं है। आप एमपीएलएडीएस के बारे में बताइए।

श्री उदय प्रताप सिंह: मेरा अनुरोध है कि उसको समाप्त किया जाए।

दूसरा सांसद यहां पर चुनकर आते हैं, किसी तरह की सब्सिडी लेने के लिए नहीं, आपितु क्षेत्र के विकास के लिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था में अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए, संवैधानिक व्यवस्था में भागीदारी के आते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: आप केवल सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में ही बताइए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित में नहीं जाएगा।

... (*व्यवधान*)... [11*]

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आपको केवल सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर बोलना होगा।

[11□] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.57 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन...जारी

(तीन) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए और अधिक निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): इसलिए आवश्यक है कि सांसद को जो सांसद निधि उपलब्ध कराई जाती है, देश के विकास में सांसद की भूमिका पूरी ताकत से उभरकर आए, इसके लिए जो उसको जिम्मेदारी दी गई है, उसकी पूर्ति के लिए हमें शक्तिशाली बनाया जाए। अभी सांसद को पांच करोड़ सांसद निधि मिलती है। एक संसदीय क्षेत्र में लगभग 1,100 ग्राम पंचायतें होती हैं। 1100 ग्राम पंचायतों में 40-40 हजार के हिसाब से भी बांटा जाएगा तो सांसद निधि पर्याप्त नहीं होती है। विकास के काम हम नहीं करा पाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस निधि का बढ़ाकर कम से कम 15 करोड़ रूपए भारत की सरकार करे, जिससे विकास में हम अपनी भूमिका निभा सकें। ...(व्यवधान) सदन 25 करोड़ कह रहा है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसे 25 करोड़ किया जाए।

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष जी, आपने भी पिछले दिनों चेयर पर बैठकर माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया था...(व्यवधान) मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी इस विषय को आगे बढ़ायेंगे।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक और अनुरोध है कि राज्यों में जब विधायक दौरा करते हैं तो उन्हें एक जनसंपर्क निधि की आवश्यकता होती है। कोई बीमार है, कोई अच्छा विद्यार्थी है, कोई जरूरतमंद है, जिन्हें विधायक जनसंपर्क निधि से राशि दे सकते हैं लेकिन माननीय सांसद को इस तरह की निधि का प्रावधान नहीं है। एक माननीय सांसद को एक वित्त वर्ष में अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह के जरूरतमंद लोगों, गरीबों, बेसहारा,

अच्छे विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और बीमार व्यक्तियों की मदद के लिए प्रत्येक वर्ष जनसंपर्क निधि में कम से कम 50 लाख रुपये का प्रावधान भी भारत सरकार करे, जिससे सांसद अपने दौरे के दौरान उस राशि से वहां के लोगों की मदद करें।

मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सांसद का कर्तव्य देश का विकास, गरीबों की सेवा और देश की प्रगति के लिए काम करना है, किसी भी तरह की सब्सिडी या लाभ लेने का माननीय सांसद का कोई ध्येय नहीं रहता है, इसलिए हमें हर वह सुविधा उपलब्ध करायी जाये जिससे सदन का मान बढ़े, संसद की गरिमा बढ़े और इस देश में माननीय सांसदों की भूमिका भी पूरी ताकत से स्थापित हो।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। परसों कुछ माननीय सदस्यों ने भी यह मुद्दा उठाया था। वित्त मंत्री ने कहा है कि वे इस विषय पर विचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ वित्तीय सीमाएँ हैं। पूरा सदन यह महसूस कर रहा है कि इस विषय को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाया जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री यहाँ उपस्थित हैं और वे इस विषय को अवश्य अवगत कराएँगे।

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपना नियमन दिया है, क्योंकि यह सौभाग्य है कि आप कुर्सी पर बैठे हैं और आप उस समिति के अध्यक्ष हैं जो एम. पी. लैड पर विचार कर रही है, कई माननीय सदस्यगण उस समिति के सदस्य हैं। यह बात सही है कि समय-समय पर इस विषय को उठाया जाता है कि एम.पी. लैड्स की राशि बढ़ायी जाये। नियमित तौर से लोग तुलना करते हैं कि राज्य में विभिन्न सरकारों द्वारा विधायकों को कितनी राशि दी जाती है और जो लोग इसमें अच्छा काम करते हैं, उनकी इच्छा होती है कि और भी अच्छे काम हों, क्योंकि माननीय सांसदों के माध्यम से विकास का कोई काम सीधे तौर से उसके क्षेत्र में हो और

एम.पी. लैड उसका एक ही माध्यम है। स्वाभाविक तौर से सभी लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर कुछ भी कमी है तो माननीय सांसद उसे पूरा करा दें। वैसी स्थिति में उनके ऊपर निरंतर दबाव बना रहता है। मैं भी एक सांसद हूं और आप भी एक माननीय सांसद हैं, आप भी यह जानते हैं कि किस प्रकार से निरंतर यह दबाव बना रहता है। आपने अपनी अनुशंसा की है, सरकार ने भी उसका संज्ञान लिया है। इस वक्त इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इस योजना के साथ-साथ, हम लोगों ने सांसदों को भी कौशल विकास योजना से भी जोड़ने का प्रयास किया है ताकि सीधे तौर पर उनकी अनुशंसा और उनकी देख-रेख में एन.एस.डी.सी. के माध्यम से राशि लोगों तक पहुंच सके। हम प्रयास कर रहे हैं कि माननीय सांसदों की भूमिका अहम हो, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में माननीय सांसदों से लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं और स्वाभाविक रूप से उम्मीदों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। निश्चित रूप से सरकार पैसे अपने कोष से ही दे पायेगी। इसलिए मुझे विश्वास है कि आपकी अनुशंसा पर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, आपने पहले ही मुझे पत्र लिखा है। आपका मंत्रालय सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से कुछ धनराशि की मांग कर रहा है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के धन का उपयोग कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है। केवल आपका ही नहीं, रेलवे मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय भी इसके लिए अनुरोध कर रहे हैं। जब तक सरकार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि में वृद्धि करने के लिए आगे नहीं आएगी, तब तक सांसद इस प्रकार धन कैसे उपलब्ध करा सकते हैं? यह पूरे सदन की सर्वसम्मत भावना है। आप इस विषय को माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के समक्ष रख सकते हैं और इस संबंध में कुछ सकारात्मक कदम उठाने का प्रयास कर सकते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, मैं आपके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को सरकार तक पहुंचाऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री सी.आर. चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी और श्री सुनील कुमार सिंह को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

[12]**श्री के. परशुरामन (तंजावुर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम। तंजावुर संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 20 लाख है, जिनमें से लगभग 10 लाख महिलाएं हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि मेरे तंजावुर संसदीय क्षेत्र में भारतीय महिला बैंक की एक शाखा खोली जाए। भारतीय महिला बैंक की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने तथा महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से देश के औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। तमिलनाडु में वर्तमान में केवल चार शाखाएं ही संचालित हैं। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. 'पुरच्चि थलैवी अम्मा' के कुशल नेतृत्व में महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक आत्म-विकास योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। तमिलनाडु देश का एक प्रगतिशील राज्य है और यहाँ महिला स्वयं सहायता समूह भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यदि तमिलनाडु में बड़ी संख्या में महिला बैंक की शाखाएं खोली जाती हैं, तो यहाँ की महिलाओं को आत्म-विकास के लिए ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी। ये शाखाएं महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में सहायता मिल सके और महिला बैंक की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण हो सके। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि मेरे तंजावुर संसदीय क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र भारतीय महिला बैंक की एक शाखा खोली जाए। धन्यवाद।

[12] मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[हिन्दी]

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। परन्तु दुर्भाग्यवश आज राशि के अभाव में यह योजना करीब-करीब ठप्प पड़ी हुई है। जहां तक मेरे संसदीय क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे संसदीय क्षेत्र में यह कार्य तीन कम्पनियों - एच.एस.सी.एल, एन.बी.सी.सी. और एस्कॉन - को दिया गया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन कम्पनियों द्वारा किया जाने वाला कार्य अत्यंत घटिया स्तर का है तथा जो सड़कें इन कम्पनियों द्वारा बनाई जा रही हैं, उनमें जिस मैटीरियल का उपयोग किया जा रहा है, वह भी निम्न स्तर का है। इन कम्पनियों पर उपायुक्तों का कोई नियंत्रण नहीं है। वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं और उनके इम्प्लाइज़ कौन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लिए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपने यहां से एक टीम भेजकर उन सड़कों की क्वालिटी की जांच करानी चाहिए। यदि जांच के अंतर्गत खराब क्वालिटी की सड़कें पाई जाती हैं तो उन कम्पनियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही बड़े पैमाने पर जो राजस्व की हानि हो रही है, उसे बचाया जाना चाहिए।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र और मेवाड़ की एक महत्वाकांक्षी मांग पिछले कई वर्षों से उठती आ रही है। न्याय में देरी करना अपने आप में न्याय से वंचित करना है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है। मैं जिस मेवाड़ क्षेत्र से आता हूं, वहां चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, भीलवाड़ा को मिलाकर एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल बनता है। वहां की जनता की तीस वर्षों से मांग है कि वहां हाई कोर्ट खुलना चाहिए ताकि उन्हें सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके। वह एक आदिवासी क्षेत्र है। मेरा आपसे आग्रह है कि दक्षिणी राजस्थान विशेषत: मेवाड़ क्षेत्र के निवासी वर्ष 1880 से ही मेवाड़ राज्य के तत्कालिक महाराजा सज्जन सिंह जी द्वारा जारी किए गए संविधान में उच्च न्यायालय का आधिकार प्राप्त था। दिनांक 1 मई, 1948 को संयुक्त राजस्थान आस्तित्व में आया तब संयुक्त राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थापना यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट आर्डिनैंस, 1948 की धारा 13 द्वारा मुख्य पीठ उदयपुर में रखी गई। 1949 को वृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ तब राजस्थान

हाई कोर्ट आर्डिनैंस, 1949 को प्रख्यापित होकर आर्डिनैंस नम्बर 3 सन् 1948, 1949 द्वारा उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर स्थापित की गई और खंडपीठ जयपुर के साथ उदयपुर में रखी गई। उसके उपरांत उदयपुर की खंडपीठ 1950 से एवं जयपुर की खंडपीठ 1958 से समाप्त कर दी गई। तत्पश्चात जयपुर की खंडपीठ पुनः प्रारंभ हो गई, इस क्षेत्र की जनता कोई नवीन खंडपीठ की मांग नहीं कर रही है बल्कि 1950 में जो खंडपीठ समाप्त की गई थी उसकी पुनः मैं स्थापना की मांग करता हूं। जयपुर संभाग के नागरिकों को न्याय मिल गया और दक्षिणी राजस्थान आदिवासी क्षेत्र है इस क्षेत्र की जनता को भी न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले, सस्ता और सुलभ न्याय मिले इसलिए उदयपुर हाई कोई की खंडपीठ स्थापित की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता को श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर, बिहार में पेपर मिल के चर्चा करना चाहता हूं। झंझारपुर पेपर मील की कई एकड़ जमीन ली गई, इस पर करोड़ों रुपये का भवन निर्माण और मशीन खरीदा गया, वह आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। यदि उस पेपर मिल को चालू किया जाता है तो यह जनहित में बहुत बड़ा काम होगा। इससे सरकार को भी बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी और इस क्षेत्र के युवाओं और मजदूरों को भी इससे रोजगार मिलेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में रोजगार का दूसरा कोई साधन नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र पंडोल में सुत मिल बनना और तीन-चार साल तक चला, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में उक्त दोनों मिलों को चालू करने की कृपा की जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शून्यकाल के दौरान बोलने वाले सदस्यों की मूल सूची समाप्त हो गई है। किन्तु सूची के अतिरिक्त 16 माननीय सदस्यों से मुझे अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जो शून्यकाल में अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। यदि आप सहयोग करें और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को केवल एक मिनट में रखें,

तो मैं आपको इसकी अनुमति दूँगा। अन्यथा ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि हमें भोजनावकाश के लिए भी सदन की कार्यवाही स्थगित करनी है और माननीय सदस्य भोजन के लिए भी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने मुद्दे एक मिनट के भीतर रखें और अपनी बात समाप्त करें। लंबा भाषण न दें।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों, खराब वर्षा तथा जलभराव के कारण असम के लोग अत्यंत दयनीय और खराब स्वास्थ्य स्थिति से गुजर रहे हैं।

कुछ बीमारियाँ जैसे जापानी इंसेफेलाइटिस, टाइप-2 डायबिटीज तथा हेपेटाइटिस C धीरे-धीरे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रही हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस पहले ही असम में 100 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। यह विशेष रूप से डिब्रूगढ़ जिले और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अत्यंत खतरनाक रूप से फैल रहा है।

महोदय, सबसे चिंताजनक बात यह है कि जापानी इंसेफेलाइटिस तथा हेपेटाइटिस सी के उपचार के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है, आप अपनी बात रख चुकी है।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री महताब।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री महताब के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (*व्यवधान*)... [13*]

[13]कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओडिशा के कुछ भागों, विशेषकर राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर, भद्रक और जाजपुर जैसे जिलों में लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। फसलों की रोपाई पूरी तरह बह गई है और किसान अत्यंत संकट में हैं। यही एक प्रमुख कारण है कि मैं आज इस विषय को यहाँ उठा रहा हूँ। इन पाँच-छह जिलों में जनजीवन, पशुधन तथा फसलों को भारी नुकसान हुआ है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।

वहीं, ओडिशा के पश्चिमी भाग में सूखा जैसी स्थिति है। जो भी बीज बोए गए थे, वे भी सूख गए हैं। झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर और विशेष रूप से बोलांगीर, जो वर्षा-छाया क्षेत्र है, वहां भी पूरी फसल नष्ट हो गई है।

महोदय, जब खेती बर्बाद हो गई है, तो अब लोगों का पलायन होना निश्चित है। साथ ही, वहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत भी कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अतः मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और राज्य सरकार को अनुमति प्रदान करे, ताकि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ हो सके। साथ ही, मैं कृषि मंत्रालय से भी अनुरोध करता हूँ कि वह राज्य के कृषि विभाग को सहयोग प्रदान करे, जिससे ओडिशा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनः बुवाई की जा सके।

श्री एम. उदयकुमार (डिंडीगुल): महोदय, तमिलनाडु सरकार के कृषि विभाग ने हमारी माननीय 'पुरच्चि थलैवी अम्मा' के कुशल नेतृत्व में कृषि उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण करने के लिए अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन और आधुनिकीकरण किया है। साथ ही, सरकार ने किसानों को कीटनाशक खरीदने के लिए बागवानी या कृषि अधिकारियों से प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करना अनिवार्य किया है।

तमिलनाडु से आने वाली सब्जियों में गुणवत्ता या अधिक कीटनाशक स्तर को लेकर कोई शिकायत नहीं रही है। यहाँ के किसान केवल अनुमेय मात्रा में ही कीटनाशकों का उपयोग करते हैं।

किन्तु केरल सरकार ने यह आरोप लगाते हुए कि सब्जियों में कीटनाशकों का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक है, तमिलनाडु से सब्जियाँ खरीदने वाले व्यापारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त, अन्य राज्यों से आने वाले सब्जी और फल व्यापारियों के लिए पंजीकरण या लाइसेंस लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

तमिलनाडु की सब्जियों पर लगाए गए इस प्रतिबंध से राज्य के किसानों को गहरा आघात पहुँचा है, क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका पर संकट का भय है। अतः मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि तमिलनाडु से केरल को सब्जियों के सुचारु व्यापार के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाए तथा केरल में अपनी उपज बेचने वाले तमिलनाडु के किसानों के हितों की रक्षा की जाए।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के जिला अस्पताल की ओर ले जाना चाहता हूं। जिले में लगभग 22 लाख की आबादी है और एक जिला अस्पताल है। वहां चार सौ बिस्तरों का एक अस्पताल स्वीकृत था, लेकिन जगह की कमी होने के कारण मरीजों को जमीन में लिटाकर इलाज कराना पड़ता है। प्रसूति वार्ड में इतनी जबरदस्त भीड़ रहती है कि जितनी सुविधाएं प्रसूता और बच्चे को देनी चाहिए, उतनी नहीं दे पा रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की एक योजना के अंतर्गत जिला अस्पतालों के उन्नयन का कार्यक्रम चलाया गया था। मैं चाहता हूं कि जिला अस्पताल के उन्नयन के कार्यक्रम में मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना को भी शामिल किया जाये और एक नया भवन दें। ...(व्यवधान) हम यह मांग करना चाहते हैं कि वहां जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कालेज बनाया जाये। ...(व्यवधान) एन.एच.आर.एम. योजना के तहत नया महिला अस्पताल स्वीकृत किया जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के आसपास एक बड़ा कैंटोनमेंट क्षेत्र है। मुझे सेना के अनेक लोगों से वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा लंबे समय से सरकार के समक्ष लंबित है। यह अत्यंत दुखद है कि हमारे देश के पूर्व सैनिक, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा की है और हमारी सीमाओं की रक्षा अत्यंत समर्पण और निष्ठा से की है, उन्हें अपनी जायज़ मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त, पूर्व सरकार द्वारा फरवरी 2014 में तथा वर्तमान सरकार द्वारा जुलाई 2014 में भी वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने का आश्वासन दिया गया था, किन्तु अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।

अब समय आ गया है कि सरकार देशभर में उत्पन्न हो रही इस स्थिति का संज्ञान ले और शीघ्र ही एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकालते हुए इस मुद्दे का निपटारा पूर्व सैनिकों के हित में करे तथा हमारे जवानों के गिरते मनोबल को सुदृढ़ करे।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरो प्रसाद मिश्र को श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड राज्य के पाकुड़ जिला में पैनम कोल माइन्स के विभिन्न कोयला खदानों में राजस्व में गड़बड़ी और ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के राजस्व के नुकसान के संदर्भ में कहना चाहता हूं। वहां कोयले में आग लगा दी गयी है, ताकि जले हुए कोयले पर कम्पनी द्वारा राजस्व का भुगतान न करना पड़े। इस कम्पनी के माध्यम से पाकुड़ जिला, अमड़ापाड़ा स्थित पछवारा में

सैन्ट्रल कोल ब्लाक का आबंटन स्टेट पावर कारपोरेशन को किया गया। पूर्व में इसे एम्टा कम्पनी के साथ पंजाब पावर कारपोरेशन को कोल ब्लाक दिया गया और आज की तारीख में उपायुक्त पाकुड़ द्वारा 9,991.91 लाख करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई है।

अतः मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आविलंब इसकी जांच की जाये और झारखंड सरकार को उसका लाभ मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.आर.सुंदरम (नामाक्कल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. 'पुरच्चि थलैवी अम्मा' ने हाल ही में डॉ. राधाकृष्णन नगर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में 1,50,722 मतों के भारी अंतर से विजय प्राप्त की है। माननीय अम्मा की यह विजय भारत के चुनावी इतिहास में एक ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व विजय है। माननीय अम्मा ने तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पाँचवीं बार पदभार ग्रहण किया है।

डॉ. राधाकृष्णन नगर विधानसभा क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व माननीय अम्मा करती हैं, में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के टर्मिनल और स्टेशन कोरुक्कुपेट तथा टोंडियारपेट में स्थित हैं। विशाल तेल टैंकों से जुड़ी पाइपलाइनों में आकस्मिक रिसाव के कारण कई स्थानों पर भूजल प्रदूषित हो रहा है और कभी-कभी इससे आग लगने की घटनाओं का भी खतरा बना रहता है। यद्यपि इन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने कोरुक्कुपेट और टोंडियारपेट के स्थान पर मनाली और तिरुवोट्टियूर में अपने टर्मिनल और स्टेशन विकसित करने के लिए भूमि का चयन कर लिया है, किन्तु स्थानांतरण का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है।

अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के टर्मिनल और स्टेशनों को मनाली और तिरुवोट्टियूर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाए।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले कई दिनों से आतंकवाद की घटनाएं देश में बढ़ती जा रही हैं। सौभाग्यवश देश के जवान बाहर से आने वाले आतंकवादियों को पकड़ते हैं और फिर इन पर मुकदमा चलता है। आतंकवादी पकड़े जाते हैं और इन पर मुकदमे चलाए जाते हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाए। जिस तरह याकूब पर 20 साल तक मुकदमा चलता रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी फैसला हो, सजा हो और अन्य आतंकवादियों के मन में डर पैदा हो।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री अजय मिश्रा टेनी को श्री विनायक भाऊराव राउत द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संवेदनशील मुद्दा सदन में उठाना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश में रेल दुर्घटना से संबंधित है। दो दिन पहले इस घटना में मेरे गांव के 11 लोग एक ही परिवार के खत्म हुए। मैं जहां से सांसद हूं वहां तीन लोगों की मृत्यु हुई। दो महीने पहले इटारसी जंक्शन में हर्दा से ठीक 80 किलोमीटर पहले कंट्रोल रूम जला और 60 दिन तक 100 से ज्यादा गाड़ियां प्रभावित हुई। हमारे रीज़न की 100 गाड़ियां थी और इससे पूरे देश के लोग प्रभावित हुए। राज्य में भी हमारी सरकार है और यहां भी है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मामला है। एक ही परिवार के 11 लोग मरे हैं। वह अपने पिता को फोन करके कह रहा है कि अब हमारा आखिरी मिनट है, अब सिर्फ अकेले पिता बचे हैं। ऐसे में पैसे के मुआवजे का कोई औचित्य नहीं है बल्कि हमें सार्थक कदम उठाना चाहिए। वे लोग जो इसके लिए गुनाहगार और जवाबदेह हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती आर. वनरोजा (तिरुवन्नामलाई): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

एल.सी.-62 गेट विलुप्पुरम जंक्शन और कटपड़ी के बीच स्थित है, जो विलुप्पुरम से लगभग 76 किलोमीटर की दूरी पर कटपड़ी की ओर है। उसम्बाडी, सथिराम, पुडी मन्नई, करुंदुवम्बाडी, ओटेरी तथा अन्य कई गांवों के लोग लंबे समय से इस एलसी-62 गेट का उपयोग कर रहे हैं। वे इस मार्ग से थुरिंजापुरम रेलवे स्टेशन, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी विद्यालय, पंचायत संघ कार्यालय, डाकघर, चावल मिल आदि स्थानों तक पहुँचते हैं।

किन्तु दुर्भाग्यवश, वर्तमान में गेट संख्या 62 बंद है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे लाइन के पश्चिमी हिस्से में रहने वाले ग्रामीणों की लगभग 265 एकड़ कृषि भूमि दूसरी ओर स्थित है। अतः उन्हें खाद, उर्वरक तथा पशुओं को उन खेतों तक ले जाने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। एलसी-62 गेट से एलसी-63 गेट तक पहुँचना भी अत्यंत कठिन है, क्योंकि दोनों ओर सर्विस रोड उपलब्ध नहीं हैं।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि एलसी-62 गेट को पुनः खोले जाने पर विचार किया जाए अथवा इसके समीप एक अंडरपास (सबवे) के निर्माण का निर्देश दिया जाए।

प्रो. रिचर्ड हे (नामांकित): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, केरल की पम्बा नदी पारिस्थितिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व के सबरीमला मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित है—एक ऐसा पवित्र स्थल जहाँ देश के सबसे बड़े तीर्थयात्रियों का समागम होता है। किन्तु इतनी महत्वपूर्ण नदी अत्यधिक प्रदूषित और दूषित हो चुकी है, जिससे मंदिर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं तथा नदी के किनारे रहने वाले आम लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतः आगामी तीर्थयात्रा सत्र, जो मध्य नवम्बर से प्रारंभ होगा, को ध्यान में रखते हुए इस नदी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। मैं इस गरिमामय सदन तथा भारत सरकार से इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पोलावरम प्रोजेक्ट का काम कुछ वर्षों से बंद था। इसलिए कि वहां पर एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा है। अभी तक छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ग्राम सभा नहीं हुई है लेकिन, अभी जुलाई महीने में पर्यावरण मंत्री ने आंध्र प्रदेश सरकार को लिखकर काम पुन: चालू करने के लिए निर्देश दिया है। यह कानून के विरुद्ध है क्योंकि अभी तक ग्राम सभा वहां नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसके पहले डैम के कंसट्रक्शन की परमिशन देना न्यायोचित नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि काम को रोककर बाकी जितने मसले हैं, उन पर फैसला किया जाए जिससे काम चालू हो सके।

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र है। यहां टाटा जैसा प्रतिष्ठित उद्योग स्थापित है। इस उद्योग के स्थापित होने के कारण यहां पूरे वातावरण में आयरन ओर, कायनाइट, यूरेनियम, कॉपर, सोना तथा उच्च गुण युक्त मैंगनीज और पन्ना जैसी धातु हैं। इसके अनुकूल वातावरण देखकर देश विदेश से निवेशक यहां आने के इच्छुक हैं और आते जाते रहते हैं। यहां पर उद्यमियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राजातीय स्तर पर निर्यात होता है जिसके कारण दूसरे प्रदेशों में आना जाना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जमशेदपुर में एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए।

[अनुवाद]

श्री बी. सेनगुट्टुवन (वेल्लोर): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। यह विषय वेल्लोर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के उन्नयन से संबंधित है, जिससे यह अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और राजस्व-सृजनकारी बन सकता है।

इस रेलवे स्टेशन के पास शहर के मध्य में लगभग 500 एकड़ की बहुमूल्य भूमि उपलब्ध है, जिसका उपयोग यात्री निवास (यात्री निवास) तथा अस्पताल के विकास के लिए किया जा सकता है। कटपड़ी से तिरुपति जाने वाली यात्री रेलगाड़ियाँ वेल्लोर कैंटोनमेंट से भी प्रारंभ की जा सकती हैं। तिरुपति-रामेश्वरम एक्सप्रेस, जो वर्तमान में सप्ताह में तीन दिन चलती है, उसे सप्ताह के सातों दिन चलाया जाना चाहिए। चेन्नई बीच–वेल्लोर ट्रेन को डाउन ट्रिप में वेल्लोर टाउन रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव दिया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को वहां उतरने की सुविधा मिल सके। दक्षिण तमिलनाडु के लिए नई रेलगाड़ियाँ वेल्लोर-कैंटोनमेंट से वेल्लोर-विलुप्पुरम मार्ग पर चलाई जा सकती हैं। कटपड़ी से विलुप्पुरम के बीच चलने वाली तीन दैनिक पैसेंजर ट्रेनों में से एक को पुडुचेरी तक विस्तारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य कई आवश्यक व्यवस्थाएँ भी की जा सकती हैं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): माननीय उपाध्यक्ष जी, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक के दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मां के द्वारा बच्चों को दूध पिलाए जाने के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक हम अपने देश की 50 प्रतिशत मां बनने वाली महिलाओं को जागरुक बनाएंगे कि वह पहले छः महीने में अपने बच्चों को दूध पिलाएं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि विश्व में केवल 38 प्रतिशत महिलाएं ही प्रथम छः महीने में अपने बच्चों को ही दूध पिलाती हैं। बच्चों को प्रथम छः महीने में दूध न पिलाए जाने के कारण आठ लाख बच्चों की मौत प्रति वर्ष हो जाती है। भारत जैसे देश में जहां आजादी के 68 साल बाद भी करोड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और आधिकतर बच्चे पांच वर्ष की आयु से पहले मौत का शिकार हो जाते हैं। हमारे देश में इस आभियान को अन्य राष्ट्रों के मुकाबले और तीव्र गति से चलाए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री रतन लाल कटारिया द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मुम्बई क्षेत्र में बहुत-सी पुरानी इमारतें हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन पुरानी इमारतों में से बहुत-सी एलआईसी की हैं। मेरे गृहगांव में आंगरेवाड़ी वल्लभभाई पटेल रोड पर 111 वर्ष पुरानी इमारत है। इस इमारत की हालत इतनी बुरी है कि लोगों का रहना यहां रहना बहुत मश्किल है और कभी भी हादसा हो सकता है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उचित कदम उठाकर इनका जीवन सुरक्षित करें और इस इमारत का पुनर्निर्माण करें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री विनायक भाऊराव राउत, श्री राहुल शेवाले और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री जगदंबिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश की ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने में आठ लाख आशा बहु कन्याकुमारी से कश्मीर तक कार्यरत हैं, उन्हें किसी भी गर्भवती महिला को जिला स्वास्थ्य केंद्र पर या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तीन बार डिलीवरी से पहले ले जाना पड़ता है और मात्र छह सौ रुपया उन्हें मानदेय के रूप में मिलता है। हमारे राज्य में वह मानदेय भी कई महीनों से नहीं मिल रहा है। आज मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और सुरक्षित प्रसव कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एनआरएचएम में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा देती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन्हें छह सौ रुपया प्रोत्साहन राशि की जगह पर देश की आठ हजार आशा बहुओं को तीन हजार रुपए मानदेय के रूप में दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री जगदंबिका पाल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि कोटा में सर्किट बेंच खोली जाए। कोटा, बूंदी, बाला झालावाड़ मिलाकर सम्भाग में हजारों केस पेंडिग है। जिसके लिए गरीब व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिए साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

महोदय, हमारी सरकार की मंशा है कि सस्ता और त्वरित न्याय मिले। आज के समय में 35 हजार के करीब पेंडिंग केस जयपुर हाई कोर्ट में पड़े हैं। मेरी मांग है कि कोटा में सर्किट बेंच खोली जाए, ताकि गरीब व्यक्ति को सस्ता और जल्दी न्याय मिल सके।

[अनुवाद]

[14*]**श्री जी. हरि (अराकोन्नम):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम। मेरे अरक्कोनम संसदीय क्षेत्र में स्थित अरक्कोनम रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण और प्राचीन रेलवे स्टेशन है। देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उत्तर भारत से आने वाले हजारों यात्री इस रेलवे स्टेशन का नियमित उपयोग करते हैं। इस रेलवे जंक्शन पर कई ट्रेनों के डिब्बे प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े रहते हैं। अतः मैं आग्रह करता हूँ कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 का विस्तार किया जाए। अपर्याप्त प्लेटफॉर्म लंबाई के कारण यात्रियों—विशेषकर छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं—को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हाल ही में अरक्कोनम जंक्शन पर एक दुर्घटना भी हुई है, जिसमें एक बहुमूल्य मानव जीवन की हानि हुई है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री और रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि अरक्कोनम रेलवे जंक्शन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 के विस्तार एवं उन्नयन से संबंधित कार्य को तत्काल प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद।

[14*] मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद।

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान में मेडिकल कालेज और जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन के विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केंद्र सरकार की नेशनल हेल्थ मिशन एवं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को आर्थिक मदद दी जाती है। इसके तहत राज्य के निवासियों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए योजना बनाकर दी जाती है। इसी के तहत राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन वहां के मेडिकल कालेजों को अपग्रेड करने के लिए राज्य सरकार ने 280 करोड़ रुपए की आवश्यकता के प्रस्ताव भेजे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द पैसा रिलीज किया जाए ताकि राज्य में स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली): महोदय, जीरो आवर में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से देश भर में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में 80 मेडिकल कालेजों में इस योजना के तहत सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक्स स्वीकृत किए जाने हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर, जयपुर एवं अजमेर मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशियलिटी अवस्थापना के 280 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को 1 मार्च, 2015 को भिजवाया जा चुका है।

अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को जल्दी से जल्दी स्वीकृत करने की कृपा करें ताकि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ आम जनता को दिलाया जा सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ए. अनवर राजा (रामनाथपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "तमिल ने देश को कई वैज्ञानिक, विद्वान, कवि, दार्शनिक और अद्वितीय नेता दिए हैं और जिनमें डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एक प्रमुख व्यक्तित्व थे,"—

ऐसा सम्मान हमारी माननीय मुख्यमंत्री 'पुरच्चि थलैवी अम्मा' ने व्यक्त किया है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था: "सपना वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपना वह है जो आपको सोने न दे।" उन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में शुरुआत की, मिसाइल वैज्ञानिक के रूप में विकसित हुए और एक महान भौतिक विज्ञानी के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। यही कारण है कि पोखरण-II के बाद विश्व की महाशक्तियों ने यह अनुमान लगाया कि भारत वर्ष 2030 तक एक महाशक्ति बन जाएगा। अतः हमारी गतिशील नेता, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री 'पुरच्चि थलैवी अम्मा' ने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को एक समर्पित दूरदर्शी के रूप में देखा, जो युवाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करते हुए भारत को एक महान शक्ति बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें देश के सर्वोच्च पद के लिए प्रस्तावित किया, तब माननीय 'पुरच्चि थलैवी अम्मा' ने उन्हें पूर्ण समर्थन दिया। तमिलनाडु सरकार ने 15 अक्टूबर, डॉ. कलाम के जन्मदिवस को 'युवा जागरण दिवस' के रूप में घोषित किया है और उनके सम्मान में 8 ग्राम स्वर्ण पदक तथा 5 लाख रुपये के पुरस्कार की स्थापना भी की है। इस अवसर पर मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रीय राजधानी में डॉ. अब्दुल कलाम की स्मृति में एक स्मारक संग्रहालय स्थापित किया जाए तथा दिल्ली स्थित उनके निवास के समीप डीआरडीओ भवन का नाम बदलकर 'अब्दुल कलाम भवन' रखा जाए। साथ ही, डॉ. कलाम की जयंती और पुण्यतिथि को भी गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाए।[हिन्दी]

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी): माननीय उपाध्यक्ष जी, पंजाब पुनर्गठन आधिनियम, 1966 के अनुसार हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी द्वारा संचालित विद्युत परियोजना में से 7.19 प्रतिशत का हिस्सा मिलना था, लेकिन बीबीएमबी 2.7 प्रतिशत हिस्सा ही देती रही है। प्रदेश सरकार ने इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष कई बार उठाया, लेकिन प्रदेश की इस मांग पर किसी भी स्तर से गौर नहीं किया गया। आखिर, हिमाचल प्रदेश ने इस मामले के संबंध में कानूनी लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसके तहत बीबीएमबी को 4550

करोड़ रुपये का बकाया देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आज तक सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके एवज़ में बीबीएमबी को केन्द्र सरकार ने 1497 करोड़ रुपये का बकाया देने का निर्देश दिया। यह बकाया राशि हिमाचल प्रदेश वैधानिक हिस्सा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि विद्युत मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हिमाचल प्रदेश को 4550 करोड़ रुपये की राशि आतिशीघ्र अदा करे। धन्यवाद।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्थान के काश्तकारों की एक बहुत बड़ी समस्या को आपके सामने रखना चाहता हूँ।

मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की है। राजस्थान में ड्रिप-इरिगेशन के द्वारा काफी सिंचाई की जाती है। इसी प्रकार से, जो वाटर पौंड है, जिसे डिग्गी कहते हैं, यह श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ की तरफ काफी संख्या में हैं। सोलर सिस्टम तथा उक्त दोनों साधनों पर जो सब्सिडी है, उसमें सेन्ट्रल शेयर काफी कम कर दिया गया है। सब्सिडी कम होने से काश्तकारों को काफी परेशानी हो रही है। मेरा आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तथा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि काश्तकारों की सब्सिडी को पुनः वैसे ही दिया जाए, जैसे पहले दी जा रही थी। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बारगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय क्षेत्र-विशिष्ट विकास कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सहायता को जारी रखने से संबंधित है।

भारत सरकार ने चौदहवां वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केंद्रीय करों के बंटवारे को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है, ताकि राज्यों को अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकें और वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त कर सकें।

हालांकि, दूसरी ओर, केंद्र सरकार द्वारा आठ योजनाओं को केंद्रीय सहायता से अलग करना, गाडगिल-मुखर्जी सूत्र पर आधारित राज्य योजना हेतु सामान्य केंद्रीय सहायता को समाप्त करना तथा 33 केंद्रीय

प्रायोजित योजनाओं की साझेदारी के पैटर्न में परिवर्तन करना—इन सबके कारण राज्यों को मिलने वाली कुल निधि में उल्लेखनीय कमी आएगी। उदाहरण के लिए, ओडिशा में केंद्रीय सहायता में कमी के कारण लगभग 8037.26 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि करों के बंटवारे में 10 प्रतिशत की वृद्धि से लगभग 5888.43 करोड़ रुपये ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार, ओडिशा सरकार पर 2148.83 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

अतः, मैं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए समेकित कार्य योजना (Integrated Action Plan) जैसे कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं के लिए ओडिशा राज्य को दी जा रही केंद्रीय सहायता को जारी रखा जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद विलासपुर, जो छत्तीसगढ़ का दूसरे नम्बर का शहर है, वहां पर करीब दस साल पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति हुई थी, जो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि विलासपुर में छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है, रेलवे जोन का मुख्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अपोलो हास्पिटल है, एसईसीएल का मुख्यालय है, एनटीपीसी का एक कार्यालय है। ऐसे बहुत से संस्थान वहां कार्यरत हैं, जिनमें प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों के लाखों लोग जाकर अपने काम कराते हैं, परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130, जो रायपुर से विलासपुर को जोड़ता है, अधूरा होने के कारण और बहुत व्यस्त मार्ग होने के कारण हमेशा यातायात जाम हो जाता है। इसकी वजह से लोग समय पर अपने काम नहीं कर पाते हैं। जिन पक्षकार लोगों को समय पर हाईकोर्ट में उपस्थित होना होता है, वे समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है।

मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को तुरन्त चालू कराकर पूर्ण कराने की कृपा करें।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। देश में सीमा पार बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियां चिन्ताजनक हैं। पंजाब के गुरूदासपुर एवं ऊधमपुर की हाल की घटनाएं इसके उदाहरण हैं। इन घटनाओं से एवं जिन्दा पकड़े गए आतंकवादी कासिम ने जिस प्रकार से जानकारी दी है, उससे स्पष्ट है कि इन आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान का सीधा हाथ है। बड़ी संख्या में आतंकी पाकिस्तान सीमा से हमारी सीमा में घुसकर यहां वार करते हैं और दहशतगर्दी पैदा करते हैं। हमारे जवान अपनी शहादत देकर ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की कारगुजारियों को उजागर करने हेतु विशेष आभियान चलाया जाना चाहिए और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए, सीमा पार चल रहे आतंकी अड्डों को नष्ट करने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान ऐसी जुर्रत न कर सके और हमारे यहां ऐसी आतंकवादी गतिविधियां रुक सकें। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, नगरीय विकास आभिकरण- डूडा द्वारा मेरठ तथा हापुड़ में निरन्तर भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आ रहे हैं। मेरठ में डूडा द्वारा किए गए भवन एवं शौचालयों के निर्माण में की गयी धांधली स्थानीय प्रशासन द्वारा की गयी जांच में सामने आई थी, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अल्पसंख्यक बाहुल्य और मलिन बस्तियों के विकास कार्य में डूडा के आधिकारियों ने लाखों रुपये का घोटाला किया है। जिन सड़कों का निर्माण नगर निगम ने दो साल पहले पूरा कर दिया था, डूडा ने उन्हीं सड़कों पर निर्माण कार्य किया जाना दिखा दिया है। हापुड़ नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत भी डूडा द्वारा इसी प्रकार किए गए घोटालों की खबरें समाचार पत्रों में छपती रहती हैं। डूडा द्वारा किए गए निर्माण कार्यों में मानको के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। कुल मिलाकर डूडा की कार्यपद्धति में पारदर्शिता का सर्वथा अभाव है तथा नगरीय क्षेत्रों में, विशेषकर मलिन बस्तियों के विकास के लिए बनाया गया यह आभिकरण आपराधिक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ तथा हापुड़ में डूडा द्वारा किए गए एवं कराए गए निर्माण कार्यों तथा इनकी कार्यपद्धति की उच्चस्तरीय एवं व्यापक जांच कराई तथा दोषी आधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। आपने समय दिया, इसके लिए आपके प्रति आभारी हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन, गरौठा, भवनीपुर में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, जबकि मेरे क्षेत्र के माधौगढ़, उरई, कालपी, गरौठा और भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्रों के आधिकांश परिवारों के सदस्य बीएसएफ, सीआरपीएफ एवं सेना में कार्यरत हैं, जो बहुत दूर अन्य प्रदेशों में एवं देश के बॉर्डर्स पर नौकरी करते हैं और उनके परिवार के बच्चे क्षेत्र में ही रहते हैं। चूंकि बुंदेलखण्ड क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जिसकी वजह से ये जवान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। माधोगढ़ क्षेत्र में बहुत जमीन वेस्ट लैंड के रूप में पड़ी हुई है। अतः केन्द्रीय विद्यालय के मानक के रूपमें जगह भी प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने हेतु एक केन्द्रीय विद्यालय वहां खुलवाने का कष्ट करें।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): उपाध्यक्ष जी, पुलिस संचार के आधुनिकीकरण के लिए स्थलीय ट्रंक रेडियो प्रणाली (टेट्रा) का कार्य गुजरात में प्रगति पर है। इसके कार्यान्वयन के लिए दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) केन्द्र सरकार से (कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रकिंग सेवा) आवृत्ति लाइसेंस पाने के लिए गुजरात सरकार ने आवेदन किया है। इसके अंतर्गत 09-12-2014 को सभी आवश्यक रूपों और लाइसेंस प्रोसेसिंग फीस डॉट (डी.ओ.टी.) केन्द्र सरकार को दी गई है। उन्होंने चार शहरों जैसे अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट और सूरत को दिनांक 11-102014 को मंजूरी दे दी थी। इस संबंध में सभी तकनीकी प्रक्रिया डब्ल्यू.पी.सी. केन्द्र सरकार को पूरी की जा चुकी है। डी.ओ.टी. के लिए सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क 18,10,17,817 रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। लेकिन अब जून 2015 में (ए-3) के लिए 31.03.2016 तक और विलंब शुल्क अप करने के लिए, जिसमें स्पेक्ट्रम शुल्क भी शामिल है, इसमें 93,51,17,673 रुपए की राशि की गणना की जा रही है। मेरी विनती है कि इस राशि में से टेट्रा प्रणाली के लिए लाइसेंस जारी करने के आवेदन के साथ स्पेक्ट्रम शुल्क को बकाया राशि से न जोड़ें तथा विलंब शुल्क को हटाने के लिए भी एक पत्र गुजरात सरकार ने भेजा है।

मेरी केन्द्र सरकार के गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से विनती है कि गुजरात पुलिस में टेट्रा प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक लाइसेंस जल्द से जल्द भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा गुजरात पुलिस को जारी किए जाएं।

[अनुवाद]

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरिची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अत्तूर किला सलेम जिले की अत्तूर नगर पालिका में वासिस्ता नदी के तट पर स्थित है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में उस समय के स्थानीय शासक लक्ष्मण नायनन द्वारा किया गया था। बाद में यह किला मैसूर राज्य, हैदर अली, टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1854 तक इस किले का उपयोग सैन्य छावनी और आयुध भंडार के रूप में किया जाता था।

यह किला लगभग 62 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी दीवारें लगभग 30 फीट ऊँची और 15 फीट चौड़ी हैं। किले की एक ओर नदी तथा अन्य ओर खाई होने के कारण यह सुरक्षित है। किले के अंदर स्थानीय शासक गट्टी मुदलियार द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया था। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में है। किन्तु यह किला स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण का शिकार हो रहा है और जर्जर अवस्था में है। अतः मैं माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि अट्टूर किले के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाए तथा इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया): उपाध्यक्ष जी, कल भी किसानों की बदहाली के ऊपर शून्य काल में काफी चर्चा हुई थी। कृषि प्रधान भारत का किसान खेती से भरपूर मेहनत करके, भारतीय मानव के लिए अनाज पैदा करता है। किसान को फसल चक्र में परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं का भय बना रहता है। यदि प्राकृतिक

आपदाओं से खेती नष्ट होती है, तो इसका पीड़ादायक खामियाजा किसान, उसके परिजनों को भुगतना पड़ता है। वित्तीय दुर्दशा के कारण किसान एवं उसके परिवार की जीवनी नरक बन जाती है। इन्सान कितना भी बड़ा हो, वह आखिर थाली में ही रोटी खाता है। रोटी बिना इन्सानी जीवन को समाप्ति का डर रहता है। फसल दुर्दशा तथा सूखे की स्थिति में देश को बाहरी देशों से अनाज आयात करना पड़ता है। आयात शुल्क का खर्चा देखिए तो महसूस होता है कि हम इतना किसान व खेती में स्थाई सहायता प्रबंधन नीति बनाकर किसान को सालाना देते रहते तो देश के आयात शुल्क के तौर पर सालाना खर्चे में काफी बचत होती। किसान से स्थाई तौर पर खुश रहने से उनकी आत्महत्याएं भी रुकेंगी। सुझाव के तौर पर निशुल्क बीज-खाद-दवाइयां किसान को फसल बोने से लेकर उत्पादन तक तालिका समय बनाकर ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम स्तर पर पारदर्शी वितरण प्रणाली से स्थाई सहायता प्रदान की जाए। जिससे किसान दुर्दशा पर सहायता, फसल दुर्दशा पर सहायता, आयात शुल्क का सालाना खर्च काफी मात्रा में बचाया जा सकता है। सूखा व फसल दुर्दशा पर बीज, खाद और दवाई खर्च से किसान परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि वह सरकारी खर्चे से मिलेगी। किसान पर इससे वित्तीय बोझ नहीं रहेगा और ऋण चक्कर से किसान मुक्त हो जाएगा। इससे किसान आत्महत्याएं रुकेंगी। यह वितरण हमेशा बारिश से पूर्व अर्थात, प्रति वर्ष 1 मई से 25 मई के दौरान किया जाना चाहिए। वितरण विलंब पर स्थानीय जिलाधिकारी, तहसीलदार और स्थानीय कृषि आयुक्त पर जवाबदेही कायम की जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आपने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात उठाई है।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप सीधे मुद्दे पर आइए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक मिनट के भीतर स्पष्ट रूप से बताइए; सब कुछ विस्तार से न बताएं। केवल यह बताइए कि आप क्या चाहते हैं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रिसपैक्ट करता हूं और मैं एक किसान हूं और किसानों की आत्महत्या रोज बढ़ रही हैं, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि किसानों के लिए एक आयोग बनाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इत्यादि के लिए आयोग बने हैं, उसी प्रकार से किसानों के लिए भी देश में एक आयोग बनना चाहिए। यह मेरी मांग है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री नाना पटोले द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज शून्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। उस समय अखण्ड भारत की आबादी 25 करोड़ थी। आज विभाजित भारत के बावजूद हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है। लेकिन इस 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय इलाहाबाद, जिसने इस देश को चार प्रधानमंत्री दिए, चार मुख्य न्यायाधीश दिए, हजारों आईएएस ऑफिसर्स अनेक क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले दिए। वर्ष 2005 में इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। आज मेरे उस विश्वविद्यालय की स्थिति यह है कि 850 में से 300 टीचर हैं। वहां पूर्णकालिक वाइस चांसलर नहीं है। वहां की छात्रावासों की स्थिति खराब है। बाद में बने हुए विश्वविद्यालयों के आतिरिक्त कैम्पस बन गए हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि उसके संगठक दस विद्यालय हैं, उसमें से आठ में प्रधानाचार्य नहीं है क्योंकि पूर्णकालिक वाइस चांसलर नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसिज के लिए प्री-एग्ज़ामिनेशन का एक ट्रेनिंग सेंटर चलता था, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को पढ़ाया जाता था। उसको अनुदान देना बंद कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश और देश की स्थिति है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की

स्थिति उससे भी खराब है, उसको ध्यान में रख कर के वहां छात्रावास, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग विंग की व्यवस्था की जाए। आतिरिक्त कैंपस का निर्माण कर, पूर्णकालिक वी.सी. एवं संगठक कॉलेजों को बचाया जाए।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): महोदय, कोंकण की समुद्री सीमा लगभग 720 किलोमीटर है, परन्तु समुद्री सीमा की सुरक्षा के साधन पर्याप्त नहीं हैं। 26/11 को समुद्र की सीमा से ही आतंकवादियों ने हमला किया था, परन्तु उसके बाद भी देखने में आया है कि पर्याप्त भागों में समुद्री रक्षक तैनात नहीं किए गए हैं। समुद्र के किनारे बसे शहरों, गांवों जैसे पालघर, ठाणे, मुम्बई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिन्धुदुर्ग के जिलों में रहने वाले मछुआरों, जिन्हें महाराष्ट्र में कोली कहते हैं, को समुद्री सीमा और उसमें होने वाली हलचल का बहुत अच्छा ज्ञान रहता है। इनमें से शिक्षित मछुआरों को समुद्री सीमा सुरक्षा की ट्रेनिंग देकर इस लायक बनाया जा सकता है, जिससे वे समुद्र के कार्य के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। सरकार के फिशरी विभाग, गृह विभाग, कोस्ट गार्ड सीमा सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। परन्तु इनमें कोस्ट गार्ड को छोड़कर अन्य विभागों के लोगों को तैरना या नाव चलाना भी नहीं आता है और समुद्र के बारे में उनको आधिक जानकारी भी नहीं होती है। अतः मेरा सुझाव है कि इन शिक्षित मुछआरों को समुद्री सुरक्षा की ट्रेनिंग के लिए योजना बनायी जाए और उन्हें समुद्री सीमा सुरक्षा बल में सम्मिलित करके उन्हें समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिसके लिए उन्हें अलाउंस भी दिया जाए। इससे बेरोजगारी भी कम होगी और समुद्री सुरक्षा के साथ-साथ तस्करी पर भी लगाम कसी जा सकेगी।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत, श्री विनायक भाऊराव राउत और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि डीटीएच केबल ऑपरेटर्स उपभोक्ताओं को कनैक्शन देते समय एक निश्चित धनराशि की बात

करते हैं कि दो सौ या ढाई सौ रुपये प्रति महीने पर आपको केबल के सुविधा देंगे, लेकिन वह सुविधा उनको न देकर के कनेक्शन जब उपभोक्ता ले लेता है तो आए दिन उनको हर चैनल के साथ यह कहकर कि यह पे-चैनल है आतिरिक्त पैसे की मांग करते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि किसी का वहां चैनल चल रहा होता है और वहां किसी का रिश्तेदार बैठा रहता है और चैनल ऑपरेटर्स के द्वारा एक डिस्पले आना शुरू हो जाता है कि तत्काल आप पैसा जमा करें नहीं तो आपका केबल कनेक्शन काट दिया जाएगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि इस तरह से उपभोक्ताओं के साथ प्राइवेट केबल ऑपरेटर्स के द्वारा यह जो अन्याय किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए, क्योंकि वह पैसा लेकर जब उपभोक्ताओं को सुविधा दे रहे हैं तो उसमें विज्ञापन भी वह देना बंद करें, जिससे उपभोक्ताओं का हित हो सके।

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जनपद बलरामपुर में बैंकों द्वारा किसानों के साथ किए गए धोखे की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी बैंकों को किसानों का मित्र बनाना चाहते हैं और इस दिशा में भारत सरकार ठोस प्रयास भी कर रही है। लेकिन उन्हीं बैंकों के द्वारा किसानों के साथ धोखा करने का काम किया गया है, बल्कि मैं यदि यह कहूं कि अमानत में खयानत करने का काम किया है तो आतिश्योक्ति नहीं होगी।

महोदय, हमारे जनपद बलरामपुर में 1,52,000 किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं और केसीसी धारक किसानों की फसलें बीमित होती हैं। केसीसी करते समय ही बैंकर उसका बीमा करके प्रीमियम काट लेते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014-2015 की खरीफ की फसल के लिए बैंक ने बीमा कंपनी को मात्र 64 किसानों का प्रीमियम भेजा था और प्रीमियम भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2014 थी। 15 अगस्त, 2014 को नेपाल द्वारा छोड़े गये पानी के माध्यम से जो भीषण बाढ़ आई, उसमें लाखों किसानों

की फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन बैंकों द्वारा बीमा कंपनियों को प्रीमियम न जमा करने वजह से उन्हें इसका लाभ नहीं मिला।

इसी तरह से रबी की फसल में भी मात्र 1,00,276 किसानों का प्रीमियम जमा किया गया, लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिल सका। केसीसी धारकों के अलावा भी पचास हजार किसान बीमा कराये हुए हैं, लेकिन उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सका।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से मांग करता हूं कि कड़े कानून के तहत बैंकों के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक की लापरवाही का खामियाजा किसानों को न भुगतना पड़े, बल्कि बैंक की लापरवाही पर बैंकों को स्वयं ही क्षतिपूर्ति उसी तरह करना पड़े, जैसे कि बीमा कंपनियां करती हैं।

श्री राजकुमार सैनी (कुरुक्षेत्र): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक आति महत्वपूर्ण विषय पर शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह एक ऐसा व्यवसाय है, जिसके लोग दिन-रात जागकर पूरे देश के लोगों की सेवा करते हैं और खुद भूखे रहते हैं। आज ट्रकों का व्यवसाय बहुत ही घाटे में जा रहा है। आज हमारी सरकार देश में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहती है, परंतु बड़ी मोटर कंपनियों ने कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं जिससे कि उनके वाहन ज्यादा से ज्यादा बिकें। उदाहरण के तौर पर जैसे 6 ट्रक टायर नौ टन पास है। परंतु यह 18 से 20 टन तक की ढुलाई कर सकता है। इसी प्रकार से दस टायर वाला ट्रक 15 टन पास है, जबकि उसकी कैपेसिटी 30 से 35 टन तक की ढुलाई करने की है। परंतु खर्चा निकालने के लिए यदि वह ओवरलोड करता है तो वह लुटता है। उसे हर स्टेट की पुलिस चालान का भय दिखाकर लूटती है। परंतु इसके विपरीत यदि 6 टायर वाली गाड़ी की पासिंग 15 टन और 10 टायर वाली गाड़ी की कैपेसिटी को 30 टन तक रखा जाए, इससे न केवल देश में डीजल की बचत होगी, बल्कि ट्रैफिक के अत्यधिक रश पर भी कंट्रोल रहेगा तथा जो करोड़ों लोग इस रोजगार से जुड़े हैं, उनके बच्चों को कम से कम दो वक्त की रोटी नसीब हो जायेगी। इससे माल भी सस्ते में ढुलेगा और महंगाई भी कंट्रोल में आएगी। मैं बताना चाहता हूं कि दूसरे देशों में भी इस तरह के ट्रकों की क्षमता ज्यादा रखी हुई है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सदन और सरकार इस पर विशेष ध्यान दे तथा जो कानून मोटर कंपनियों के हित में बनाये गये हैं, वे ज्यादा से ज्यादा जनता और इस व्यवसाय के हित में बनाये जाएं। धन्यवाद।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र फर्रूखाबाद उत्तर प्रदेश है, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारा संसदीय क्षेत्र तीन नदियों के मध्य में बसा हुआ है - गंगा नदी, रामगंगा नदी और काली नदी। जब भी बाढ़ आती है तो हमारे संसदीय क्षेत्र के किसानों व खेतिहर मजदूरों के गांव के गांव कट जाते हैं और जब गांव और उपजाऊ जमीन कट जाती है तो वहां के किसान शहरों में आकर या तो रिक्शा चलाते हैं या फुटपाथ पर भीख मांगकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि जहां बड़े स्तर पर ऐसे कटान होते हैं, जहां गांव के गांव नदियों में समा जाते हैं, वहां बांध बनाकर या ठोकर बनाकर उन गांवों को कटाव से रोकने का प्रयास किया जाए, जिससे उन गांवों के किसानों व खेतिहर मजदूरों को बेघर होने के बचाया जा सके और उनकी उपजाऊ की जमीन को भी कटने से बचाया जा सके।

इसके अलावा भी यदि गांव कटते हैं, उनके लिए जहां कहीं भी जो सरकारी जमीन पड़ी हो, उस पर इन्दिरा आवास के माध्यम से बेघर लोगों के लिए नये मकान बना दिये जाएं। [हिन्दी]यदि देश और प्रदेश में ऐसी घटना घटे तो सरकार वहां तुरंत इस तरह की कार्रवाई करे। धन्यवाद।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

[हिन्दी]

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं बुंदेलखण्ड क्षेत्र से आता हूँ। हमारे बुंदेलखण्ड में पिछले दस वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है। सारे किसान पलायन के लिए मजबूर हैं। हमारे यहां किसान बड़े आशान्वित हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो प्रधान मंत्री कृषि योजना की जो शुरूआत की है, मेरा भारत सरकार से आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि पहले

हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्सों में कई जगह सिंचाई की पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिंचाई की योजना में कुछ प्रावधान किया जाए कि सबसे पहले बुंदेलखण्ड में सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ हो, उसके बाद कहीं दूसरी जगह पर काम प्रारंभ किया जाए और देश के जितने सूखे हिस्से हैं, सबसे पहले उनको इसमें लिया जाए, ताकि किसानों का भला हो और मेरे क्षेत्र से यह पलायन रूक सके, नौजवानों को रोज़गार मिल सके और लोग वहीं पर अपने बुज़ुर्गों की सेवा कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में बीना एक शहर है, जिसकी आबादी लगभग एक लाख से ऊपर है। वहां पर बीओआरएल, भारत ओमान रिफाइनरी है और बिजली का भी एक बहुत बड़ा प्लांट है। परंतु वहां पर दूरदर्शन का केंद्र न होने के कारण वहां के लोगों को दूरदर्शन स्पष्ट नहीं दिखता है। अतएव मैं आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मांग करता हूँ कि वे वहां पर एक दूरदर्शन केंद्र स्थापित करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: सभा अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 2.02 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 3.25 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न तीन बजकर पच्चीस मिनट पर[15] पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

... (*व्यवधान*)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, मैं सूचना देना चाहता हूं। ...(व्यवधान) अभी बिहार में 100 महिलाओं को लाठी से पीटा गया है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आप पहले ही यह मामला उठा चुके हैं। माननीय मंत्री इसका उत्तर भी दे चुके हैं। आप उसी विषय को पुनः उठाना चाहते हैं। वह विषय अब समाप्त हो चुका है।

... (*व्यवधान*)

[15]अपराह्न 3.00 बजे गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई। गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 3.04 बजे गणपूर्ति के लिए पुन: घंटी बजाई गई लेकिन गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 2.06 बजे गणपूर्ति के लिए पुन: घंटी बजाई गयी लेकिन फिर भी गणपूर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात् महासचिव ने उपस्थित सदस्यों के बीच निम्नलिखित घोषणा की:

> "सदन में गणपूर्ति नहीं है इसलिए सदन में कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि लोक सभा अपराह्न 3 बजकर 25 मिनट पर समवेत होगी।"

अपराह्न 3.25 ½ बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

सतत विकास लक्ष्य - जारी

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करते हैं; श्री प्रह्लाद सिंह पटेल आगे चर्चा जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह): कल जब मैंने चर्चा शुरू की थी तो मैंने बताया था कि पूरी दुनिया में विकास के खिलाफ अगर कोई चीज आती है तो वह जनसंख्या है। जनसंख्या के इतने बड़े घनत्व के बाद हम इस सदन में आवास की बात करते हैं तो वह नाकाफी और बेईमानी होगी। अगर जनसंख्या बढती रही तो हम सभी को आवास नहीं दे पायेंगे। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

दूसरा, स्वास्थ्य की सुविधायें जनसंख्या के आधार पर ही तय होंगी कि हम उन्हें पूरा कर पायेंगे या नहीं पूरा कर पायेंगे। मैंने कल तीन बातों का उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि हम चीन और अमेरीका जैसे विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति के लोग नहीं है। हमें भारत की सीमा के भीतर ही अपनी जमीन पर अपने लोगों के लिए अनाज उपलब्ध कराने पड़ेंगे। जनसंख्या के कारण शिक्षा में भी जो संकट पैदा हुआ है, वह हम सबके सामने है। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो मैं तीन बातों पर अपनी बात को केन्द्रीत करूंगा और सबसे अंत में कहूंगा कि जनसंख्या के कारण सुरक्षा पर भी संकट पैदा हुआ है। मैंने आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पेय जल, स्वच्छता, शिक्षा और कृषि भूमि के बारे में कहा है। आज कृषि भूमि घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। हम सब साम्राज्यवादी नहीं हैं। हम किसी दूसरे पर कब्जा करके अपनी जमीन की बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है तो उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम कौन

करेगा? क्या रासायनिक खाद का उपयोग उसे बढ़ायेगा? रासायनिक खादों के उपयोग ने देश में होने वाली पहली हरित क्रांति ने जो नुकसान पहुंचाया है, हरियाणा और पंजाब उसका उदाहरण है। हमें नये सिरे से उस पर विचार करना पड़ेगा। हमने दो सौ साल की पहले की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। आज भी समय है कि हम समय के पहले जागें और इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन स्वीकार करे, नीतियां बनाये। मैं दुनिया के दो उदाहरण देना चाहता हूं। जब अंग्रेज आये थे तो उन्होंने पहाड़ों को नष्ट किया। मैंने कल एक आंकड़ा दिया था और मेरे एक सहयोगी ने पूरे पहाड़ी प्रदेशों के पशुधन की जब बात की थी। पहाड़ों में 0.01 प्रतिशत पशुधन बचा है। यह गिरावट अंग्रेजों के समय शुरू हुयी थी और हम यहां तक पहुंच गये है। आज पहाड़ धंसने लगे हैं और गंगा में लगातार बाढ़ आ रही है। आज से 60 साल पहले भी यह चेतावनी दी गयी थी कि उसके पीछे वहां पर पशुओं का नहीं रहना है। गाय का एक किलो गोबर 9 लीटर पानी को ऑब्जर्व करता है, वह मिट्टी को कटाव से बचाता है और साथ में उर्वरा शक्ति भी प्रदान करता है, इसके अलावा दुनिया में किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। कई बार लोगों को देश की कुछ बातों पर विश्वास नहीं होता है। मैं अफ्रीका का उदाहरण देना चाहता हूं। सभी एलेन शाद्री वैज्ञानिक को जानते हैं। वहां पर 22,000 हाथियों को इसलिए मार दिया गया था कि लोगों ने यह माना कि उनसे अफ्रीका के जंगल खराब हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में हाथियों के वध होने के बाद अफ्रीका के जंगल सूख गये। उसी समय एलेन शाद्री का नाम आया। उन्होंने अनुसंधान करने के बाद दुनिया को बताया। यह वर्ष 1950 के आस-पास की बात है। भारत की जो गाय है उन्हें अगर यहां पर स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने दिया जाये तो रास्ता निकल सकता है। शायद लोग हमारी बात पर विश्वास न करें लेकिन उस प्रयोग पर लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। सात वर्षों के बाद जंगल हरे हो गये, मिट्टी की कटाव में कमी आ गयी। मुझे लगता है कि इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं।

मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि कहीं न कहीं अगर हम इन बातों को मानते हैं कि उर्वरा शक्ति के कोई दूसरे रास्ते हैं कि जमीन की उर्वरा शक्ति को रोका जा सकता है, उसकी गिरावट को बचाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई बंजर भूमि है, उसे भी ठीक करने का कोई रास्ता दुनिया के पास आज भी है तो वह सिर्फ और सिर्फ गाय के गोबर का है। लेकिन जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमेशा चर्चा को गलत दिशा दे दी जाती

है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस सदन में कहूंगा कि यदि आप मानते हैं कि हमें विकास के कुछ पैमाने तय करने हैं तो पहले हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। हमारे पूर्वजों ने जो चेतावनी दी थी, मैंने अपनी चर्चा प्रारंभ करते समय कहा था कि दुनिया में वह संस्कृति कौन सी है जो हजारों साल से जिन्दा रहकर अपने आस्तित्व को बनाए रखे हुए है। वे देश कौन से हैं जिन्होंने उतनी ही सीमाओं के भीतर रहकर अपनी जनता को सुखी और सम्पन्न रखा। हमने कभी शायद इस पर विचार किया होता तो मैं मानता हूं कि हम कभी गलत दिशा में नहीं जाते।

मैं दूसरा उदाहरण नोबल विजेता डा. जोहना वुडविक का देना चाहता हूं। उन्होंने 1931 में काम शुरू किया। वे इस बात के लिए छ: बार नामित हुईं। वे जर्मनी की थीं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, आप अगली बार जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 3.31 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक – पुरःस्थापित

माननीय उपसभापति: अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेगी – विधेयकों का पुरःस्थापन होगा।

मद सं. 15, श्री कलिकेश एन. सिंह देव - उपस्थित नहीं;

मद सं. 16, श्री कलिकेश एन. सिंह देव - उपस्थित नहीं;

मद सं. 17, श्री कलिकेश एन. सिंह देव – उपस्थित नहीं।

मद सं. 18, श्री पंकज चौधरी।

(एक) भगवान बुद्ध केन्द्रीय होम्योपैथी विश्वविद्यालय विधेयक, 2015[16*]

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि होम्योपैथी के संवर्धन और होम्योपैथी में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि होम्योपैथी के संवर्धन और होम्योपैथी में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

[16]भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2 दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.31 ½ बजे

(दो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी का उन्मूलन विधेयक, 2015[17*]

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को आभिलाभपूर्ण नियोजन का आधिकार सुनिश्चित करते हुए उनमें व्याप्त बेरोजगारी का उन्मूलन करने और उनमें बेरोजगारों को बेकारी भत्ते का संदाय करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को आभिलाभपूर्ण नियोजन का आधिकार सुनिश्चित करते हुए उनमें व्याप्त बेरोजगारी का उन्मूलन करने और उनमें बेरोजगारों को बेकारी भत्ते का संदाय करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट पी. सोलंकी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———————

[17]भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2 दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मद सं. 20, श्री राकेश सिंह – उपस्थित नहीं;

मद सं. 21, श्री चंद्रकांत खैरे – उपस्थित नहीं।

मद सं. 22, श्री अधलराव पाटिल शिवजीराव।

<u>अपराह्न 3.32 बजे</u>

(तीन) शिक्षा विधेयक, 2015[18*]

श्री आधलराव पाटिल शिवाजीराव (शिरूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि व्यापक शिक्षा नीति बनाने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि व्यापक शिक्षा नीति बनाने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आधलराव पाटिल शिवाजीराव: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

---

[18]□ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 में प्रकाशित दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.32 ½ बजे

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015[19*]

(नए अनुच्छेद 15क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री आधलराव पाटिल शिवाजीराव (शिरूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आधलराव पाटिल शिवाजीराव: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

[19*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 03.33 बजे

(पाँच) रेल (संशोधन) विधेयक, 2015*

(नए अध्याय 13क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री आधलराव पाटिल शिवजीराव (शिरूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अधलराव पाटिल शिवजीराव: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: मद सं. 41, डॉ. रविन्द्र बाबू।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.33 ½ बजे

(छह) आंध्र प्रदेश राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक 2015[20*]

[अनुवाद]

रविन्द्र बाबू (अमलापुरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों, कृषि श्रमिकों और बेरोजगार नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने, आंध्र प्रदेश राज्य में अवसंरचना के विकास, पिछड़े जिलों के विकास, इसके संसाधनों के दोहन और उचित उपयोग के प्रयोजनार्थ आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों, कृषि श्रमिकों और बेरोजगार नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने, आंध्र प्रदेश राज्य में अवसंरचना के विकास, पिछड़े जिलों के विकास, इसके संसाधनों के दोहन और उचित उपयोग के प्रयोजनार्थ आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दीजाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. रवींद्र बाबू: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: मद सं. 25, श्री दुष्यंत चौटाला।

[20*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.34 बजे

(सात) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2015[21*]

(धारा 2 का संशोधन, आदि)

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दुष्यंत चौटाला: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

[21*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.34 ½ बजे

(आठ) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2015[22*]

(धारा 2 और 13 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री जगदंबिका पाल (डुमरियागंज): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जगदंबिका पाल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

———————

[22] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.35 बजे

(नौ) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015[23]

(धारा 304क के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन)

[अनुवाद]

श्री जगदंबिका पाल (डुमरियागंज): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जगदंबिका पाल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

[23] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मद संख्या 28 - श्री प्रेम दास राय - उपस्थित नहीं।

मद सं.29 - श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी।

<u>अपराह्न 3.35 ½ बजे</u>

(दस) गुटका और पान मसाला (प्रतिषेध) विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गुटका और पान मसाला के उत्पादन, संवर्धन और विक्रय का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि गुटका और पान मसाला के उत्पादन, संवर्धन और विक्रय का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———————

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.36 बजे

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015[24*]

(नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———————

[24*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.36 ½ बजे

(बारह) अनधिकृत कॉलोनियों, मलिन और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां, (बुनियादी सुख-सुविधाएं और अन्य व्यवस्था) विधेयक, 2015[25*]

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दो या दो वर्षों से विद्यमान अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और ऐसी अनधिकृत कालोनियों, मलिन और झुग्गी-बस्तियों में पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, शौचालय, सीवरेज और कूड़े-कचरे का प्रबंधन जैसी बुनियादी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयकों को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि दो या दो वर्षों से विद्यमान अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और ऐसी अनधिकृत कालोनियों, मलिन और झुग्गी-बस्तियों में पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, शौचालय, सीवरेज और कूड़े-कचरे का प्रबंधन जैसी बुनियादी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयकों को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

———————

[25]भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.37 बजे

(तेरह) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2015[26]

(नई धारा 43क का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निःशक्त व्यक्ति (समान, अवसर, आधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) आधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि निःशक्त व्यक्ति (समान, अवसर, आधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) आधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———————

[26*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.37 ½ बजे

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015[27*]

(उद्देशिका का संशोधन, आदि)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत का संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत का संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

———————

माननीय उपाध्यक्ष: मद सं.34 - श्री योगी आदित्यानाथ – उपस्थित नहीं।

मद सं.35 – श्री योगी आदित्यनाथ – उपस्थित नहीं।

मद सं.36 – श्रीमती सुप्रिया सुले – उपस्थित नहीं।

मद सं.37 – श्रीमती सुप्रिया सुले – उपस्थित नहीं।

मद सं.38 – श्रीमती सुप्रिया सुले – उपस्थित नहीं।

[27*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित ।

मद सं.39 - श्रीमती सुप्रिया सुले – उपस्थित नहीं।

मद सं.40 - श्री सी. आर. पाटिल।

अपराह्न 3.38 बजे

(पंद्रह) साफ अक्षरों में चिकित्सीय निर्देश लिखना और जेनेरिक औषधि दुकानें खोलना विधेयक, 2015[28*]

[हिन्दी]

श्री सी.आर. पाटील (नवसारी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि साफ अक्षरों में चिकित्सीय निर्देश आनिवार्य रूप से लिखने और जेनरिक औषधि दुकाने खोलने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि साफ अक्षरों में चिकित्सीय निर्देश आनिवार्य रूप से लिखने और जेनरिक औषधि दुकाने खोलने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी. आर. पाटील: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———————

माननीय उपाध्यक्ष: मद सं.42 – श्री निशिकान्त दुबे।

---

[28]□भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2 दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.38 ½ बजे

(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015[29*]

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———————

[29] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

<u>अपराह्न 3.39 बजे</u>

(सत्रह) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015[30*]

(धारा 80 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———————

[30]भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2 दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.39 ½ बजे

(18) कृषक और कृषि कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2015[31*]

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों और कृषि कर्मकारों हेतु सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि कृषकों और कृषि कर्मकारों हेतु सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

31□ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.40 बजे

(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015[32*]

(अनुच्छेद 58 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष:

मद सं46. डॉ. भोला सिंह – उपस्थित नहीं।

मद सं47. डॉ. भोला सिंह – उपस्थित नहीं।

---

[32]भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2 दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

मद सं48. डॉ. भोला सिंह – उपस्थित नहीं।

मद सं49. श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी – उपस्थित नहीं।

मद सं50. श्री फिरोज वरुण गांधी – उपस्थित नहीं

मद सं51. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी।

अपराह्न 03.40 ½ बजे

(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015[33*]

(अनुच्छेद 72 का संशोधन)

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

[33]भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.41 बजे

(इक्कीस) अशिष्ट विज्ञापन प्रतिषेध विधेयक, 2015[34*]

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अभद्रता, अश्लीलता, हिंसक कार्य या संत्रास चित्रण वाले आशिष्ट विज्ञापनों, जिनसे नागरिकों विशेषकर, युवाओं के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लोक नैतिकता को क्षति पहुंचती है, का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या अनुषंगी विषय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि अभद्रता, अश्लीलता, हिंसक कार्य या संत्रास चित्रण वाले अशिष्ट विज्ञापनों, जिनसे नागरिकों विशेषकर युवाओं के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लोक नैतिकता को क्षति पहुंचती है, का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या अनुषंगी विषय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

[34]भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2 दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 03.41 ½ बजे

(बाईस) बंद कपड़ा मिल कर्मकार (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2015[35*]

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बंद कपड़ा मिलों के कर्मकारों के कल्याण और पुनर्वास तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि बंद कपड़ा मिलों के कर्मकारों के कल्याण और पुनर्वास तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[35*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

<u>अपराह्न 3.42 बजे</u>

(तेईस) विशेष सिंचाई विकास निधि (वन क्षेत्रों के लिए) विधेयक 2015[36*]

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए विशेष सिंचाई विकास निधि का गठन करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि वन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए विशेष सिंचाई विकास निधि का गठन करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———————

[36*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.42 ½ बजे

(चौबीस) फसल बीमा विधेयक, 2015[37*]

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि फसल बीमा और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि फसल बीमा और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———————

[37*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.43 बजे

(पच्चीस) मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015[38*]

(नई धारा 136क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान कि जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दुष्यंत चौटाला: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———————

[38*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.43 ½ बजे

(छब्बीस) संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015[39*]

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[39*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष:

मद सं 58. श्री ओम प्रकाश यादव – उपस्थित नहीं

मद सं 59. श्री ओम प्रकाश यादव – उपस्थित नहीं

मद सं 60. श्री सुनील कुमार सिंह।

अपराह्न 3.44 बजे

(सत्ताईस) नक्सली हिंसा के कृत्यों के पीड़ित (राहत और पुनर्वास) विधेयक, 2015[40*]

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में नक्सली हिंसा के कृत्यों में मारे गये नागरिकों के आश्रितों को और ऐसी हिंसा के कारण अपनी संपत्ति, फसलें, मकान इत्यादि खोने वाले नागरिकों को वित्तीय मुआवजा, मासिक भत्ता, राहत और अन्य पुनर्वास उपाय तथा सुविधाएं प्रदान करने तथा तत्संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि देश में नक्सली हिंसा के कृत्यों में मारे गये नागरिकों के आश्रितों को और ऐसी हिंसा के कारण अपनी संपत्ति, फसलें, मकान इत्यादि खोने वाले नागरिकों को वित्तीय मुआवजा, मासिक भत्ता, राहत और अन्य पुनर्वास उपाय तथा सुविधाएं प्रदान करने तथा तत्संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

[40*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.44 ½ बजे

(अट्ठाईस) बालिका (वाणिज्यीकृत दुर्व्यापार निवारण, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालिका के वाणिज्यिकृत दुर्व्यापार का, जिसमें वाणिज्यिक लाभ के लिए बालिका को प्रलोभन देकर, उसकी उपप्ति करके अथवा उसका अपहरण करके अथवा उसे देवदासी के रूप में समर्पित करके वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य किया जाता है, निवारक दंड के उपबंध द्वारा, जिसमें दुर्व्यापार के लिए मृत्यु दंड शामिल है, निवारण करने और ऐसी बालिका का पुनर्वास करने का सरकार द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों तथा तत्संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि बालिका के वाणिज्यिकृत दुर्व्यापार का, जिसमें वाणिज्यिक लाभ के लिए बालिका को प्रलोभन देकर, उसकी उपप्ति करके अथवा उसका अपहरण करके अथवा उसे देवदासी के रूप में समर्पित करके वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य किया जाता है, निवारक दंड के उपबंध द्वारा, जिसमें दुर्व्यापार के लिए मृत्यु दंड शामिल है, निवारण करने और ऐसी बालिका का पुनर्वास करने का सरकार द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों तथा तत्संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मद सं. 62, श्री ए. टी. नाना पाटिल - उपस्थित नहीं।

मद सं 63, श्री भर्तृहरि महताब।

<u>अपराह्न 3.45 बजे</u>

(उनतीस) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015*

(नई धारा 199क का अंत:स्थापन)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि दंड प्रक्रिया संहिता,1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.45 ½ बजे

(तीस) औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2015[41*]

(नए अध्याय 3क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: मद सं.65, श्री पी. पी. चौधरी - उपस्थित नहीं।

मद सं.66, श्री पी. पी. चौधरी - उपस्थित नहीं।

मद सं.67, श्री पी. पी. चौधरी - उपस्थित नहीं।

मद सं.68, श्री पी. पी. चौधरी - उपस्थित नहीं।

मद सं.69, डॉ. मनोज राजोरिया।

---

[41]भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.46 बजे

(इकतीस) कुपोषण उन्मूलन विधेयक, 2015[42]

[अनुवाद]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उपेक्षित, बेघर, निःसहाय, शारीरिक मानसिक रूप से नि:शक्त या कुपोषित बालकों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के सदस्यों को पोषण आहार की पूर्ति के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "उपेक्षित, बेघर, निःसहाय, शारीरिक मानसिक रूप से नि:शक्त या कुपोषित बालकों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के सदस्यों को पोषण आहार की पूर्ति के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. मनोज राजोरिया: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

[42] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.46 ½ बजे

(बत्तीस) उर्वरक (मूल्य नियंत्रण) विधेयक, 2015[43*]

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी उर्वरकों के आधिकतम खुदरा मूल्य के निर्धारण तथा तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य के निर्धारण तथा तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[43*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.47 बजे

(तैंतीस) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालिकाओं के दुर्व्यापार का निवारण विधेयक, 2015[44*]

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालिकाओं को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विभिन्न तरीकों से देह व्यापार के लिए मजबूर करके और साहसिक पर्यटन अथवा अन्यथा की आड़ में स्वच्छंद यौन कृत्यों के लिए इनके दुर्व्यापार के निवारण का तथा ऐसे वाणिज्यिकृत दुर्व्यापार के लिए मृत्युदंड सहित भयपरतिकारी दंड का उपबंध करने तथा तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि बालिकाओं को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विभिन्न तरीकों से देह व्यापार के लिए मजबूर करके और साहसिक पर्यटन अथवा अन्यथा की आड़ में स्वच्छंद यौन कृत्यों के लिए इनके दुर्व्यापार के निवारण का तथा ऐसे वाणिज्यिकृत दुर्व्यापार के लिए मृत्युदंड सहित भयपरतिकारी दंड का उपबंध करने तथा तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[44*]भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.47 ½ बजे

(चौंतीस) जनसंख्या स्थिरीकरण विधेयक, 2015[45*]

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनों और निरुत्साहनों के माध्यम से परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देने, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनसंख्या देश के सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य विकास कार्यों तथा पारिस्थितिकीय संतुलन के अनुरूप रहे और धनी तथा निर्धन वर्गों के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सके और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने तथा तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनों और निरुत्साहनों के माध्यम से परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देने, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनसंख्या देश के सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य विकास कार्यों तथा पारिस्थितिकीय संतुलन के अनुरूप रहे और धनी तथा निर्धन वर्गों के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सके और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने तथा तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

[45]□ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मद सं. 73, डॉ. उदित राज -- उपस्थित नहीं।

<u>अपराह्न 3.48 बजे</u>

(पैंतीस) शैक्षिक संस्थाओं में तर्कशास्त्र का अनिवार्य शिक्षण संस्था विधेयक, 2015 [46*]

[हिन्दी]

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती): माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी शैक्षिक संस्थाओं में तर्कशास्त्र के आनिवार्य शिक्षण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि सभी शैक्षिक संस्थाओं में तर्कशास्त्र के आनिवार्य शिक्षण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री दद्दन मिश्रा: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[46*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत – उपस्थित नहीं।

<u>अपराह्न 3.48 ½ बजे</u>

(छत्तीस) राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015[47*]

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ और इसके संसाधनों के विकास, विदोहन और समुचित उपयोग के लिए राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ और इसके संसाधनों के विकास, विदोहन और समुचित उपयोग के लिए राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित[$] करता हूं।

[47*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

[$] राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.49 बजे

(सैंतीस) राजस्थान उच्च न्यायालय (बीकानेर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2015[48*]

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की बीकानेर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि राजस्थान उच्च न्यायालय की बीकानेर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[48*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.49 ½ बजे

(अड़तीस) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (नियमितीकरण) विधेयक, 2015[49]

*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के नियमितीकरण और सार्वभौमीकरण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि देश में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के नियमितीकरण और सार्वभौमीकरण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित[$] करता हूं।

---

[49]*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

[$] राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पुरःस्थापित।

<u>अपराह्न 3.50 बजे</u>

(उनतालीस) खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2015[50*]

(नए अनुच्छेद 19क का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य सुरक्षा और मानक आधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमती दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि खाद्य सुरक्षा और मानक आधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमती दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित[$] करता हूं।

---

[50] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

[$] राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.51 बजे

(चालीस) रिक्शा चालक और सड़क किनारे बैठने वाले मैकेनिक (आजीविका अर्जन की स्वतंत्रता) विधेयक, 2015[51*]

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निर्धनताग्रस्त और बेरोजगार युवक-युवतियों और अन्य नागरिकों को निर्भय होकर आजीविका आर्जित करने और अपने आश्रितों का भरण-पोषण करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस और स्थानीय निकायों के कार्मिकों को औजार, कलपुर्जे, माल, साइकिल रिक्शा, गाड़ी आदि को जब्त करने या इसे ले जाने से प्रतिषिद्ध कर साइकिल रिक्शा और गाड़ी चालकों और सड़क किनारे बैठे मैकेनिकों को आजीविका अर्जन की स्वतंत्रता देने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि निर्धनताग्रस्त और बेरोजगार युवक-युवतियों और अन्य नागरिकों को निर्भय होकर आजीविका आर्जित करने और अपने आश्रितों का भरण-पोषण करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस और स्थानीय निकायों के कार्मिकों को औजार, कलपुर्जे, माल, साइकिल रिक्शा, गाड़ी आदि को जब्त करने या इसे ले जाने से प्रतिषिद्ध कर साइकिल रिक्शा और गाड़ी चालकों और सड़क किनारे बैठे मैकेनिकों को आजीविका अर्जन की स्वतंत्रता देने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

51 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.52 बजे

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 – जारी

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब सदन में श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा 13 मार्च, 2015 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे की जारी होगी, अर्थात्: -

> "कि देश में मतदाता द्वारा अनिवार्य मतदान तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

डॉ. मनोज राजोरिया, अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे आनिवार्य मतदान के विषय पर बोलने का मौका दिया है।

अपराह्न 3.53 बजे (श्री हुकुमदेव नारायण यादव पीठासीन हुए)

महोदय, जैसा कि मैंने पिछली बार की चर्चा में बताया था कि देश में जब जिम्मेदारी की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, तो बहुत-से ऐसे प्रबुद्ध नागरिक होते हैं, जो इससे उदासीन हो जाते हैं, इससे किनारा कर लेते हैं।

इस बिल में कुछ पेनल्टीज़ के प्रावधान किये गये थे, जिस पर मैंने पिछली बार की चर्चा में कहा था कि पेनल्टीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके बजाए प्रोत्साहन होना चाहिए कि किस तरीके से कंपल्सरी वोटिंग को बढ़ाया

जाए। जैसा मैंने पिछली बार सुझाव दिया था कि एक मतदाता को पाँच साल में कम से कम पाँच से दस बार वोटिंग के लिए जाना पड़ता है। शायद यह एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से उसका चुनाव से मोह भंग हो जाता है और वह बार-बार मतदान करने से ऊब जाता है।

मेरा एक विनम्र सुझाव है कि ये जो सारे निकाय चुनाव हैं, छोटे-छोटे पंचायत के चुनाव हैं, नगरपालिकाओं के चुनाव हैं, विधायक और सांसदों के चुनाव हैं, इनको यदि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों तथा चुनाव आयोग से समन्वय करके पाँच साल में एक साथ, एक बार कराने की कोई व्यवस्था करती है, तो मैं सोचता हूँ कि यह एक ऐसी व्यवस्था होगी, जिससे हमारे देश का धन भी बचेगा, संसाधन बचेंगे और मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा।

आज तकनीक का जमाना आ गया है। आज लोग उच्च तकनीकों-डिजीटल तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे समय में हमको आधार कार्ड के माध्यम से मतदाता सूची को भी जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार देश ने पूरे देश में आधिकतर जनसंख्या को आधार कार्ड से जोड़ दिया है। केन्द्र की सभी योजनाएँ आधार कार्ड से लिंक हो गयी हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार मतदाता सूची को भी आधार कार्ड से जोड़ने का काम चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही है। आधार कार्ड का जो यूनीक आई.डी. नम्बर होता है, इसे मतदाता पत्र के साथ जोड़कर यदि कोई ऐसी व्यवस्था कर सकें, जिससे मतदाता अपने मतदान केन्द्र के अलावा देश में ऐसे केन्द्रों के रूप में कई मोबाइल सेन्टर्स भी बनाये जा सकते हैं, जिस प्रकार एटीएम कार्ड को स्वैप करके यूनीक बैंक एकाउंट नम्बर के माध्यम से ऑपरेट होता है, चाहे देश के किसी भी बैंक का एटीएम होता हो। इसी प्रकार, आधार कार्ड के माध्यम से एक ऐसा वोटर कार्ड बना दिया जाए या आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए ताकि जो गरीब व्यक्ति है, जो नौकरी के लिए किसी अन्य शहर में गया हुआ है या सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, कोई व्यापारी है, जो अपने गांव-शहर से दूर गया हुआ है और उसकी इच्छा है कि मैं देश के लोकतंत्र में अपना योगदान दूँ, लेकिन उसकी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, जिसके कारण वह चाहते हुए भी मतदान नहीं कर पाता है। किसी के परिजन अस्पताल में भर्ती हैं या किसी और मजबूरीवश अपने शहर से, अपने मतदान केन्द्र से दूर हैं, तो वह मतदान नहीं कर पाता है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस विषय में एक कमेटी की स्थापना की जाए, जो इन चीजों का अध्ययन करे कि किस तरीके से मतदान को आधिकतम किया जाए। इसके लिए मेरा निजी सुझाव है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाए और एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि मतदाता को अपने मतदान केन्द्र पर जाने की आवश्यकता न पड़े। जो मतदाता मतदान केन्द्र पर उपस्थित हैं, वे वहां मतदान कर लें और जो उससे दूर हैं, वे अपने किसी भी नजदीकी बूथ पर, जहाँ डिजीटली स्वैप करने से उसका मतदाता क्रमांक नम्बर वहां आ जाए और संबंधित विधान सभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में उसका मतदान हो जाए। बिहार के गांव का कोई व्यक्ति या राजस्थान के किसी गांव का व्यक्ति, जो दिल्ली में हो, वह अपने यहाँ मतदान कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है। इस व्यवस्था के दूरगामी परिणाम होंगे, जो इस देश के मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे।

हमारे स्कूलों में 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, जो दसवीं क्लास से बारहवीं क्लास तक के बच्चे हैं, वे हमारे देश की पीढ़ी हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। हमारे देश का भविष्य इन्हीं 15 से 18 साल के बच्चों पर निर्भर करता है। इनके मन में लोकतंत्र के प्रति एक अच्छी इमेज बनायी जाए। इनके मन में एक ऐसी भावना बनायी जाए ताकि इनके मन में यह बात आ सके, वे सोच सकें कि लोकतंत्र में हमारा मतदान करना बेकार नहीं जाता है। मतदान करना देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारा फर्ज-कर्त्तव्य है। यह कोई लालच और किसी अन्य चीजों से प्रभावित नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से भी निवेदन करना चाहूँगा कि मतदान के दौरान कुछ राजनीतिक व्यक्तियों या पार्टियों के द्वारा तरह-तरह की बातें, जैसे जाति-धर्म और प्रलोभन का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग सबूत मिलने पर उस पर कार्रवाई भी करता है। लेकिन, कार्रवाई करने में इतना समय लग जाता है कि जो व्यक्ति अनुचित काम करता है, वह बेखौफ होकर उसे करता रहता है क्योंकि उचित समय पर उस पर कार्रवाई नहीं होती है और ऐसा व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि बनकर अपने पूरे पाँच साल निकाल देता है। उसे कानून का कोई डर नहीं रहता है। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव आयोग को गलत जानकारी देता है, मतदाताओं को धमकाता है या धर्म के आधार पर वोट मांगता है, प्रलोभन

देता है, तो चुनाव आयोग उस पर तय समयसीमा के अंदर उस पर तुरंत कार्रवाई करके उसका नामांकन रद्द कर सके ताकि लोकतंत्र में उसकी आस्था बढ़े।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज हम लोग लोकतंत्र के जिस सबसे बड़े मंदिर में बैठे हैं, वहां हमारे कुछ साथियों ने सही काम नहीं किया। मैं पहली बार सांसद बना हूँ तथा पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैं मरीजों की सेवा करता था, तो बड़ा आनन्द अनुभव करता था। जब मैं गरीबों और अमीरों के बीच सेवा-भाव से काम करता था, तो मैं यह सोचता था कि यह मेरा सीमित क्षेत्र है, जब संसद में पहुंचूंगा, तो देश के बड़े-बड़े कामों में अपना योगदान करूँगा। लेकिन, जब मैं संसद में आया, तो मैंने देखा कि कुछ पार्टी के मेरे सांसद मित्रगण किस तरीके से वेल में आकर, प्ले कार्ड्स दिखाकर संसद की मर्यादा को तार-तार करते हैं।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

हमारी स्पीकर मैडम के सामने जिस तरह से प्लेकार्ड्स दिखाते हैं, जिस तरह से यहां लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हैं, उससे भी हमारे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास घटता है, लोगों को लगता है कि जब ये लोग संसद में जाकर ऐसी हरकतें करेंगे तो इनको वोट देने से क्या फायदा है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से, स्पीकर मैडम और सभी दलों से आग्रह करूंगा कि सदन में जो ऐसी अव्यवस्था चलती है, जो बच्चे और लोग यहां संसद की कार्यवाही देखने आते हैं या जो लोग लोक सभा टीवी एवं अन्य चैनलों के माध्यम से लोक सभा की कार्यवाही देखते हैं तो जनप्रतिनिधियों और राजनीतिज्ञों के प्रति उनमें गलत भाव बनता है। वह गलत भाव ऐसे ही लोगों द्वारा बनाया जाता है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए लोकतंत्र के इस मंदिर की मर्यादाओं को तार-तार कर देते हैं। ऐसे लोगों को मर्यादा में रखना भी हमें कानून के माध्यम से आना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि यहां आकर खुद नियम और कानून में नहीं रह सकता, वह देश के लिए क्या नियम-कानून बनाएगा, ऐसे व्यक्तियों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई का हमें प्रावधान करना चाहिए। हमारे बच्चे पूछते हैं, स्कूल के बच्चे पूछते हैं कि आपकी संसद ऐसी होती है, आप लोग वहां यही काम करते हैं। वे लोग इससे मतलब नहीं रखते की संबंधित व्यक्ति किस पार्टी

से ताल्लुक रखता है, वे कहते हैं कि संसद में ऐसी कार्यवाही होती है। इसकी वजह से भी लोगों का मतदान में रुझान कम होता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए, मतदान बढ़ाने के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी इस चीज पर विस्तृत विचार करे कि किस तरीके से देश में मतदान को बढ़ाया जा सकता है, ताकि लोगों की लोकतंत्र में आस्था बढ़े। जब लोकतंत्र में मतदान का प्रतिशत ज्यादा बढ़ेगा, लोग इसे एक उत्सव के रूप में लेने लगेंगे, लोग इसे जिम्मेदारी समझने लगेंगे तो उसी दिन से भारत प्रगति के पथ पर बढ़ेगा और नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी में विश्व में अग्रणी देश बनकर निकलेगा।

आपने मुझे इस पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपके प्रति आभारी हूं।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): सभापति महोदय, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा प्रस्तुत किए आनिवार्य मतदान संबंधी विधेयक पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में जो व्यवस्था है, वह मतदान के द्वारा ही चलती है। आजादी के बाद इस देश के सभी लोगों को बिना जाति, धर्म, सम्प्रदाय, अमीर-गरीब के भेदभाव के, वोट के रूप में एक ताकत दी गयी और इस ताकत का प्रयोग इस देश को चलाने के लिए इस देश के लोगों को करना था। उन्होंने किया भी, लेकिन जो अपेक्षाएं थीं कि मतदान के द्वारा एक ऐसी लोकप्रिय और विश्वसनीय सरकारों और जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो, जो उनके क्षेत्र की समस्याओं को उचित स्थान और उचित व्यक्तियों के समक्ष उठाकर, सदन में अपनी बात रखकर, उस क्षेत्र और देश के विकास में अपना योगदान करें। वे अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं, जिससे धीरे-धीरे लोगों का मतदान का प्रतिशत कम होता गया। इसके लिए मैं समझता हूं कि आजादी से पहले से के इतिहास पर हमें जरूर नजर डालनी चाहिए क्योंकि जिस समय हमारे देश में आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था, उस समय विचार करने वाले मुद्दे थे कि आजादी के बाद देश में क्या परिस्थितियां होंगी, देश को कैसे चलाना है, लेकिन उन पर विचार न करके, कुछ लोग कांग्रेस, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ एक संगठन था, कोई राजनीतिक दल नहीं था, के नाम का फायदा उठाकर किस तरह

से देश की सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचे, इसकी व्यवस्था में लगे रहे। जिसके लिए वास्तव में आजादी के बाद देश की क्या कार्ययोजना होगी, देश कैसे चलेगा, इसके लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं की गयी थी और उसी का परिणाम यह रहा कि वोट की ताकत का दुरूपयोग हुआ। वोट की ताकत को जाति-धर्म के नाम पर, भय और लालच पैदा करके धीरे-धीरे मतदान से लोगों का मोहभंग होने लगा। उसका दुष्परिणाम हम लोगों ने देखा है।

अभी कुछ दिन पहले इसी सत्र में जब सदन चल रहा था तो ऐसे लोग जिनकी संख्या इस सदन के कुल सदस्यों के पांच प्रतिशत से भी आधिक नहीं है, ऐसे लोगों ने वैल में आकर 95 प्रतिशत लोगों की आवाज दबाने का काम किया। इस तरह की घटनाओं से ही देश के लोग मतदान करने में पूरी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। हमने देखा है कि कैसे-कैसे आरोप यहां लगाए जा रहे हैं। हमारे नेताओं पर मिथ्या आरोप लगाकर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि जैसे उन्होंने कोई घनघोर अपराध कर दिया हो। जबकि वे अपने पाप भूल गए। भोपाल गैस कांड की जो त्रासदी हुई थी, उसका मुख्य आभियुक्त हिन्दुस्तान में मौजूद था और उसे भगाने का काम तत्कालीन सरकार और उस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने किया था। वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उसे हवाईजहाज में बैठाने के लिए गए थे। वे लोग सदन को इस बात से बाधित करने का प्रयास करते हैं कि एक कैंसरग्रस्त महिला को इलाज के लिए क्यों किसी देश को कहा गया। पति-पत्नी के सम्बन्ध होते हैं, आपको याद होगा, हमारे पप्पू यादव जी बैठे हैं। इनके प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री को जब जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्य मंत्री बना दिया था। पति-पत्नी के सम्बन्ध में अगर सहभागिता अपराध श्रेणी में मानी जाए, तो क्या उनकी पत्नी को मुख्य मंत्री बनना चाहिए था?

आज एक प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, जो नैतिकता की बहुत दुहाई देते हैं। वह सजायाफ्ता व्यक्ति के साथ मंच को साझा करते हैं। उसके बाद भी वह दावा करते हैं कि वह सुशासन कर रहे हैं। बिहार जैसे प्रदेश में फिर से उनकी सरकार आने वाली है, ऐसा भी वह दावा करते हैं। ऐसे दावों और घटनाओं को देखकर, वे लोग जो मतदान करना चाहते हैं, जिनकी स्वस्थ लोकतंत्र में आस्था है, उनके मतदान करने के आधिकार के प्रति मोहभंग होता है, परिणामस्वरूप मतदान का प्रतिशत कम होता है।

सभापति जी, ऐसे लोगों को अपने आइने में झांकना चाहिए। इस तरह से एक घटना बोफोर्स की हुई थी। आज एक मंत्री के ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने केवल यही कहा था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप अपने नियमों से इस कैंसरग्रस्त महिला को वीजा दे दें। भारत सरकार के पूर्व में एक कानून मंत्री थे, जिन्होंने बोफोर्स का मुलजिम क्वात्रोची था, जिसका खाता बंद कर दिया था, वह खाता ओपन कराने के लिए ब्रिटेन गए थे। वहां जाकर उन्होंने उसका एकाउंट खुलवाया था और उसने उस खाते से धन निकाल लिया था। ऐसे लोग आज की सरकार के मंत्री को मुलजिम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

हमने देखा है कि जब-जब देश में आधिक मतदान हुआ है, अच्छी सरकारें चुनी गई हैं। सभापति जी, आप 1977 को याद कीजिए। आप तो देश को दिशा दिखाने वाले नेता हैं और जमीन से जुड़े नेता रहे हैं। सन् 1977 में जब चुनाव हुआ था और आधिक मतदान हुआ था। उस समय सरकार बदली थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद क्या हुआ, एक राजनैतिक दल, जिसकी हमेशा से इच्छा रही है कि यह देश उसके लिए बना है। वास्तव में उस समय परिस्थितियां ऐसी ही थीं। देश के लोगों के लिए, देश में सड़क, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी के लिए कोई योजना नहीं थी। योजना सिर्फ यह थी कि किसे प्रधान मंत्री बनाना है। प्रधान मंत्री बनाने के लिए ही इस देश का विभाजन कर दिया गया, लेकिन प्रधान मंत्री का पद सुरक्षित रखा गया। उन्होंने केवल प्रधान मंत्री बनने के लिए ही विचार-विमर्श किया, उसीके लिए ही योजना बनाई और विचार किया। देश के लिए कोई योजना नहीं बनाई। उसीका परिणाम है कि उनके दल के लोग विपक्ष में रहते हुए भी यही मानते हैं कि वे सत्ता पक्ष में हैं। जब-जब उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा है, उन्होंने यही सोचा है।

सभापति जी, मैं सदन में पहली बार चुनकर आया हूं। इससे पूर्व मैं विधायक रहा हूं। लेकिन आपकी योग्यता और ज्ञान के बारे में कुछ बताऊं, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 1977 में जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही तो उसका व्यवहार कैसा था। उन्होंने आपातकाल में क्या किया था। सदन में चुने हुए नेताओं को बिना दोष और वारंट के जेलों में भेज दिया था। इसी तरह 1989 में जब माननीय राजीव गांधी जी यहां पर विपक्ष के नेता के तौर पर थे, तो चंद्रशेखर जी की सरकार को समर्थन दे रहे थे। लेकिन उन्होंने विपक्ष के नेता का पद नहीं छोड़ा था। उसके बाद वह विपक्ष के नेता भी बने रहे और उस सरकार के भी

साथ रहे। इसी तरीके से 1996 और 1998 में देवेगौड़ा जी और गुजराल की सरकारों के समय हुआ। सन् 1999 में तो हद हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए ऐसा लगने लगा था, जब सदन में कारगिल युद्ध पर बहस हो रही थी, कि वह पाकिस्तान का पक्ष ले रही है। इन्होंने केवल इतना ही नहीं किया, राज्य सभा का भी दुरुपयोग किया गया है। राज्य सभा का जो सदन है, वह लोक सभा के जो बिल हैं या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जिन पर अंकुश रखने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस जब-जब विपक्ष में रही है, कांग्रेस ने राज्य सभा का दुरुपयोग किया है। लोक सभा के कामों को बाधित करने का काम किया है। उन्होंने लगातार ऐसे प्रयास किए हैं, जिससे लोक सभा में चुनी हुई सरकार और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के कामकाज को रोकने का प्रयास कांग्रेस ने राज्य सभा के द्वारा किया है। मैं तो यह चाहता हूं कि इस व्यवस्था में बदलाव लाया जाना चाहिए। लोक सभा का चुनाव हो, उसके बाद हर बार लोक सभा के चुनाव के बाद राज्य सभा का पुनर्गठन किया जाए। जितने दल जिस अनुपात में यहां सीटें लेकर आते हैं, उनके प्रतिनिधि राज्य सभा में जाएं। राज्य सभा उच्च सदन है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य सभा का काम लोक सभा में चुनी हुई लोकप्रिय और जनप्रिय सरकार के कामों को रोकना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग यह सब कर रहे हैं। इस तरह के राजनैतिक दलों की वजह से ही देश में ऐसा वातावरण बनता है कि लोगों का मतदान करने का मन नहीं होता है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब-जब सरकार बनी और कम मतदान हुआ है, उसका दुष्परिणाम हमारे देश को भोगना पड़ा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सन् 1998 से 2004 तक चली थी। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था, सड़कों का जाल बिछाया था, देश की सीमाएं सुरक्षित की थीं और देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद चुनाव आए, जिसमें मतदान कम हुआ और मतदान कम होने की वजह से ऐसी सरकार चुनी गयी जो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को प्रधानमंत्री तक नहीं बना पायी। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिन्होंने सीधे-सीधे कोई चुनाव नहीं जीता था। जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, वह उन्हें के प्रति जवाबदेह रहे। उन्हीं के प्रति जवाबदेह रहने के कारण इस देश में पिछले दस साल में भुखमरी आयी, गरीबी आयी, महंगाई आयी। कोयला,

2जी स्पेक्ट्रम घोटाला और इसी तरह के लाखों-करोड़ों रुपये के घोटाले हुए, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया में देश का सम्मान घट गया, देश की सीमाएं असुरक्षित हो गयीं। आतंकवाद, महंगाई और भ्रष्टाचार इस देश में पूरी तरह से फैल गया था। इस देश के लोगों को लगने लगा था कि यह देश बचेगा या नहीं? ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने नरेन्द्र मोदी जी के रूप में अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया तो इस देश के हताश और निराश लोगों को एक आशा की किरण दिखायी दी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके एनडीए की सरकार बनायी। उसके परिणामस्वरूप आप सभी ने देखा है कि एक साल के अंदर ही परिस्थितियां बदलने लगीं। अब लोगों को लगने लगा है कि यह सरकार ठीक ढंग से काम कर रही है। अब उन्होंने हम लोगों को राज्य सभा में ही रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं रोक पा रहे थे और उनको लग रहा था कि मोदी जी तो जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान और स्वीकार्यता बढ़ रही है। देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं। आतंकवादी घटनाओं पर हमने अंकुश लगाया था, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, महंगाई को कंट्रोल किया, शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं चलायीं। स्वच्छता आभियान चलाया, सब पढ़ें-सब बढ़ें और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी बहुत सारी योजनाएं बनायीं। इस सरकार ने तय किया कि हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था कि हम देश की कमजोरी को दूर करते। हमारी सरकार ने तय किया कि जब तक हम इस देश में रहने वाली 60 लाख से आधिक महिलाओं को उनका सम्मान नहीं दिलाते, निर्णयों में उनकी भागीदारी नहीं करते, उनके लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था नहीं करते, तब तक यह देश मजबूत नहीं हो सकता है। 40 करोड़ गरीब लोग, जो रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को यदि हम रोजगार उपलब्ध नहीं कराते हैं तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने तय किया कि उत्तर-पूर्व के हमारे जो राज्य हैं, जम्मू-कश्मीर है, जिसके बारे में भारत के नेताओं को रोज़-रोज़ कसम खानी पड़ती थी कि जम्मू-कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। लोग कहते थे कि उत्तर-पूर्व का फलां प्रदेश हमारे देश का हिस्सा है। यह हम लोगों को कहना पड़ता था, लोगों को समझाना पड़ता था। हमारी सरकार ने तय किया कि उत्तर-पूर्व के जितने भी राज्य हैं, उनमें शिक्षा की, कनेक्टिविटी की ऐसी सुविधाएं करेंगे और रोजगार लाएंगे कि वहां के लोगों को लगे और वे स्वयं कहें कि हम इस देश का हिस्सा हैं

और उसका परिणाम आपने देखा कि अभी नगालैंड के आतिवादी संगठन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा समझौता किया है।

हमने जम्मू-कश्मीर के ऐसे लोगों के साथ सरकार बनायी, जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते थे। इसको इस सदन में स्वीकार करने में कोई हर्ज़ नहीं है। लेकिन हमने इसलिए सरकार बनायी कि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो हमारे संस्थापक थे, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में बलिदान दिया था। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जब से हमने सरकार बनायी है, एक बार भी किसी नेता को यह नहीं कहना पड़ा होगा कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है। वहां तिरंगा फहराया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनायी है। अब किसी को यह दुहाई नहीं देनी पड़ती कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है। इस तरह के काम हो रहे थे। हम लोग बहुत सारी योजनाएं लाये। हम लोगों ने गरीबों की चिंता की, एक-एक गरीब के लिए हम लोग जनधन योजना लाए। पहले लोगों ने बहुत शोर मचाया कि जनधन योजना क्या है। जनधन योजना के माध्यम से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खुले और खाते उन लोगों के खुले हैं, जिनके खाते बैंक में थे, उनके नहीं खुले, खाते उन लोगों के खुले, जिन लोगों ने कभी बैंक का दरवाजा नहीं लांघा था। ऐसे गरीब लोगों के खाते खोलने के पीछे उद्देश्य उन्हें दी जाने वाली सहायता है। सरकारें आती हैं, सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी इसलिए दी जाती थी कि हमारे जो गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें हम देश की मुख्य धारा में लायें, लेकिन वह सब्सिडी कहां जाती थी, इसका पता नहीं चलता था। भारत की सरकार ने तय किया कि हम जनधन योजना के माध्यम से बैंकों से सारे ऐसे गरीब परिवारों को जोड़ेंगे और सब्सिडी सीधे उनके खाते में देंगे और वह सब्सिडी उनके खाते में देने का काम प्रारम्भ किया। उसके लिए प्रोत्साहन दिया, पांच हजार का ओवरड्राफ्ट देते हैं, एक लाख का बीमा देते हैं। एक लाख का दुर्घटना बीमा है और एक लाख का सामान्य बीमा है। प्रधान मंत्री बीमा योजना के द्वारा केवल 12 रुपये में दो लाख रुपये का बीमा दिया। 330 रुपये खर्च करके दो लाख रुपये का बीमा दिया। ये वे चालीस करोड़ गरीब लोग हैं, जिन्हें हमने यह व्यवस्था दी है कि उनको आर्थिक संबल मिले, उनकी आर्थिक सुरक्षा हो और आज एक-एक गरीब के पास 6-6 लाख रुपये की आर्थिक सुरक्षा है, उन्हें लगता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। उनके रोजगार की हमने व्यवस्था की, हमने ऐसा किया है। जैसा अभी रूडी जी बैठे थे, स्किल

डैवलपमैन्ट के माध्यम से भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम ऐसे हर नौजवान को जो गांव में रहता है, कस्बे में रहता है, शहर में रहता है, वह पढ़ाई में भले ही पिछड़ गया हो, लेकिन उसे अगर कोई काम सीखना है, वह कोई काम जानना चाहता है तो वह काम को सीखे, आगे बढ़े और अपने स्किल के द्वारा वह रोजगार प्राप्त करे। उसके लिए यह सुविधा दी गई है कि पांच हजार से दस लाख रुपये तक भारत सरकार ने देने का मन बनाया है।

महोदय, महिलाओं के सशक्तीकरण की बात की गई है। ये सारे वे मुद्दे हैं, जो हमारी कमजोर नसें थी, आज हमने एक साल के अंदर ही सारे माहौल को बदला है और माहौल को बदलकर आज परिस्थितियां यह बनी हैं कि आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान एक साल के अंदर बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवादियों के विरुद्ध म्यांमार में जो घटना हुई, हमने किसी को बताया नहीं, लेकिन जहां जवाब देना था, वहां जवाब दिया गया। पाकिस्तान में भी जवाब दिया जा रहा है। लोग अपने आप कहने लगे हैं कि यह देश आतंकवाद से मुक्त होगा और ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि हमारे देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं और देश का सम्मान भी बढ़ा है। हम बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाएं हैं, जिनसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है, लेकिन अब जब उन्हें लगने लगा कि इस तरीके का वातावरण बनता जा रहा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मतदान के प्रति लोगों में अरुचि क्यों होती हैं, मतदान के प्रति अरुचि इसलिए होती है कि हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि सरकार हमारी चिंता करेगी, लेकिन सरकार अगर यह करे कि उसमें बैठे हुए कुछ ऐसे लोग भी चुने जाएं, जो जाति, धर्म या लालच और भय के कारण चुने जाते हैं या अपने विभिन्न प्रकार के हथकंडे लगाकर चुन जाते हैं, जिसके कारण एक चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका जाए। ऐसे जो परिणाम होते हैं, उनके कारण लोगों की मतदान के प्रति अरुचि होने लगती है। लोगों का लोकतंत्र से विश्वास घटने लगता है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर रोक के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल मीडिया केवल उन चीजों को दिखा रहा है, जिससे उनकी

टीआरपी बढ़े और उनकी टीआरपी इसीलिए बढ़ती है, क्योंकि हमारे यहां का बहुत सारा मीडिया बाहर से वित्त पोषित होता है। विदेशों से वित्त पोषित मीडिया भारत को मजबूत नहीं देखना चाहता, जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो यहां चुनकर आएं, उनका व्यवहार, उनका काम-काज करने का तरीका, उनका जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का ढंग है, नियमों-कानूनों का जानने की बात है, अगर वे पहले अपने ढंग को ठीक करेंगे और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो पूरे देश का लोकतंत्र में विश्वास जागेगा और लोगों को लगेगा कि मुझे मतदान करना चाहिए। आप उदाहरण देख लीजिए कि जब-जब सरकारें बदली हैं, चाहे जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे जब अटल जी की सरकार आई और चाहे मोदी जी की सरकार आई, हर बार मतदान बढ़ा है और मतदान का प्रतिशत जब बढ़ता है, जब लोगों को अंदर से लगता है कि नहीं अब हमें देश के भले के लिए मतदान करना चाहिए। हम बहुत सारे कानून बना दें, प्रतिबंध लगा दें, उससे मतदान का प्रतिशत बढ़ने वाला नहीं है। मतदान का प्रतिशत स्वप्रेरणा से बढ़ेगा। स्वप्रेरणा से लोकतंत्र में जब विश्वास बढ़ेगा तो मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो पहले चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वे अपने ढंग से आदर्श प्रस्तुत करें। जिस तरीके का यहां वातावरण बनता है, जिस तरीके के वे काम करते हैं, उससे मतदान का प्रतिशत बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए सभापति जी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि हम लोग ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, जिनके कारण यहां पर जो लोग हैं, उनका आदर्श प्रस्तुत हो, लोगों का विश्वास जगे।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूँ कि हम लोग ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, जिसके कारण यहां पर जो लोग हैं, उनका आदर्श प्रस्तुत हो, उनका विश्वास जागे, लोगों का लोकतंत्र के प्रति यह विश्वास हो कि हम जिनको चुन कर भेज रहे हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लिए काम करेंगे। इसी तरीके से मैं दूसरी जो बात कहना चाहता हूँ, वह यह है कि जैसे अभी डॉ. मनोज राजोरिया जी कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि लोग मतदान स्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए मतदान नहीं कर पाते हैं। मतदान के लिए एक दिन फिक्स होता है, उस दिन किसी का काम भी पड़ सकता है। जिसके कारण अगर आनिवार्य मतदान करने की बात भी हम करें तो उसमें बाधाएं आती हैं। मेरा यह कहना है कि मतदान स्थल कोई हो, जो उन्होंने कहा है कि डिजिटल

वोटिंग की व्यवस्था की जाए कि हम जहां पर भी उपस्थित हैं, वहां पर हम मतदान कर सकें और एक दिन के बजाय एक से तीन दिन या एक से पांच दिन या एक से सात दिन तक मतदान जहां पर भी वह चाहे कर सके। अगर किसी तरह की व्यवस्था की जाएगी तो गुप्त मतदान का जो हमारा सिस्टम है, वह भी प्रभावित नहीं होगा और लोग भी अपनी सुविधा के अनुसार मतदान स्थल जो उनके पास होगा और जब समय होगा, वे मतदान कर सकते हैं। एक से सात दिन तक मतदान हो उसके बाद काउंटिंग हो। आदर्श लोग प्रस्तुत करें जो जनप्रतिनिधि चुने जाएं। इससे हम लोग मतदान के प्रतिशत को बढ़ा सकेंगे। यही मेरा अनुरोध है। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए। आनिवार्य मतदान हम लोग करेंगे, इस दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है, लेकिन इसको कानून प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। स्वप्रेरणा के द्वारा लोगों के अंदर इस तरीके का भाव पैदा करना चाहिए कि उनके अंदर लोकतंत्र के प्रति विश्वास हो, अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास हो, और उनको लगे कि जिनको हमने चुना है, जिस सरकार को चुना है, यह देश के लिए अच्छा काम करेगी, हमारे लिए अच्छा काम करेगी, देश खुशहाल होगा, लोग खुशहाल होंगे तो स्वयं ही लोग प्रेरित हो कर मतदान स्थल तक आएंगे और मतदान करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

<u>अपराह्न 4.22 बजे</u>

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक – पुरःस्थापित

[हिन्दी]

माननीय सभापति: दो माननीय सदस्यों के बिल हैं, जो उस सयम नहीं थे, अब उनको पुरःस्थापित करना है। उनसे आग्रह है कि वे पुरःस्थापित करेंगे।

मद संख्या 73 डॉ. उदित राज।

(इकतालीस) वर्षाजल (अनिवार्य संरक्षण) विधेयक, 2015[52*]

[अनुवाद]

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक गृहस्थी, व्यवसाय स्थापन और सरकारी भवन द्वारा वर्षाजल के आनिवार्य संचयन और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्रश्न यह हैः

> " कि जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक गृहस्थी, व्यवसाय स्थापन और सरकारी भवन द्वारा वर्षाजल के आनिवार्य संचयन और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

[अनुवाद]

डॉ. उदित राज: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

[52*] भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-II, अनुभाग 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.22 ½ बजे

(बयालीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015[53*]

(अनुच्छेद 51 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्रश्न यह हैः

" कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री पी.पी. चौधरी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[53*] भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-II, अनुभाग 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.23 बजे

(तैंतालीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015[54*]

(अनुच्छेद 124 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्रश्न यह हैः

> " कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री पी.पी. चौधरी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[54*] भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-II, अनुभाग 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.23 ½ बजे

(चवालीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015[55*]

(अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्रश्न यह हैः

> " कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री पी.पी. चौधरी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[55*] भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-II, अनुभाग 2, दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.24 बजे

(पैंतालीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015[56*]

(नए अनुच्छेद 324क का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्रश्न यह हैः

" कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री पी.पी. चौधरी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[56*] भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-II , धारा 2 दिनांक 07.08.2015 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.25 बजे

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 — जारी

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल के लिए सीग्रीवाल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि हम अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अतीत को भूल जाते हैं। शिव के काल से लेकर आज तक सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण के खिलाफ इस भारत के अनेक ऋषि-मुनियों ने, अनेक महापुरूषों ने समय-समय पर इस दुनिया में आकर मानव कल्याण के लिए, सार्वभौमिक समाज के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए अनेकों कुबारनियाँ दी हैं। चाहे शिव हों, उन्होंने भी मनुष्य के निर्माण की कल्पना की। जब कृष्ण आए तो उन्होंने भी मानवीय निर्माण के लिए कर्म योग की सम्भावनाओं को यहाँ तलाशा। राम आए तो उन्होंने चरित्र के निर्माण की कल्पना की। मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने सम्पूर्ण मानव को प्रेम, मदद और दया के सवाल पर समाज को ले चलने की कल्पना की। इसी तरह से नानक, बुद्ध, कबीर थे। हमारे विवेकानन्द जी आए तो प्रथम तौर पर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैन मेकिंग के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मानव निर्माण की कल्पना जीवन का सबसे मूल लक्ष्य होना चाहिए।

मुझे लगता है कि आनिवार्य मतदान करने से पहले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, भाषा और क्षेत्रवाद, लिंग आदि के सवाल पर सोचना चाहिए। आजादी के सैंकड़ो, हजारों वर्ष से लेकर आज तक, जब तक इस शोषण के सामाजिक गैप को आप दूर नहीं करेंगे, जिस तरीके का शोषण आज भी इस दुनिया में 90-92 प्रतिशत लोगों के बीच है। भारत की लगभग 124 करोड़ की आबादी में 82 प्रतिशत लोग 27 रूपए से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में 82 प्रतिशत लोग ऐसे हैं। शैक्षणिक रूप से आठ प्रतिशत भी समाज के आन्तिम व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है। आर्थिक रूप से 78.8 प्रतिशत लोगों की, नए सर्वे के मुताबिक, 4,800 से ज्यादा हमारी मासिक आय नहीं है। जिस देश में व्यक्ति 24 रूपए में एक दिन खाए और इस हिन्दुस्तान में डाबरमैन के कुत्तों पर, पप्पू यादव के कुत्तों पर 300 रूपया एक दिन में खर्च हो। ऐसे में यदि हम आनिवार्य

मतदान की कल्पना करते हैं तो मुझे आश्चर्य होगा। आप याद करिए कि राजा-महाराजा भी अपने बच्चों को गुरूकुल में भेजा करते थे। वे इसलिए उन्हें गुरूकुल में भेजा करते थे ताकि बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक रूप से मनुष्य के रूप में उनका निर्माण हो सके। सभी ने कल्पना की, हमारे गाँधी जी ने भी कल्पना की, सुभाष चन्द्र बोष ने भी कल्पना की, पटेल, महात्मा फुले, पेरियार आदि सभी लोगों का इस देश में जो संघर्ष रहा, महोदय, आप तो इस संघर्ष के प्रतीक बिहार में रहे हैं, आप लड़ते रहे हैं, सभी लोगों का जो संघर्ष रहा है, सबका लक्ष्य सिर्फ मनुष्य था। मनुष्य के आस्तित्व के लिए, मनुष्य के निर्माण के लिए, मनुष्य के शोषण को रोकने के लिए, मनुष्य की सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति के लिए सभी का संघर्ष रहा है।

आजादी के बाद में राम विलास पासवान जी या जीतन राम माँझी या अन्य व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, राम विलास पासवान जी के कपड़े उठाने में पप्पू यादव को, पप्पू झा को, पप्पू सिंह को कोई दिक्कत नहीं है। इनकी थाली हम धोते हैं लेकिन गाँव में हम जाते हैं तो पप्पू पासवान के शरीर की गंध से ही सौ किलोमीटर दूर होते हैं। तो आज़ादी के 67 साल के बाद क्या यही सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है? आज भी 90-99 प्रतिशत स्थिति जो समाज के गरीबों की है, कमज़ोरों की है, मछुआरों की है, वह दयनीय है। इस देश में आप देखिये कि कब देश की आज़ादी पर प्रथम बार वोट मिला? देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस को जो लंबे समय राज करने का मौका मिला, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि देश की आज़ादी में लोगों की अवधारणा बनी कि कांग्रेस एक समाज था, कांग्रेस एक ताकत थी, विचारधारा थी, कांग्रेस ने ही हमें आज़ाद कराया और लंबे समय तक उनको वोट का आधिकार मिला। लेकिन इस देश में वोट का आधिकार आप देखिए तो याद करिए कि आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी की शहादत जब हुई तो लोगों ने कहा कि इस देश में राजीव जी टुअर हो गए, वोट डाल दो। सबसे पूछा तो कहा कि टुअर हो गए। विवेक से क्या वोट पड़ा? इस देश में मंडल और कमंडल के नाम पर वोट पड़ा। मंडलवादी एक हुए और कमंडलवादी एक हुए। कमंडलवादी जब एक हुए, तब एक वोट पड़ा। मंडलवादी जब एक हुए, तब एक वोट पड़ा। [अनुवाद]इस देश में रोटी के सवाल पर, विकास के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर, नैतिकता के सवाल पर सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक क्रांति के सवाल पर कभी भी हिन्दुस्तान में वोट नहीं पड़ा।

माननीय सभापति: एक मिनट रुकिए।

चूँकि इस विधेयक के लिए जितना समय निधाररित था, वह समय समाप्त हो चुका है। सभा की सहमति हो तो इस विधेयक के लिए एक घंटा समय और बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय सभापति: इस विधेयक का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

राजेश रंजन जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजेश रंजन**:** सभापति जी, इस देश में हमेशा से भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, लिंग के नाम पर वोट दिया गया है। यदि जाति और धर्म नहीं हों तो इस सदन में बैठने वाला एक भी सांसद चुनाव जीतकर न आए। सवाल उठता है कि जाति ज़हर बन चुकी है और जाति को ज़हर बनाने वाले लोग कौन हैं? जब महाभारत के काल में कृष्ण ने कर्मयोग की बात उठाई थी और समाज में जिस तरीके से एक ही परिवार में ज्ञान देने वाले को ब्रह्म कहा गया, काम करने वाले को शूद्र कहा गया, व्यापार करने वाले को वैश्य कहा गया, संघर्ष करने वाले और लड़ने वाले को क्षत्रिय कहा गया। यह जाति व्यवस्था इस दुनिया में कब आई? राजा-महाराजाओं के काल के बाद शंकराचार्य का जो विराट काल रहा, तब के बाद से जाति व्यवस्था के आवरण से शोषण की नई पद्धति की शुरुआत हुई। शोषण की शुरुआत आदम काल से है लेकिन शोषण की जो पद्धति की शुरुआत इस समाज में हुई, राजा-महाराजाओं के काल के बाद, फिर ज़मींदारी प्रथा के बाद और फिर आज तक, कभी भगवान के नाम पर, कभी भाग्य के नाम पर, कभी किस्मत के नाम पर आडंबर और कर्मकांड में व्यक्ति को जोड़कर भाग्य और किस्मत के सहारी से जीने वाले लोग आज इस हिन्दुस्तान में गरीब लोग हैं। राम और कृष्ण की रामध्वनि करने वाले कौन लोग हैं? पप्पू यादव का बेटा-बेटी रामध्वनि करने नहीं जाता है। रामध्वनि करने जाता है जो मेरे यहाँ काम करता है, उस पप्पू पासवान का बेटा बेटी। आप जाकर देखिये किस तरह समाज को बांटकर रखा गया है। यदि आप रामध्वनि करने वाले, कृष्ण का नाम लेने वाले, भगवान का नाम लेने वाले किसी गरीब से पूछिये तो वह कहेगा कि मेरी किस्मत में ही यही है, मेरा भाग्य ही सही नहीं है, भगवान के भरोसे है।

मुझे तो एक बार बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने किसी से पूछा कि आज से सौ साल पहले जो मेरे दादा के यहाँ काम करते थे, आज उसका पोता मेरे साथ काम करता है, यह गरीबी क्यों? तो एक ज्योतिष ने, पंडित जी ने हमको कहा कि ये लोग इतना पाप कर चुके हैं कि बैंक बैलैंस निकल ही नहीं रहा है। मैंने कहा कि जो लोग हिन्दुस्तान में राज कर रहे हैं, नेहरू जी ने राज किया, अन्य लोगों ने राज किया, तो उसने कहा कि वे इतना पुण्य कर चुके हैं कि इनका बैंक बैलैन्स पुण्य से खाली ही नहीं हो रहा। मुझे आश्चर्य लगा कि इनका बैंक बैंलैन्स पुण्य से खाली नहीं हो रहा और गरीब का पाप का बैंक बैलैन्स खत्म नहीं हो रहा है। [हिन्दी]क्या सवाल इस देश में हैं? इसलिए जो वोट का सवाल है, आप हमें बता दो कि यदि जाति नहीं है तो गठबंधन किस काम का? क्या विचारों पर गठबंधन हो रहा है? जाति के नाम पर आज बिहार में जो गठबंधन हुआ है, यह जाति के आधार पर गठबंधन हो रहा है या विचारों के आधार पर गठबंधन हो रहा है?

इस हिन्दुस्तान में यदि वोट को इतना ही कम्पलसरी करना चाहते हैं तो फिर आजादी के बाद याद करिये, सबसे पहले खैरात देने की शुरूआत, सभापति महोदय, आपको याद होगा, एन.टी. रामाराव जी की सरकार में दो रुपये किलो चावल देने की परम्परा की शुरूआत हुई थी। एम.रामचन्द्रन जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी फ्री देने की शुरूआत हुई थी। याद करिये, बीजू दादा नहीं रहे, सबसे ज्यादा माइन्स और सबसे ज्यादा अभ्रक, सबसे ज्यादा लोहा कहां है, उड़ीसा में है। दुनिया का सबसे ज्यादा माइन्स, अभ्रक और लोहा कालाहान्डी में है और कालाहान्डी में सबसे ज्यादा अभ्रक और माइन्स हैं और सबसे ज्यादा मौत से मरने वाली और गरीब भी कालाहान्डी है। दो किलो चावल और चार किलो आटा देकर 35 सालों से उड़ीसा में देकर के आज सबसे आन्तिम पायदान में भारत में कौन है, उड़ीसा। फ्री देने की आदत, मिड डे मील, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा, आंगनबाड़ी, नरेगा, मनरेगा, ठीक है, आपने इन सामाजिक चीजों के लिए दिया, मेरी उस पर कोई आपत्ति नहीं है कि आदमी जिंदगी जी सकता था।

आजादी के 67 साल के बाद आप 82 प्रतिशत लोगों के लिए फूड बिल लाते हो, जिसकी थाली में खाना नहीं होता है। क्यों खाना नहीं है, हिन्दुस्तान के इतिहास में खाना उनके लिए क्यों नहीं, मैं जानना चाहता हूं। 67 साल के बाद इस पर बहस नहीं करिएगा, हिन्दुस्तान में दवाई के बगैर, पैसे के अभाव में 07.34 करोड़

लोग साल में मरते हैं, 33 लाख लोग यदि भूख से मरते हैं तो वे गरीब होते हैं। 12.33 लाख यदि कर्ज से मरने वाले किसान हैं तो वे गरीब हैं। आखिर इसका कारण क्या है कि हिन्दुस्तान की आजादी के 67 साल के बाद, याद करिये, आजादी के वक्त 41 करोड़ आबादी थी, उनमें से 21 करोड़ किसान थे, तब हमारा आमदनी थी, 15.3 और जब हम 67 प्रतिशत किसान हुए, तब हमारी आमदनी हो गई तीन पाइंट कुछ, आज भारत में 8.2 प्रतिशत किसानों के पास पक्के मकान नहीं हैं। आज भारत में 4.6 प्रतिशत लोगों के पास दो जोड़ी बैल नहीं हैं। 2.3 लोगों के पास ट्रैक्टर्स नहीं हैं, 3.6 प्रतिशत लोगों के पास बोरिंग नहीं हैं, उस हिन्दुस्तान में हम कौन सी कल्पना कर रहे हैं। 18.8 प्रतिशत हमारी शैक्षणिक ग्रोथ है और सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा साउथ, केरल और सबसे ज्यादा अन्ध भक्ति भी वहीं है। 6 महीने गर्भ में बच्चे रखने वाले हम लोग और तीन साल के, 6 साल के बच्चे को हम लोग वहां पर सामाजिक कारणों से भगवान पर दान दे देते हैं। यह हमारा भारत है। आज भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया, पूनिया जी को, यह मेरा भारत है। समाज की स्थिति कहां पर है।

हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा किसान और सबसे बुरी स्थिति भारत में किसानों की है। 49 लाख हजार हैक्टेयर जमीन खाली है और बिहार की स्थिति, सीग्रीवाल साहब, आप जानते हैं, 78.8 प्रतिशत आदमी 4600 रुपये में गुजर-बसर करता है और 82 से ऊपर 24 रुपये के नीचे, भारत का 27 रुपये है और बिहार का 24 रुपये है। बिहार में एजुकेशन की ग्रोथ क्या है, आप भी जानते हैं, आठ पोइंट कुछ है, सबसे ज्यादा तो हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं, हम जब इन चीजों की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि क्या है, बेघर जाति का। इस भारत में क्रान्ति कब हुई है? 1942 के बाद कौन सी क्रान्ति हुई, जे.पी. और लोहिया जी ने जब वैचारिक लड़ाई और संघर्ष की शुरूआत की तो क्या था, शोषण के खिलाफ। किसका शोषण था? लम्बे समय से देश में जो लोग राज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का एक परिवर्तन हो, दुनिया में एक परिवर्तन की कल्पना थी, वह इकोनोमिकल ग्रोथ के लिए थी। भारत में एक परिवर्तन की कल्पना आई, सामाजिक न्याय के ग्रोथ के लिए, लेकिन हुआ क्या? सम्पूर्ण विकास की कल्पना की गई, सम्पूर्ण मानव की कल्पना की गई, याद करिये, आप ही कहा करते थे, हमको आपका एक भाषण याद आ गया, सभापति जी, गोपालकृष्ण गोखले जी ने 1911 में समान एजुकेशन की बात की थी। महात्मा फूले और पेरियार जी ने सबसे ज्यादा अपनी बातों में क्या कहा

था, उन्होंने कहा था सबसे अत्यधिक कर देने वाला दलित है, गरीब है, कमजोर वर्ग है तो सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन का कमजोरों पर, गरीबों पर, दलितों पर खर्च होना चाहिए, आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में क्यों नहीं हुआ? क्यों समान एजुकेशन आज तक नहीं है, 1964 और 1966 में पहली बार एक आयोग बना था, याद करिये, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने समान एजुकेशन के बारे में कल्पना की थी। उसके बाद दूसरा आयोग बना - मुचकुंद दूबे आयोग। उसने एजुकेशन के बारे में कहा कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कम्पलसरी क्यों होना चाहिए।

महोदय, अभी स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट आयी है। मैं भारत सरकार से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्लीनिकल एक्ट के बारे में राय दी थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लीनिकल एक्ट लागू होनी चाहिए। अमेरिका और जापान ने एक सर्वे किया कि भारत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण इसका मेडिकल सिस्टम है, यानी दवाई और जांच। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शैक्षणिक अव्यवस्था, शैक्षणिक माफिया। यह जो शैक्षणिक अराजकता है, आप इससे भटक जाएंगे। यह जो मेडिकल सिस्टम में अराजकता है, यह जो माफियागिरी है, तो एम्स को छोड़ दीजिए और यह बताइए कि बिहार में कौन-सा अस्पताल है, जहां दवाई मिलती है? कौन-सा अस्पताल है, जहां वेंटिलेटर की सुविधा है? इसमें गरीबों की स्थिति क्या है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस बात को आपने उठाया है, उसमें सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखे बिना क्या आप कुछ कर सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि इससे कौन-सी क्रांति होगी? इससे सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा। आप समान एजुकेशन की कल्पना भी नहीं करेंगे। एक तरफ, दुनिया के सबसे महंगे अस्पताल में पप्पू यादव का बेटा-बेटी स्वास्थ्य लाभ करेंगे, और दूसरी तरफ, सबसे खराब अस्पताल में, जहां कुत्ता बैठा रहता है, वहां हिन्दुस्तान का अंतिम गरीब व्यक्ति इलाज कराएगा। क्या वैसे अस्पताल में गरीबों का स्वास्थ्य लाभ होगा?

सभापति महोदय, बिहार में 8,600 गांव हैं और उनमें से 5,400 गांवों में मध्य विद्यालय तक नहीं है। 4.2% विद्यालयों में टीचर नहीं हैं। जो टीचर हैं, वे भी वैसे हैं, जिनकी न तो क्वांटिटी है और न ही क्वालिटी। वहां बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? वहां डॉक्टर कैसे हैं, क्या इसके बारे में आपने

कभी सोचा है? इसलिए यदि हम गरीबों के बेसिक सवालों को नहीं उठाएंगे, और यदि हम उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक कल्पना नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।

वोट, वोट तो दारू पर दिया जाता है। हम खरीदते हैं। इस हिन्दुस्तान में वोट तो पैसे पर बिकते हैं। अभी बिहार में विधान परिषद के चुनाव में क्या हुआ? इसे बंद करिए। मैं तो यह कहूंगा कि यदि हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो बिहार का विधान परिषद भी बंद होना चाहिए। वहां कौन गया -गांजा माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, शराब माफिया। ये सब के सब विधान परिषद में गए और सब पैसों से खरीदे गए। उन्होंने 1200 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्हें टिकट किसने दिया? सिग्रीवाल साहब, टिकट नेता ने दिया। टिकट किसको दिया जाता है? सिग्रीवाल साहब, यदि आपकी जाति के लोग छपरा में हैं, शिवहर में हैं तो आपको टिकट मिलेगा। अगर आपके पास पैसा है, ताकत है तो आपको टिकट मिलेगा। यदि एक कॉमन आदमी को टिकट देने की बात है तो एक डी.जी.पी. नौकरी से हट कर बेगूसराय से चुनाव लड़ने गए थे। उन्हें तीन हजार वोट भी नहीं मिले। क्या इस देश में वोट मिलेगा, जहां पर नैतिक और ऊंचे मूल्यों की बात नहीं होगी, जहां पर लम्बा इकोनॉमिक गैप होगा? क्या वहां पर आप कम्पलसरी वोटिंग की बात करना चाहते हैं? इस हिन्दुस्तान में इसका सवाल ही नहीं उठता।

महोदय, मैं एक बात का आग्रह करना चाहूंगा। इतने लम्बे गैप के बाद और इतने लम्बे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण के गैप के बाद हिन्दुस्तान में कम्पलसरी वोटिंग की कल्पना नहीं की जा सकती? हम कभी टुअर होने के सवाल को, कभी मंडल को, कभी कमंडल के सवाल को उठाते हैं। लेकिन जिस हिन्दुस्तान ने रोटी के सवाल पर, भय के सवाल पर, भूख के सवाल पर कभी क्रांति न की हो, और जहां हमेशा भाषा और क्षेत्रवाद के आधार पर बात की गयी, उस हिन्दुस्तान में यदि हम इसकी कल्पना करें तो क्या होगा?

महोदय, दिल्ली में क्या हुआ? वाइ-फाइ फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे और अगर उनका बस चलता तो वे यमुना में दूध भी फ्री कर देते? वोट किसे मिला? यहां के बौद्धिक लोगों ने वोट किस पर दिया? यहां की महिलाओं ने वोट किस पर दिया? उन्होंने वोट दिया कि आधी कीमत पर उन्हें बिजली मिल जाएगी। हिन्दुस्तान के

इतिहास में अगर किसी ने सबसे ज्यादा राजनीतिक एनार्की पैदा की, अगर किसी ने राजनीतिक डेथ वारंट लिखा, तो उसका नाम ... [57]है, जिसने आने वाले भविष्य को चुनौती दी।

माननीय सभापति: किसी का नाम नहीं लीजिए।

श्री राजेश रंजन: ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान में क्या हुआ? यहां हमेशा सपना दिखाया गया। कभी दो किलोग्राम चावल का सपना दिखाया गया तो बिहार में साइकिल दिया गया। साइकिल किसको दिया? बेटी को। वाह रे वाह, आज़ादी के बाद हिन्दुस्तान में बिहार की 9,335 लड़कियां टेक्नीकल एजुकेशन नहीं ले पाईं। नीतीश कुमार को शायद इसका पता है या नहीं, पर मैंने उन्हें यह भेजा था। यह उन्हीं की वेबसाइट पर था। वहां 4.2 प्रतिशत टीचर नहीं है, 5,400 गांवों में मध्य विद्यालय नहीं हैं। साइकिल लेकर वोट ले लिया। इस बार कह रहे हैं कि हम आएंगे तो शराब रोक देंगे। अभी चार एमएलसी को शराब माफिया को दिया, पांच सौ करोड़ लेकर शराब वाले को दिया और कह रहे हैं कि अगली बार आएंगे तो शराब रोक देंगे, ताकि महिलाएं उनको वोट दे दें।

मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि शराब, शबाब, कबाब, धन और जाति की जो प्रासंगिकता है, इसको यदि समाप्त करना चाहते हैं तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैप को बहुत गंभीरता के साथ हिंदुस्तान की व्यवस्था को, 92 प्रतिशत लोगों के सवाल को समझना होगा। जब तक उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण को नहीं रोकेंगे, जब तक कुत्ते से भी कम उसकी आमदनी और खर्च होगा, तब तक हिंदुस्तान में कंपल्सरी वोट की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि कंपल्सरी वोट करना हो तो आपको एकरूपता के बारे में सोचना होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में मानव निर्माण की कल्पना की गई थी, हमारे पूर्वजों ने ऐसे समाज की कल्पना की थी, संपूर्ण विकास की कल्पना की थी।

[57]कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अंत में, मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट, मिनिमम रिक्वायरमेंट भोजन, वस्त्र, चिकित्सा व शिक्षा और फंडामेंटल राइट सबके लिए न्याय समान, सबकी प्रतिष्ठा समान, सबका धर्म समान, समाज के हर व्यक्ति को न्याय के साथ आगे बढ़ाना जब तक नहीं तय होगा, तब तक वोट की कल्पना बेकार है। धन्यवाद।

श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती): सभापति जी, आज मैं जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी द्वारा लाए गए प्राइवेट मेंबर बिल, आनिवार्य मतदान के विषय में, पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अभी माननीय पप्पू यादव जी गरीबों की बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाकर आनिवार्य मतदान की बात सोचनी चाहिए, इस प्रकार की बात कर रहे थे। शायद इनको भी याद है और हम सबको याद है कि हिंदुस्तान सैकड़ों वर्ष गुलाम था और गुलाम होने के कारण हिंदुस्तान में तमाम चीजों पर, जो हिंदुस्तान के लोग थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा था, स्वतंत्रता का प्रतिबंध, मतदान का प्रतिबंध, आजादी का प्रतिबंध, शिक्षा का प्रतिबंध, अपनी आभिव्यक्ति व्यक्त करने का प्रतिबंध। इसको लेकर हिंदुस्तान के लाखों नौजवानों ने सैकड़ों वर्ष आंदोलन किया, लाखों नौजवानों ने कुर्बानी दी। सबके मन में यह था कि हमारा देश आजाद होगा, हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक होंगे, हमको हर प्रकार की स्वतंत्रता होगी, मतदान की भी हमें स्वतंत्रता होगी, हमें बोलने की भी स्वतंत्रता होगी, शिक्षा ग्रहण करने की भी स्वतंत्रता होगी। [अनुवाद]इस नाते इस देश के लाखों नौजवानों ने संघर्ष किया, कुर्बानी दी, तब वर्ष 1947 में यह देश आजाद हुआ।

एक आंकड़ा मेरे पास है। जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब देश में सन् 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार केवल 13 प्रतिशत जनता को मतदान देने का आधिकार था। यह क्यों था? जो अंग्रेज शासक थे, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके एजेंट के रूप में जो काम करते थे, विभिन्न प्रकार की शर्त जोड़कर उन्हीं को मतदान देने का आधिकार दिया गया था। इस नाते इस देश में सैकड़ों वर्ष आंदोलन हुए, देश के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी और देश आजाद हुआ। मैं आज यह कह सकता हूं कि आज जब देश आजाद हुआ है, तो आज भी 35, 40, 45, 50, 55 प्रतिशत वोट पाकर सरकारें बन रही हैं, लगभग आधे लोग

मतदान नहीं कर रहे हैं। जो मतदान नहीं कर रहे हैं, वे कौन से लोग हैं? मुझे लगता है, वे वही लोग हैं, जो शोषित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनके यहां सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। जब वोट देना आनिवार्य नहीं रहता है, शत-प्रतिशत लोग वोट दें, यह आनिवार्यता नहीं रहती है, तो लालच देकर, धमकी देकर, बंदूक दिखाकर उनका वोट लिया जाता है। मेरा मानना है कि लोगों को वोट के लिए आनिवार्य करना चाहिए और जब वोट के लिए आनिवार्य होगा, तो निश्चित रूप से जो पैसे के आधार पर वोट खरीदे जाते हैं, शराब बांटकर वोट खरीदे जाते हैं, धमकी देकर वोट लिया जाता है, ऐसी प्रवृत्ति पर भी प्रतिबंध लगेगा। इस नाते मैं यह मानता हूं कि शत-प्रतिशत लोगों को वोट देना आनिवार्य किया जाए। यह हमारी मांग है। वर्ष 2014 के मतदान में सबसे ज्यादा 66 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है। जब ज्यादा लोग मतदान करते हैं तो स्वाभाविक है कि अच्छी सरकार आती है। उस सरकार से हर वर्ग के लोग, चाहे वह गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, हिन्दू या मुसलमान हों, सभी लोगो को अपेक्षाएं रहती है। हमारी सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी से लोगों की अपेक्षायें हैं। चाहे वह गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, हिन्दू या मुसलमान हो, सभी लोगों ने मत देकर इस सरकार को चुना है। सबको यह एहसास है कि यह हमारी सरकार है, यह अपनी सरकार है, इस नाते यह सरकार इस काम को करेगी तो अच्छा रहेगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, चूंकि वह सबका वोट पाये हैं, सभी क्षेत्रों का वोट पाये हैं, सभी वर्गों का वोट पाये हैं, इस नाते गरीबों, नौजवानों, किसानों और मजदूरों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है।

श्री राजेश रंजन: सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सभापति: आप रूल बताइए। किस रूल के तहत?

श्री राजेश रंजन: अभी बिहार में लाठी चार्ज से दो महिलाओं की मौत हो गयी। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: यह रूल में नहीं है, व्यवस्था में नहीं है। हरीश जी आप अपनी बात कहें।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 4.51 बजे

इस समय श्री राजेश रंजन आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है। आप कृपया शांत रहिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपनी बात जारी रखें।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया आप अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया आप अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह हमारे सदन का विषय नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपनी बात जारी रखिए।

...(व्यवधान)

हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: सभापति महोदय, 22 देशों में आनिवार्य मतदान है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

... (व्यवधान)...[58*]

माननीय सभापति: आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के समय को अनावश्यक बर्बाद कर रहे हैं। आप इस विषय को सोमवार को सदन में उठा सकते हैं। उस दिन आपके विषय को ले लिया जायेगा।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अनावश्यक ही सदन की कार्यवाई में बाधा पैदा कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह आपकी बात सुन रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह बिहार सरकार का काम है, यह क्या करेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप माननीय सदस्य को बात समाप्त करने दीजिए, उसके बाद इस पर विचार किया जायेगा।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपनी सीट पर जाइए। यह कोई तरीका नहीं है।

---

[58]कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान)

अपराह्न 4.53 बजे

इस समय माननीय सदस्य श्री राजेश रंजन अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: सभापति महोदय, 22 देशों में आनिवार्य मतदान है। हमारे प्रधानंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक विधेयक गुजरात विधान सभा में लाये थे कि स्थानीय निकाय के चुनाव में आनिवार्य मतदान लागू किया जाये और वहां की विधान सभा ने इस विधेयक को बहुमत से पास किया था। मुझे यह लगता है कि आने वाले समय में हर क्षेत्र का विकास हो, गरीबों को हर प्रकार का आधिकार मिले, गरीब भी खुशहाल हो, उसको शिक्षा, चिकित्सा, नौकरियों में विभिन्न प्रकार की सुविधायें मिले, इसलिए मतदान को आनिवार्य करना चाहिए। टैक्स पेयर्स बार-बार यह कहते हैं कि सरकार हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रही है, वह इसलिए ऐसा कहते हैं कि उन्होंने टैक्स दिया है और सरकार से जवाब-तलब करना, उनका आधिकार है। अगर सरकार पैसे का दुरुपयोग कर रही है तो हम उस पर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति मतदान करेगा तो सरकार की हर गतिविधि पर उनकी नजर होगी। सरकार अच्छा काम करेगी, उसकी प्रशंसा आम जनता करेगी लेकिन अगर सरकार गलत काम करेगी तो उस पर प्रश्न चिन्ह आम जनता खड़ा करेगी। इस नाते आवश्यक है कि मतदान को आवश्यक किया जाये। आने वाले समय में जागरूकता के साथ-साथ शिक्षा आवश्यक है। पप्पू यादव जी कह रहे थे कि 67 वर्षों के बाद भी हिन्दुस्तान में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर स्कूल, चिकित्सा की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, चलने के लिए रास्ता और पीने के लिए पानी नहीं है, उनके बारे में विचार करना चाहिए। पिछले 67 वर्षों में कौन-सी ऐसी सरकार थी, किस दल की ऐसी सरकार थी, जिसने मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया। गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मजदूरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, नौजवानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। मैं पप्पू जी से भी कहूंगा, उन्होंने विचार व्यक्त किया है कि वे इसके विरोध में हैं, यह

अभी लागू नहीं होना चाहिए। मैं उनसे कहूंगा कि आप अपना विचार बदलिए क्योंकि अगर यह लागू नहीं होगा तो जो राजनीतिक दल पिछले 65 वर्षों में शासन में थे...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: लागू होना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: बड़े-बड़े पदों पर हैं, अच्छा-खासा पैसा कमाकर अपना साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं, वही लोग बार-बार जीतकर आते हैं। तमाम बड़े-बड़े नेताओं के लड़के चुनाव जीतकर आते हैं क्योंकि उनके पास हर प्रकार के संसाधन हैं, वे वोटरों को प्रभावित करते हैं। तमाम क्षेत्रों में जाकर वोट को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने का काम करते हैं। इस नाते मेरा मानना है कि गरीब का बेटा तभी आकर लोक सभा में बोल सकता है, किसान का बेटा तभी आकर लोक सभा में बोल सकता है जब आनिवार्य मतदान होगा। तब अच्छे लोग चुने जाएंगे। न अपराधी चुना जाएगा, न पैसे वाले चुने जाएंगे, न शराब माफिया चुने जाएंगे। जब गरीब व्यक्ति मतदान करेगा, किसान, मजदूर मतदान करेगा, अगड़ा-पिछड़ा मतदान करेगा, शत-प्रतिशत मतदान होगा, तभी अच्छे लोग चुने जाएंगे।

अभी हमारे टेनी जी कह रहे थे कि लोक सभा में जिस प्रकार व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार एक पार्टी के कुछ लोगों को लग रहा है कि हिन्दुस्तान में जो माननीय मोदी जी की सरकार है, वह पांच वर्षों में ऐसा काम कर देगी कि हमारे 60 वर्षों की तुलना देश की जनता करेगी, इस नाते ऐसा कुछ किया जाए कि काम ही न होने दिया जाए। जिस प्रकार 14 महीने में गरीबों की जन-धन योजना से लेकर सुरक्षा बीमा, अटल पैंशन योजना, आजीवन बीमा आदि तमाम ऐसी योजनाएं मोदी जी लाए हैं, उससे देश के गरीबों को लग रहा है कि यह हमारी सरकार है, हमारी पीड़ा समझने वाली सरकार है क्योंकि मोदी जी भी उसी गरीबी से उठकर यहां आए हैं। उन्हें यह एहसास है कि गरीबों की पीड़ा क्या होती है। हिन्दुस्तान में 20 करोड़ ऐसे लोग थे जो यह नहीं जानते थे कि बैंक क्या होता है, बैंक में क्या-क्या होता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वे खाते नहीं खुलवा सकते थे। मोदी जी ने कहा कि अब पैसे की आवश्यकता नहीं है, जीरो बैलैंस पर हम खाता खुलवाएंगे और केवल खाता ही नहीं खुलवाएंगे बल्कि उन्हें एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देंगे, 30 हजार रुपये का आजीवन बीमा देंगे,

5 हजार रुपये का ओवर ड्राफ्ट देंगे। वे इस प्रकार की योजना लाए और 14 करोड़ लोगों ने हिन्दुस्तान में खाता खुलवाया। किसी ने यह नहीं सोचा था कि कोई ऐसी सरकार आएगी।

हम लोग गांव में रहते थे। गांव में पटिदारी में जब आपस में झगड़ा होता था तो लोग ताना मारते थे। अगर कोई सरकारी नौकरी में रहता था तो कहते थे कि इनका क्या है, 60 साल तक इन्हें तनख्वाह मिलेगी, 60 साल के बाद भी सरकार कर्जदार है, इन्हें पैंशन देगी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि कोई ऐसा प्रधान मंत्री होगा, कोई ऐसी सरकार आएगी जो हर व्यक्ति के लिए पैंशन योजना लेकर आएगी। अटल पैंशन योजना माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी लेकर आए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति, चाहे वह नौकरी में हो या नहीं, किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं हो, अगर वह किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार है तो 60 साल के बाद पैंशन पाएगा। वह जब तक जीवित रहेगा तब तक पैंशन पाएगा, नहीं जीवित रहेगा तो उसकी पत्नी पैंशन पाएगी। पत्नी नहीं रहेगी तो उसके परिवार को जोड़कर दे दी जाएगी। तमाम ऐसी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है क्योंकि हिन्दुस्तान के आधिकतम मतदाताओं ने माननीय मोदी जी को चुना है, अपने मताधिकार का उपयोग किया है। इस नाते आज मोदी जी के ऊपर भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक दबाव भी है कि आने वाले समय में जिन गरीबों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, समाज के जिन वर्गों ने हमें वोट दिया है, हमें उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए, उनके विकास के लिए काम करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले समय में इसे आनिवार्य करना चाहिए। अगर आनिवार्य मतदान होगा तो चुनाव में जो तमाम प्रकार का दुरुपयोग होता है, उस पर प्रतिबंध लगेगा। अच्छे लोग चुनकर आएंगे, गांव से लोग चुनकर आएंगे, गरीब का बेटा चुनकर आएगा, दलित का बेटा चुनकर आएगा, मजदूर का बेटा चुनकर आएगा।

माननीय सीग्रीवाल जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आने वाले समय में निश्चित रूप से आनिवार्य मतदान लागू करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से मांग करता हूं कि एक कमेटी बनाकर इस पर समीक्षा करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 5.00 बजे

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान): माननीय सदस्य पप्पू यादव जी ने जो चिंता व्यक्त की है और इन्होंने सदन को बताया कि उक्त घटना में दो महिलाओं की मौत भी हुई है। इसे लेकर सदन दुखी है। माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाई जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी, की जाएगी।

अपराह्न 5.01 बजे

(डॉ. पी. वेणुगोपाल *पीठासीन हुए*]

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़): महोदय, आज सिंग्रीवाल जी द्वारा सदन में आनिवार्य मतदान बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आजादी के पहले लोगों ने भारत माता को जंजीरों से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी। आजादी के 68 साल बाद भारत के पुनर्निर्माण के लिए लोगों ने अपनी शक्ति का संचार किया। हिन्दुस्तान की आजादी के 68 सालों बाद की समस्याओं का समाधान आनिवार्य मतदान है। अगर इस देश को समृद्ध करना है, इस देश को पूरे विश्व का शहंशाह बनाना है इसके लिए आनिवार्य मतदान जरूरी है। हमलोगों ने इस देश में कई चुनाव देखिए हैं। लेकिन आज इस लोकतंत्र में कोई चारा खा जाता है, कोई टेलीफोन का तार खा जाता है, कोई यूरिया खा जाता है, कोई देश की गरीब जनता की योजनाओं का पैसा खा जाता है। देश में जमीन से आसमान और पाताल तक की चीजों को नहीं छोड़ता है, तब लगता है कि देश में राजनीति में शुचिता होना जरूरी है, अगर शुचिता नहीं होगी, अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, राजनीति में देश को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं आएंगे तब तक इस देश को विश्व का शक्तिशाली मुल्क नहीं बनाया जा सकता। आज जरूरत इस बात की है कि देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र हो। आज कई राजनीतिक दलों में सुप्रीमो जैसी बात है, इस राजनीतक दल का सुप्रीमो ये हैं। मैं अपने आप को गौरान्वित महसूस करता हूं कि मैं जिस राजनीतिक दल से आता हूं उसमें आंतरिक

लोकतंत्र है, बुथ स्तर पर काम करने वाला पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, साधारण परिवार में जन्म लेने वाला इस पार्टी का इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। जब तक सभी दलों में राजनीतक लोकतंत्र नहीं आएगा, आज चुनाव आयोग के पास 1200-1300 राजनीतक दल रजिस्ट्रड होंगे लेकिन दो या तीन राजनीतक दलों को छोड़कर कोई भी आइडियल विचारधारा पर नहीं चलती है बल्कि परिवार के आधार पर चलती है सुप्रीमो के आधार पर चलते हैं।

अभी चुनाव पैसे लेकर टिकट दिए जाने की बात हो रही थी। ऐसे लोग टिकट लेने के बाद उस पैसे को निकालने के लिए देश में भ्रष्टाचार करते हैं। आज चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, 60-70 प्रतिशत से ज्यादा मतदान नहीं होता है। आज जितने प्रत्याशी को मत मिलता है उससे ज्यादा मत वोट की पेटी में नहीं पड़ते हैं। चुनाव में लोगों को प्रभावित किया जाता है, मैनेज किया जाता है। कई बार एक क्षेत्र के लोगों के वोट पड़ जाते हैं दूसरे क्षेत्र के लोग मतदान से वंचित हो जाते हैं। इस देश में आनिवार्य मतदान की बहुत आवश्यकता है। आज अमीरी और गरीबी, अगड़े और पिछड़े का भेदभाव मिटाने का तरीका आनिवार्य मतदान ही है। आज आनिवार्य मतदान को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है जब तक यह सख्ती से लागू नहीं होगा तक अच्छे लोगों का राजनीति में प्रवेश नहीं होगा। आज जेल रहकर भी लोग चुनाव लड़ा जाता है आज इस प्रकार की बातें हो रही हैं। [अनुवाद]जेल की जंजीरों में, बेड़ियों में बंद होने के बावजूद भी वह चुनाव जीत जाता है तब इस देश के सामने एक प्रश्न चिह्न खड़ा हो जाता है कि क्या यह लोकतंत्र है? जब लोकतंत्र की बात आती है, तब अब्राहिम लिंकन का भी नाम आता है कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। जब उस शासन में जनता तत्व ही पूर्ण नहीं आयेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जब शतप्रतिशत मतदान होगा, आधिकांश मतदान होगा, तभी यह होगा। आज भी हम कई जगह देखते हैं कि कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती है, फिर भी वे चुनाव जीत जाते हैं। ऐसी स्थिति में जरूरत है कि क्या 20-22 प्रतिशत लोग ही जन-प्रतिनिधि बनायेंगे? क्या ऐसे लोग ही इस देश की नीति का निर्माण करेंगे? उस समय आनिवार्य मतदान की आवश्यकता है।

मैं कहना चाहता हूं कि आनिवार्य मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। मैं दो वर्ष पुरानी घटना बताना चाहता हूं कि कोई मंत्री बहुत बड़े जुर्म के बाद जेल से छूटकर आता है और बाहर आने के

बाद मीडिया के सामने डांस करता है और विक्टरी का निशान दिखाता है। उस समय लगता है कि इस देश में भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा। जब तक लोग धर्म, जातिवाद और मजहब के आधार पर राजनीति करते रहेंगे, तब तक उन सबका अंत नहीं होगा। अगर इसका कोई अंत है, तो वह आनिवार्य मतदान है।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग देखते हैं, मेरे पूर्ववक्ता ने एक बात कही कि गुजरात में पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव में आनिवार्य मतदान किया गया, तो आज लगता है कि वहां अच्छे लोग राजनीति में आये हैं। चाहे पंचायत राज हो या स्थानीय निकाय हो, जब राजनीति में सूचिता आती है, ईमानदार लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, तो राजनीति में भी अच्छा काम होता है। अच्छे लोगों द्वारा इस देश में अच्छी नीति का निर्माण होता है।

अभी मेरे साथी कह रहे थे कि इस देश में जन-धन योजना आयी। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अगर सबसे अच्छी कोई योजना है, तो वह यह है। आज मजदूर जब मनरेगा में मजदूरी का काम करता है और अपनी मजदूरी के लिए तहसील में पटवारी और तहसीलदार के पास जाता है, तो वहां भी उसे व्यवस्था के नाते कुछ करना पड़ता है। आज प्रधान मंत्री जी ने इस देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जन-धन योजना लागू की है। इसके अंतर्गत उनकी मजदूरी दिल्ली से सीधे उसके खाते में जायेगी। अब कोई वृद्ध अपनी पैंशन लेने के लिए डाकिया का इंतजार करता रहता है, लेकिन डाकिया चार-पांच महीने की पैंशन इकट्ठी करने के बाद देता है और उससे कहता है कि मेरा भी कुछ बनता है। आज उस वृद्ध की पैंशन जब सीधी उसके खाते में जायेगी तो इस देश में भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। आज कई लोग बात करते हैं कि गरीब लोगों का राजनीति में आना मुश्किल होता है, आम आदमी का राजनीति में आना मुश्किल होता है। अध्यापक, डाक्टर, इंजीनियर आदि कई लोग अपने दिमाग में अच्छे समाज की सोच रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस बेड़े में ऐसे कई लोग हैं, जो इस देश के निर्माण में अपनी महत्ती भूमिका निभाने के लिए तैयार बैठे हैं। कई ऐसे लोग हैं, जो एक साधारण परिवार से आये हैं और आज हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आकर बैठे हैं।

सभापति महोदय, मैं बोलना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन मेरी ट्रेन का समय हो गया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि सीग्रीवाल जी ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि आनिवार्य मतदान को सख्ती से इस देश में लागू किया जाये। इस देश में यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, भाई-भतीजेवाद को समाप्त करना है, बाहुबलीवाद को समाप्त करना है, मजहब के आधार पर होने वाली राजनीति को समाप्त करना है तो आवश्यक मतदान का कानून सख्ती से बनाया जाये और उसकी पालना करायी जाये।

अंत में, मैं यही शब्द कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री कोण्डा विश्वेश्वर रेड्डी (चेवेल्ला): माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

हमारा देश महान आदर्शों पर स्थापित हुआ था। हमारे पास महान नेता थे, अंबेडकर जी, नेहरू जी, राजाजी और शास्त्री जी, जिन्होंने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की थी जहाँ संसद और नीतियाँ जनता का सही और सटीक प्रतिनिधित्व करें।

अनिवार्य मतदान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सरकार की नीतियाँ और जनता का प्रतिनिधित्व, लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं के अधिक सटीक अनुरूप होगा। यदि जनसंख्या का एक वर्ग बहुत बड़ी संख्या में मतदान करता है और दूसरा वर्ग बहुत कम संख्या में मतदान करता है, तो प्रतिनिधित्व विकृत हो जाता है और नीतियाँ भी विकृत हो जाती हैं।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कुछ समूहों का मतदान प्रतिशत 90 प्रतिशत तक होता है, जबकि कुछ समूहों का मतदान प्रतिशत 40 प्रतिशत से भी कम होता है। इसलिए, निश्चित रूप से संसद में प्रतिनिधित्व विकृत हो जाता है और हमारी सरकारों की नीतियाँ भी विकृत हो जाती हैं, और यह इस महान लोकतंत्र के संस्थापकों का उद्देश्य नहीं था। राष्ट्र के हित में यह नहीं है कि कोई भी चीज़ विकृत हो, नीतियाँ तो बिल्कुल भी नहीं। समान प्रकृति की जनसंख्या वाले देशों में भी यह स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में प्रतिनिधित्व का अत्यधिक विकृत होना और भी अधिक खतरनाक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या लोकतंत्र के प्रति किसी भी जिम्मेदार नागरिक का एक साधारण, किन्तु अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए? मेरा मानना है कि इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। हालांकि, वर्ष 1951 में जब पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन बिल पर संसद में चर्चा हो रही थी, तब माननीय डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ने इसे अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने इसे जिन कारणों से अस्वीकार किया, वे और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। उस समय उन्होंने इसे इसलिए अस्वीकार किया था

क्योंकि उन दिनों मतदान बहुत से लोगों के लिए सुलभ नहीं था और यह व्यावहारिक नहीं था। किन्तु जिन कारणों से इसे अस्वीकार किया गया था, वे अब अस्तित्व में नहीं हैं। आज भारत के हर कोने में मतदान सुलभ है। पुनः, मेरा मानना है कि वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने भी यही निष्कर्ष निकाला था कि यह व्यावहारिक नहीं है, किन्तु मेरा मानना है कि हम उन व्यावहारिक कठिनाइयों को काफी पहले ही पार कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाए।

कई लोग हैं, और माननीय सदस्य श्री पप्पू यादव ने भी अनिवार्य मतदान लागू न करने के लिए विभिन्न कारणों का उल्लेख किया, जैसे—गरीबी, जागरूकता की कमी, शिक्षा का अभाव और अन्य अनेक कारण। लेकिन यही वे कारण हैं जिन्हें बेहतर जन-प्रतिनिधित्व के माध्यम से अनिवार्य मतदान समाप्त कर सकता है। अनिवार्य मतदान के विरोध में रहने वाले अन्य लोग कहते हैं कि यह स्वतंत्रता को सीमित करता है। यह स्वतंत्रता को कैसे सीमित करता है? मेरा मानना है कि अब अधिकांश स्थानों पर हमें केवल 5, 6, 7 या 10 उम्मीदवारों में से ही चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, बल्कि हमारे पास 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प भी उपलब्ध है।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब युवा मतदान करने लगे हैं। अनेक युवा किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते और उनकी कोई राजनीतिक निष्ठा नहीं होती। उनकी एकमात्र रुचि अपने भविष्य में होती है और यह कि देश उन्हें क्या दे सकता है, एक नौकरी, एक करियर। चुनावों से पहले राजनीतिक दल अत्यंत संगठित होते हैं, मतदान पर्चियाँ वितरित करने आदि जैसे कार्यों में। यह वास्तव में युवाओं की रुचि का विषय नहीं है। इसलिए, जो सदस्य किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं या असंगठित राजनीतिक दलों से संबंधित हैं, उन्हें निश्चित रूप से नुकसान होता है यदि मतदान को अनिवार्य नहीं बनाया जाता।

कई देशों में मतदान को अनिवार्य बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्राज़ील, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि सहित 26 देशों में मतदान अनिवार्य है। प्रश्न यह है कि इसे इस प्रकार अनिवार्य कैसे बनाया जाए कि लोगों को अनुचित रूप से दंडित न किया जाए। ये छोटी-छोटी समस्याएँ हैं और हम इन्हें दूर कर सकते हैं।

इस बार उत्तर-पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में भी मतदाता उपस्थिति 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच रही। इसलिए, अब पहुंच कोई समस्या नहीं रह गई है। मुंबई, बेंगलुरु जैसे कुछ विकसित शहरों में मतदान प्रतिशत कम रहा। अतः स्पष्ट है कि पहुंच अब मुद्दा नहीं है। वास्तव में, आंकड़े इसके विपरीत संकेत करते हैं। यदि मतदान के अधिकारों के प्रति जागरूकता और शिक्षा को कारण माना जाए, तो भी आंकड़े ठीक इसके उलट स्थिति दर्शाते हैं। स्पष्ट रूप से, अनेक नागरिक मतदान को अपना सर्वोपरि कर्तव्य नहीं मानते। अनिवार्य मतदान विधेयक लोकतंत्र की कमियों को दूर करने में सहायक हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समय के साथ, बिना इसे अव्यावहारिक बनाए, हम अनिवार्य मतदान की दिशा में आगे बढ़ें।

अंत में, मेरा स्वयं का मत है कि अनिवार्य मतदान अत्यंत आवश्यक है, किन्तु प्रश्न केवल यह है कि इसे कब और कैसे लागू किया जाए। इस प्रकार की अनिवार्य मतदान प्रणाली को हमारे देश में कैसे लागू किया जाए, इस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिससे वास्तव में वह लोकतंत्र स्थापित हो सके जिसकी हमारे नेताओं ने कल्पना की थी।

[हिन्दी]

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत): सभापति जी, आपने मुझे आनिवार्य मतदान चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रजातंत्र में मतदान आनिवार्य होना बहुत जरूरी है। कई राज्यों में मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम है। कम मतदान होने की वजह से जीतने वाले प्रत्याशी बहुत ही कम परसेंट वोट से जीतते हैं। प्रजातंत्र में जो सरकार बने वह लोगों के बहुमत की सरकार बननी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि आनिवार्य मतदान के लिए लोगों में जागरुकता पैदा की जाए और शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की योजना शुरू की है और देश के आर्थिक हालात का ठीक करना, जिस तरह से प्रधानमंत्री जन-धन योजना में 15 करोड़ के करीब बैंक खाते खुले हैं, उससे लोगों में जागृति आएगी। इसके लिए हमें आनिवार्य मतदान का कानून बनाना चाहिए और लोगों से बात करनी

चाहिए कि जिस तरह से हम पेंशन की सुविधा जनता को देते हैं उसी तरह हमें आधार कार्ड से जोड़ना चाहिए तथा यह करना चाहिए कि उन्हीं लोगों को सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो मतदान का प्रयोग करेंगे।

चाहे दूसरी सरकारी नीतियों की ही बात क्यों न हो, उनमें भी यही पालिसी लागू करनी चाहिए। चाहे रोजगार के मामले हों, सब बातों से हम इसे जोड़े तो देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है और देश में प्रजातंत्र मजबूत हो सकता है। जिस तरह से संसार के बहुत-से देशों में, लगभग 26 देशों में मतदान आनिवार्य है, वैसे ही हमारे यहां भी मतदान आनिवार्य हो तो यह राजनीति का सिस्टम भी बदल सकता है। आप देख सकते हैं कि पिछले 10-12 दिनों से जो हालात लोक सभा में देखने को मिले, इनसे भी लोगों में बुरा असर पड़ता है कि क्या जनता इसलिए हमें चुनकर भेजती है कि यहां इस तरह से शोर-शराबा मचाएंगे जो कि गांव की पंचायत में भी नहीं होता है। हमें इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अगर लोगों को भावना से जोड़ना है, तो हमें अपने आपमें भी सुधार करना होगा, अपने सिस्टम में भी सुधार करना होगा तथा साथ-ही-साथ लोगों की आर्थिक हालत में भी सुधार करने के बारे में सोचना होगा। जब हम मतदान को आधार कार्ड से जोड़ देंगे तो कोई भी आदमी देश के किसी भी हिस्से में क्यों न गया हो, वह अपनी वोट का प्रयोग आसानी से कर सके, इस तरह का प्रावधान करने की जरूरत है और चुनाव आयोग से सरकार इस बारे में बात करे ताकि आनिवार्य वोटिंग हो। इससे लोगों में प्रजातंत्र के प्रति आस्था बनी रहेगी।

यह बात भी सत्य है कि अगर वोटिंग आनिवार्य की जाएगी तो लोगों के जीतने का प्रतिशत भी अच्छा होगा और जनता जिसे चुनना चाहती है, उसके हिसाब से जिसके वोटों की संख्या ज्यादा होगी, उतना ही वोट का प्रतिशत भी ज्यादा होगा। प्रजातंत्र में चुने हुए लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे देखिए कि आनिवार्य मतदान कैसे कराया जा सकता है। जिस तरह से हम टीवी चैनल्स में लोक सभा टीवी देखते हैं, उससे भी लोगों में राजनीति के प्रति और नेताओं के प्रति विश्वास की कमी आ रही है। लोग सोचते हैं कि वे क्यों एक-दो घंटे लाइन में खड़े रह कर वोट करते हैं और ऐसे आदमियों को चुनकर संसद में भेजते हैं। अगर हम शिक्षा में सुधार करें, बेरोजगारी दूर करें और लोगों की आर्थिक दशा सुधरे तो इससे देश में सामाजिक क्रांति भी आएगी।

देश में कई दल जो फ्री की स्कीम्स देते हैं, इस बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। इससे भी समाज का नुकसान होता है। हमारे यहां कहावत है कि अगर किसी प्रदेश का, घर का या देश का नुकसान करना हो तो फ्री की बातें बता दो और चुनाव के दौरान झूठी-सच्ची बातें कह कर मतदाता को गुमराह करके वोट ले लो, इससे समाज का भी नुकसान होता है और प्रदेशों का भी नुकसान होता है। जिस तरह से गुजरात में निचले स्तर पर पंचायत स्तर पर जिला कारपोरेशन के चुनाव में किया गया है, वैसा ही सारे देश के लिए इस नियम को बनाना चाहिए।

मैं आनिवार्य मतदान का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरिची): माननीय सभापति महोदय, मुझे इस अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य का तर्क यह है कि जो मतदाता चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है, उसे निर्वाचन आयोग द्वारा आह्वान किए जाने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वे चाहते हैं कि सभी लोग चुनावों में मतदान करें। उन्होंने यह विधेयक इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि चुनावों में मतदाता उपस्थिति कम रहती है। दूसरा कारण यह है कि यह नागरिकों को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करता है, ताकि चुनाव के परिणाम केवल किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे मतदाता समुदाय की इच्छा को प्रतिबिंबित करें।

मैं इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता तथा सभी माननीय सदस्यों को यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि भारत में पिछले कुछ चुनावों से हम देख रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर जाने वाले मतदाताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अनिवार्य मतदान का एक इतिहास रहा है। एथेंस समाज में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य था कि वह निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भाग ले, किन्तु सभा में उपस्थित होना स्वैच्छिक था। उस समय लोगों को निर्णय-

निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता था, और यही प्राचीन काल में इसका मुख्य कारण था।

यह अनिवार्य मतदान की व्यवस्था विश्व के लगभग 22 देशों में लागू है। कुछ देशों में इसके लिए कानून तो है, लेकिन उसका पालन नहीं कराया जाता। वहीं कुछ अन्य देशों में कानून भी है और उसका कड़ाई से पालन भी कराया जाता है। भारत में अभी तक कहीं भी अनिवार्य मतदान लागू नहीं है। हालांकि, हाल ही में गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में विधानसभा द्वारा मतदान को अनिवार्य बनाया गया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसे देशों में अनिवार्य मतदान लागू है और वहां इस कानून का पालन भी सुनिश्चित किया जाता है। यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर नहीं जाता है, तो उसे दंडित किया जाता है।

इस विधेयक में माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है कि इस प्रक्रिया को किस प्रकार लागू किया जाए; लोगों को मतदान के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए; यदि वे मतदान न करें तो उन्हें किस प्रकार दंडित किया जाए, आदि। ये सभी बातें इस विधेयक में वर्णित हैं। विश्व भर में अनिवार्य मतदान का आधार यह है कि मतदाता की भागीदारी को कराधान, अनिवार्य शिक्षा या सैन्य सेवा की भाँति एक नागरिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। कुछ देशों में सैन्य सेवा अनिवार्य होती है। कुछ देशों में मतदाताओं की सार्वभौमिक भागीदारी एक ऐसी सरकार के निर्वाचन में सहायक होती है जो अधिक स्थिर, वैध, वास्तविक स्वरूप की हो तथा जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करती हो। इससे सामाजिक रूप से वंचित वर्गों में निराशा की भावना को भी रोका जा सकता है। किन्तु, यदि इस पद्धति को अपनाया जाता है, तो एक समस्या यह भी है कि चुनाव अवकाश के दिनों में कराने पड़ते हैं। जिन देशों में यह प्रणाली लागू है, वहां चुनाव प्रायः शनिवार और रविवार को ही कराए जाते हैं। वहां लोग डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करते हैं, पूर्व-मतदान (प्री-पोल वोटिंग) की अनुमति होती है, ई-मेल के माध्यम से मतदान की सुविधा होती है, यहाँ तक कि मोबाइल के माध्यम से भी मतदान की सुविधा उपलब्ध होती है। हमारे देश में अभी ये सभी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

यदि ऐसे लोग, जो किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने की संभावना नहीं रखते, अनिवार्य मतदान में भाग लेते हैं, तो मतों के विभाजन या रिक्त मतों की संभावना बढ़ जाती है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि किसी व्यक्ति को डराकर या दबाव डालकर मतदान करने से रोका न जा सके। भारत में 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध है, जिसका उपयोग कोई मतदाता तब कर सकता है जब वह किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करना चाहता। यदि अनिवार्य मतदान लागू किया जाता है, तो यह उग्रवादी या विशेष हित समूहों द्वारा मतदाताओं को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित करने की प्रवृत्ति को रोक सकता है। किन्तु, अनिवार्य मतदान न होने की स्थिति में, राजनेताओं द्वारा प्रेरणा ही मतदाताओं को मतदान केंद्र तक जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अनिवार्य मतदान की स्थिति में चुनाव का परिणाम इस बात को अधिक प्रतिबिंबित करता है कि जनता की वास्तविक इच्छा क्या है, न कि यह कि कौन लोगों को अपने दिनचर्या से समय निकालकर मतदान करने के लिए अधिक प्रभावित कर सकता है।

अनिवार्य मतदान लोगों को चुनाव प्रक्रिया और राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। इसका एक प्रमुख लाभ यह है कि चुनाव प्रचार के लिए कम धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मतदान अनिवार्य होने के कारण लोगों को मतदान करना ही पड़ता है। किन्तु, इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ वरीयता आधारित मतदान प्रणाली (प्रेफरेंशियल वोटिंग) और अनिवार्य मतदान दोनों लागू हैं, वहां उम्मीदवारों का चयन होता है और वे चुनाव लड़ते हैं। उन्हें प्राप्त वरीयता मतों के आधार पर सरकार से चुनावी वित्तीय सहायता मिलती है। इस कारण, कुछ लोग जानबूझकर केवल सरकार से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि इसका एकमात्र लाभ यह है कि अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि अनिवार्य मतदान मतदाताओं के बीच आय के वितरण में सुधार करता है। इसके पीछे क्या कारण है, यह मुझे ज्ञात नहीं है। अनिवार्य मतदान के विरोध में तर्क देने वाले कहते हैं कि यह मतदाताओं के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। उनका कहना है कि यह एक नागरिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक नागरिक अधिकार है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और विधिक सहायता (अटॉर्नी) का अधिकार। एक अन्य तर्क यह है कि यह

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन करता है, जो राजनीतिक विचारों की स्वतंत्रता की बात करता है, और इस प्रकार नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अतिरिक्त किसी अन्य राजनीतिक व्यवस्था, जैसे निरंकुश राजतंत्र, में विश्वास करने का अधिकार भी देता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में इस प्रणाली को इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि अनिवार्य मतदान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह अधिकार भी निहित है कि व्यक्ति न बोले।

अनिवार्य मतदान के संदर्भ में एक अन्य समस्या यह है कि यदि मतदाताओं की चुनाव में भाग लेने में रुचि नहीं होती, तो वे तथाकथित 'डंकी वोट' (यादृच्छिक मतदान) करते हैं, जो कुल मतदान का लगभग एक से दो प्रतिशत होता है। वे चुनाव में कोई वास्तविक रुचि नहीं दिखाते और केवल औपचारिकता निभाने के लिए यादृच्छिक रूप से मतदान कर देते हैं।

एक और कारण यह है कि कुछ मतदाताओं की उम्मीदवारों में कोई रुचि नहीं होती। वे जिन उम्मीदवारों के लिए मतदान कर रहे होते हैं, उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। ऐसे में कुछ मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर मतपत्र में सबसे पहले दिए गए उम्मीदवार को चुन लेते हैं और उसी के पक्ष में मतदान कर देते हैं।

एक अन्य कारण यह है कि कुछ धार्मिक लोग मतदान नहीं करना चाहते। यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। यदि अनिवार्य मतदान लागू किया जाता है, तो यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, इस विधेयक पर चर्चा का समय समाप्त हो गया है। यदि सदन की सहमति हो, तो इस विधेयक पर चर्चा के लिए समय को एक घंटे और बढ़ाया जा सकता है।

कई माननीय सदस्यगण: महोदय, हम सहमत हैं कि समय बढ़ाया जाए।

माननीय सभापति: इस विधेयक पर चर्चा के लिए समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

डॉ. के. कामराज: महोदय, एक अन्य कारण जिसके कारण मैं इस अनिवार्य मतदान का विरोध करता हूँ, यह है कि इसमें वरीयता आधारित मतदान के माध्यम से किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में झुकाव हो सकता है। भले ही मतदाता चुनाव में भाग ले रहे राजनीतिक दलों से कोई लाभ लेना न चाहता हो, फिर भी उसे मतदान करना पड़ता है।

एक अन्य कारण अनौपचारिक मतदान है। लोग केवल आते हैं और मतदान कर देते हैं। अगला कारण अमान्य मतों का है। महोदय, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि भारत में होने वाले चुनावों में डाक मतपत्र की व्यवस्था भी है, फिर भी एक ऐसे देश में, जहाँ बहुत से लोग शिक्षित हैं, लोग अमान्य मत डाल रहे हैं।

पिछले एक वर्ष में मैंने तमिलनाडु में तीन चुनाव देखे हैं। चेन्नई में हुए पिछले चुनाव में, जिसमें हमारी माननीय नेता 'पुराची थलैवी अम्मा' ने चुनाव लड़ा था, मैं एक मतदान केंद्र की देखरेख कर रहा था। उस मतदान केंद्र पर कुल 1382 मत पड़े थे। उनमें से 60 मत ऐसे थे जिनमें दोहरी प्रविष्टि, तिहरी प्रविष्टि या चार-चार प्रविष्टियाँ थीं, जिसके कारण वे अमान्य हो गए।

चुनाव प्रक्रिया में ही अनेक समस्याएँ हैं। मतदाता की फोटो बदल जाती है। मतदाता पहचान पत्र पर महिला का नाम होता है, लेकिन फोटो पुरुष का होता है। जो मतदाता पिछले चुनाव में मतदान कर चुका होता है, उसका नाम अगले चुनाव में सूची में नहीं होता। कुछ लोग जो मतदान केंद्र पर आते हैं, वे मतदान नहीं कर पाते। ये समस्याएँ इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हमारी निर्वाचन प्रणाली अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि संसदीय व्यवस्था में हमारे पास संसद है। स्वयं संसद में भी हम अनिवार्य मतदान लागू नहीं कर पा रहे हैं; हम सभी सदस्यों को उपस्थित रहने और विभाजन के समय मतदान करने के लिए पूर्णतः प्रेरित या बाध्य नहीं कर पा रहे हैं। तब हम 1.2 अरब लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वे प्रत्येक चुनाव में आकर मतदान करें? अतः मेरा मानना है कि हमारी निर्वाचन प्रणाली निरंतर विकसित हो रही

है। इस समय अनिवार्य मतदान लागू करना उचित नहीं है। हम लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनमें जागरूकता बढ़ा सकते हैं। हमें अपनी निर्वाचन प्रणाली में व्यापक सुधार करना होगा। तभी हम अनिवार्य मतदान के बारे में विचार कर सकते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो मतदाता मतदान करने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है और उन्हें कुछ रियायतें दी जा सकती हैं, लेकिन जो मतदाता मतदान नहीं करना चाहते, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसी कारण मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। धन्यवाद। [हिन्दी]

श्री सुमेधानंद सरस्वती (सीकर): सभापति महोदय, श्री जनार्द्धन सीग्रीवाल की ओर से आनिवार्य मतदान का जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उस पर पूर्ववक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। देश में वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी युवा पीढ़ी को लोकतंत्र का क्या महत्व है, इस बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी और इस लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए देश के युवाओं ने जो बलिदान और कुबारनियां दी हैं, उसका महत्व जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक मैं समझता हूं कि हमारा लोकतंत्र जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, वह नहीं बढ़ पाएगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विश्व में भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज जिस बात को माननीय सीग्रीवाल जी ने प्रस्तुत किया है, यह केवल भारत के लिए नहीं है। हम विश्व के इतिहास को उठाकर देखते हैं तो दुनिया में 20-22 देश ऐसे हैं, जिन्होंने अपने यहां आनिवार्य मतदान का कानून बनाया हुआ है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए मैं दो-चार बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। आनिवार्य मतदान से जो लाभ होगा, उसमे पहली आवश्यकता है लोकतंत्र की सुरक्षा। हमारे देश में पिछले बीस वर्षों में दो-तीन ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, पंजाब का चुनाव हुआ, जिसमें 16-17 प्रतिशत मतदान हुआ और उसमें तीन पार्टियों ने चुनाव लड़ा। जो पार्टी सत्ता में आयी उसके पास केवल नौ प्रतिशत मत था। एक तरफ सौ व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ नौ व्यक्ति हैं। नौ व्यक्तियों द्वारा चुनी हुई सरकार सौ व्यक्तियों के लिए काम करती है। इसी तरह से जम्मू-कश्मीर में आपने देखा कि केवल 14-15 प्रतिशत मतदान पाकर वहां की सरकार बनी, सत्ता में रही, उसने काम किए और कानून बनाए। इसलिए यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, इसके पीछे मैं दो कारण मानता हूं।

पहला है कि जब तक शासन ऐसी व्यवस्था नहीं करेगा कि मतदाता भय मुक्त होकर मतदान करे। दूसरा है कि उसमें उसके लिए रुचि पैदा हो। भय मुक्त होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा प्रबंध किया जाए, जैसा कि पूर्ववक्ताओं ने कहा और मैं अनेक क्षेत्रों को जानता हूं। गांव में विशेष तौर से बहुत सारे लोग डर के कारण मतदान करने के लिए नहीं निकलते हैं। पिछले चुनावों में भी मैंने देखा है। मैं पूर्व में भी चुनावों में हिस्सा लेता रहा हूं। मैं कई चुनाव बूथ पर गया, जहां इस प्रकार के बाहूबली लोग, जिनके भय के कारण लोग मतदान करने के लिए नहीं आते हैं। जब तक समाज को भयमुक्त नहीं किया जाएगा, जातिगत आधार पर गरीब और पिछड़े लोगों को शोषित किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, इसलिए भयमुक्त समाज हो। दूसरा, इसके लिए आवश्यक है कि लोगों में रुचि पैदा की जाए। रुचि कब पैदा होगी? रुचि तब पैदा होगी जब हमारी पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देकर आगे लाएंगी। तीसरा, यह है कि हमारे घोषणापत्र होते हैं, जिनमें हम घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन उन घोषणाओं की पूर्ति नहीं होती है। उसका परिणाम यह होता है कि मतदाताओं में उदासीनता आती है।

हमारे देश के जो क्रांतिकारी और शहीद थे, मैंने उनको पढ़ा है। रामप्रसाद बिस्मिल जी जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं। उनको वर्ष 1927 में फांसी की सजा हुई थी। वह जब जेल में बंद थे तो अपने अंतिम समय में उन्होंने आत्मकथा लिखी थी। अपनी आत्मकथा में वह एक बात लिख कर जाते हैं कि जब तक देश शिक्षित नहीं होगा, देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित नहीं होगा तब तक वह स्वतंत्रता की परिभाषा को नहीं समझ पाएगा। आज स्वतंत्रता के नाम पर और मैं थोड़ा विषय से हटकर कहना चाहता हूं कि उसका परिणाम यह रहा कि लगातार पचास साल तक एक पार्टी ने शासन किया और उस पार्टी ने शासन करने से पहले भी लोकतंत्र के महत्व को नहीं समझा। मैंने कांग्रेस के इतिहास को पढ़ा है जो तीन वॉल्यूम में लिखा है। पट्टाभिसीतारमैय्या जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्होंने उस इतिहास को लिखा है। सुभाष चन्द्र बोस जी के बारे में, हम कल एक सेमिनार में बैठे थे, जहां उनकी उपलब्धियों और जीवन के बारे में हम सुन रहे थे। सुभाष चन्द्र बोस जी और पट्टाभिसीतारमैय्या ने चुनाव लड़ा। चुनाव में पट्टाभिसीतारमैय्या हार गए। उसके पीछे यह निकला कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जिनको हम बहुत श्रद्धा से याद करते हैं, उन्होंने कहा कि यह हार पट्टाभिसीतारमैय्या की

नहीं है, यह हार मेरी है और कांग्रेस के सुप्रीम लीडर्स ने सुभाष जी को त्यागपत्र देने पर बाधित कर दिया। इसलिए इन लोगों ने कभी भी आजादी से पहले और आजादी के बाद भी और उसी का परिणाम था कि स्वामी श्रद्धानंद त्यागपत्र देकर गए, लाला लाजपत राय कांग्रेस को छोड़कर गए, मालवीय जी कांग्रेस को छोड़कर गए। इसी तरह कितने सारे लोग थे जो कांग्रेस को छोड़-छोड़ कर चले गए। इन लोगों की महत्ता को कभी नहीं समझा और उसी का परिणाम था कि पचास सालों में इनमें इतना अहंकार पैदा हो गया कि जिसके परिणामस्वरूप इमरजेन्सी आई और इमरजेन्सी के बाद जब लोगों ने यह अनुभव किया कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा, तब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में युवा पीढ़ी के अंदर यह मैसेज गया, हमारे जैसे लोग उस समय विद्यार्थी थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया और एक आंदोलन खड़ा हुआ, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी गई, तब दूसरी पार्टियां सामने आईं और उसका परिणाम आज यह है कि आज विपक्ष और पक्ष दोनों बैठकर यहां विभिन्न मुद्दों के ऊपर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए जब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होगा, देश सुरक्षित नहीं होगा। इसके लिए मैं एक-दो सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने पहले कहा कि भयमुक्त शासन दिया जाए। दूसरा जैसे राजस्थान प्रांत है, वहां ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमारे यहां गांवों के अंदर बूथ होता है। दस-दस किलोमीटर के ऊपर ढाणियां होती हैं, छोटे-छोटे आबादी के क्षेत्र होते हैं। वहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर वोटर्स गाडियां लेकर आते हैं तो लोग डरते हैं कि दूसरा वोटर यह कहेगा कि इसकी गाड़ी में बैठकर गये हैं। दूसरा इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक-एक प्रत्याशी को गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है और उसके लिए पैसे की व्यवस्था भी करनी पड़ती है और उसके ऊपर निर्वाचन आयोग की तलवार भी लटकी रहती है। इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाए कि मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाया जाए, ताकि वह मतदान कर सके। इसके साथ-साथ जब तक मतदाताओं को हमारे विद्यालयों में इसका महत्व नहीं समझाया जायेगा, कालेजों में नहीं समझाया जायेगा, तब तक हमारे युवा इस बात को नहीं समझ पायेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार को जैसे पहले भी विचार आया है, इस पर बैठकर चिंतन और मनन करना चाहिए। मतदान में जैसे आजकल नोटा का भी प्रयोग होने लगा है, कई बार लोग कहते हैं कि जो प्रत्याशी

पसंद नहीं है और आनिवार्य मतदान यदि लागू कर देंगे तो लोग कहां मतदान करेंगे, क्योंकि उनकी पसंद का प्रत्याशी चुनाव में नहीं है। उसका परिणाम यह निकलेगा कि यदि कोई पार्टी किसी गलत व्यक्ति को टिकट देती है और पब्लिक उसे पसंद नहीं करती है तो वह रिजैक्ट हो जायेगा और दोबारा इलैक्शन होगा तो फिर पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार के प्रत्याशी देने चाहिए। इसलिए यह देश, राष्ट्र, समाज, लोकतंत्र, राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक पवित्रता के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे देश के अंदर इस प्रकार से आनिवार्य मतदान का कानून लागू होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): माननीय सभापति महोदय, मैं श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा जो आनिवार्य मतदान विधेयक लाया गया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। देश में मतदान जब तक 100 प्रतिशत नहीं होगा, तब तक सही मायने में हमारा अच्छी सरकार की कल्पना करना गलत होगा। हमने आधिकांश यह देखा है कि जो लोग मतदान नहीं करते हैं, वे लोग ही सरकार और नेताओं के बारे में आलोचना करते हैं। जो लोग मतदान करते हैं, उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वे कभी सरकार और जनप्रतिनिधियों के बारे में आलोचना नहीं करते हैं। हमारे फर्रूखाबाद संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा बूथ है, जहां आधकारी, कर्मचारी ही (ऑफिसर कालोनी) रहते हैं और वहां जब भी वोट पड़ता है तो जनपद में सबसे कम आठ परसैन्ट या पन्द्रह परसैन्ट से आधिक कभी वहां वोट नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि जब तक वोटिंग को हन्ड्रेड, शत-प्रतिशत नहीं किया जायेगा, कम्पलसरी नहीं किया जायेगा, ऐसा कुछ न कुछ नियम हो कि जो भी व्यक्ति मतदान में हिस्सा नहीं लेगा, उसे कहीं न कहीं पाबंद किया जाए, जिससे उसमें एक भय रहे कि मुझे हर हाल में मतदान करना है।

महोदय, मैंने कहीं-कहीं ऐसा भी देखा कि कहीं दो परसैन्ट या पांच परसैन्ट वोट पड़े और वोट पड़ने के बाद बूथ पर झगड़ा हो जाता है या कई गांव सभाओं के पोलिंग बूथों पर झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद मैंने देखा कि दो-तीन परसैन्ट के बूथ से भी वे चुनाव जीतकर आते हैं। ऐसी जगह पर कोई भी जो निष्पक्ष रूप से वोट डालना चाहता है तो वह वोट नहीं डाल पाता है, तभी ऐसी स्थिति बनती है।

महोदय, मैंने बहुत से गांवों में देखा है कि जो पीठासीन आधिकारी जाते हैं, जहां से 60-65% मतदान होता है, तब आधिकारी ही पहले से कहने लगते हैं कि अब मतदान कम कीजिए, ज्यादा मतदान हो जाएगा तो आपका बूथ निरस्त हो जाएगा। महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि आधिकारी को भी यह बात समझनी चाहिए, गांव के लोग भोले भले होते हैं। जब से मैं राजनीति में आया हूँ, पहले कई बूथ हमारे यहां ऐसे होते थे जो 80-95% से ऊपर जाते थे, वे बूथ निरस्त हो जाते थे। अब चुनाव आयोग से भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बार ऐसी व्यवस्था करे, अपने आधिकारियों को बताएं कि जिस बूथ पर भी शत प्रतिशत वोट पड़े या सवारधिक जहां पर वोट पड़ेंगे वहां के पीठासीन आधिकारियों व मतदाता को सम्मानित किया जाए। ऐसा कुछ न कुछ ज्यादा मतदान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि जैसे हमारे यहां अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत चुनाव हो या अध्यक्ष जिला पंचायत का चुनाव हो, वहां पर जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा मतदान होता है, क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुना जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है, महोदय, आधिकांश हमने देखा है वहां के क्षेत्र पंचायत के सदस्य हों या जिला पंचायत के सदस्य हों, वे या तो पैसों का लालच देकर खरीद लिए जाते हैं, या कहीं सत्ता व बाहुबल पर उनको उठा लिया जाता है और उनसे बाद में बलपूर्वक मतदान करा लिया जाता है। ऐसे में जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, वे निष्पक्ष नहीं होते हैं, लोग जिन्हें चुनना चाहते हैं, वे नहीं चुन पाते हैं, ऐसा हो कि पंचायत चुनावों में भी आम आदमी से वोट डलवाकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हों। जिससे वहां के लोग सही मायने में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में भी जैसे हमारे यहां नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं में व्यवस्था हुई है। पहले यह होता था कि सभासद के द्वारा और पार्षद के द्वारा चुनाव होता था और अब है कि नगर पालिकाएं हों या महानगर पालिकाएं हों, आम आदमी उसमें वोट डालता है, तभी वह नगरपालिका अध्यक्ष या महापौर चुनता है, इसी तरह मैं चाहता हूँ इसमें भी सरकार ऐसा नियम बनाए कि जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष हो या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हो, वह भी आम आदमी के द्वारा चुने जाएं। हम सबको शत प्रतिशत मतदान करना चाहिए क्योंकि इससे पूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। इसलिए हम सबको एक-एक वोट की अपनी कीमत समझनी चाहिए। हम सब

नियम बना दें, नियम बनने से ही कुछ नहीं होने वाला है। देश में सब व्यक्तियों को, जितने भी नौजवान हैं, चाहे सम्मानित बुद्धिजीवी हैं, सबको चाहिए कि सब लोग शतप्रतिशत मतदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): सभापति महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य जनार्दन सिग्रीवाल के द्वारा आज जो प्राईवेट मेंबर बिल के रूप में आनिवार्य मतदान के संबंध में विधेयक लाया गया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। महोदय, हम सभी जानते हैं कि आज लोकतंत्र मतदान के ऊपर ही सरकार बना कर जनता के लिए और जनता के हित में काम करने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। इसके पूर्व जब राजतंत्र व्यवस्था थी, तो उस समय यह देखा नहीं जाता था कि राजा का बेटा, वारिस योग्य है या नहीं है, फिर भी उसको राजा बना दिया जाता था। परंतु आज इस परिस्थिति में बदलाव में हुआ है और आज वोट के माध्यम से मतदान के माध्यम से जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। जो सरकार में अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। आज यदि हम आनिवार्य मतदान की बात करें तो यह देखने में आता है कि जहां पर ज्यादा शिक्षित वर्ग है या जो इस विषय को अच्छी तरीके से समझ सकते हें ऐसे लोग ही मतदान से भाग रहे हैं या उदासीन रवैया अपना रहे हैं। इस संबंध में भी हमें आज विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक बैद्धिक वर्ग इस लोक तंत्र को मजबूत करने के लिए, अपना मतदान नहीं करेंगे तो अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बन कर नहीं आएंगे। जब तक अच्छे व्यक्ति इस देश का संचालन करने के लिए, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ जो हम कल्पना करते हैं कि भारत पूरे विश्व को एक नेतृत्व प्रदान करे, इसकी प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आनिवार्य मतदान निश्चित रूप से हो। यद्यपि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कुछ लोगों को इससे छूट भी दी जा सकती है, क्योंकि ऐसे शासकीय दायित्व या जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग हों, ऐसी परिस्थिति में उनको आज के आधुनिक युग में अपने स्थान से ही जो आधुनिक पद्धति है, उसके माध्यम से सीधे मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वह अपने मतदान के आधिकार और कर्तव्य का पालन कर सके। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस बात पर भी विचार करें और

निर्वाचन आयोग इस पर आवश्यक कदम उठाए ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। मैं आज इस अवसर पर, हमारे माननीय सदस्य के द्वारा जो बिल लाया गया है, उसका समर्थन करता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज हम अंकगणित के हिसाब से सरकार बनाते हैं और उसमें जो मतदान का प्रतिशत है, यद्यपि वह कम भी हो सकता है, उसके बाद भी जिनका अंकगणित ज्यादा होता है, जिनके ज्यादा सदस्य जीतकर आते हैं, वे सरकार बना लेते हैं। आने वाले समय में जो परिस्थिति है, उनको देखते हुए मेरा यह आग्रह होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव और राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव आम जनता सीधे करे। निर्वाचन आयोग प्रत्याशी तय करने के लिए ऐसी कोई कमेटी आदि बनाए और उस पर विचार-विमर्श करके आवश्यक सुझाव लेकर निर्णय ले ताकि एक योग्य व्यक्ति, वह जिस राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता है या देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसको जनता सीधे चुन सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): महोदय, आपने मुझे प्राइवेट मेंबर बिल जिसे माननीय सदस्य लाए हैं, उसके विषय में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें मतदान जो होना है या जो होता है, काफी लोग ऐसे होते हैं, जो अपने घरों में रह जाते हैं और वे वोट डालने मतदान केंद्र तक नहीं जाते हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े दुःख का विषय है कि यह जो लोकतंत्र है, जिसके द्वारा देश का संचालन होता है और निश्चित रूप से यह जो आनिवार्य मतदान का बिल है, यह पास होगा, आनिवार्य मतदान किया जाएगा तो इस देश में निश्चित रूप से बहुत कुछ राजनीतिक स्थिति में सुधार होगा। जिस प्रकार से आज लोकतंत्र में हमें जो महत्वपूर्ण भूमिका और दायित्व निभाने के लिए मिला है, देश के हित में, लोगों के हित में, प्रजातंत्र के हित में काम करने का जो हमें दायित्व मिला है, निश्चित रूप से जब मतदान आनिवार्य होगा, अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो वे इस बात को समझेंगे कि आज जिन लोगों ने हमें यह दायित्व दिया है, उसे पूरी तरह से निष्ठा के साथ निभाया जाए। यह न हो कि जो सही नहीं है, उस विषय को भी लेकर लोक सभा में शोर मचाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैं कहना चाहती हूँ कि यदि वोट डालना आनिवार्य हो जाएगा तो सरकार की जो महती योजनाएं हैं, जिनको लोगों तक पहुँचाना है, जिस प्रकार सरकार से आज परिचय पत्र के माध्यम से गरीबी रेखा वालों को चिन्हांकित किया जाता है, उन योजनाओं का लाभ मिलता है, नौकरियों में प्राथमिकतायें मिलती हैं, ये सारी योजनाएं हैं। इसी प्रकार से प्राथमिकता से आनिवार्य मतदान को किया जाए। जो वोटर आई.डी. बनते हैं, वे वोट डालने के लिए बनते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि कई लोग शहरों में रहकर, गाँवों में रहकर उस दिन का जो महत्वपूर्ण मतदान का आधिकार है, उस आधिकार को नहीं निभाते, घर में रह जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जिनका परिवार बहुत गरीब होता है और वे मतदान वाले दिन, अपने घर पर, अपने मतदान केन्द्र पर, अपने गाँव में नहीं रह पाते हैं। गरीबी के कारण वे कमाने खाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और उस समय आ नहीं पाते। इसलिए निश्चित रूप से एक ऐसा नियम कानून बनाया जाए कि मतदान के समय पर वह आनिवार्य रूप से अपने मतदान केन्द्र पर रहें और आनिवार्य मतदान हो तो निश्चित रूप से इस देश का हित होगा। आज आधार कार्ड के रूप में एक पहचान बनी है और सभी के लिए आधार कार्ड आनिवार्य हो गया है चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। इसी प्रकार से इस मतदान को भी आधार कार्ड की बराबरी में लेते हुए आनिवार्य मतदान निश्चित रूप से किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, जब पंचायत का चुनाव होता है तो उस समय वोट का प्रतिशत बढ़ जाता है। चूँकि गाँव का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है और लोग एक एक व्यक्ति से संपर्क करते हैं और वोट डलवाने के लिए जैसे भी हो, उसको आग्रह करके मतदान केन्द्र तक ले जाकर उससे वोट डलवाते हैं। लेकिन जब विधान सभा और लोक सभा का चुनाव आता है तो सबसे कम प्रतिशत लोक सभा चुनाव के समय होता है। विधान सभा के चुनाव के समय जहाँ-तहाँ कुछ प्रतिशत निश्चित रूप से रहता है लेकिन लोक सभा के समय कम हो जाता है। मैं पिछले चार-पाँच चुनावों को देख रही हूँ, लेकिन इस बार लोगों में उत्साह था। इस बार का जो चुनाव हुआ, पूरे देश में उस प्रतिशत को देख लीजिए, पिछली बार से इस बार के चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। जब आनिवार्य मतदान हो जाएगा तो यह प्रतिशत और बढ़ेगा और इस प्रजातंत्र में एक जागरूकता आएगी। सरकार को दो-तीन और महत्वपूर्ण कानून लाने की आवश्यकता है कि हम मतदान को

जिस प्रकार आनिवार्य कर रहे हैं, तो जैसे समय की पाबंदी होती है, बड़े बड़े गाँव होते हैं, मतदान केन्द्रों की संख्या कहीं कहीं कम होती है और लोग बहुत लंबी लाइनें लगाए रहते हैं, उन लंबी लाइनों के कारण लोग सोचते हैं कि आज धूप है या लंबी लाइन में दो-चार घंटे खड़ा होना पड़ेगा तो हम क्यों मतदान करने जाएं। इसलिए य़दि हम मतदान आनिवार्य करें तो निश्चित रूप उसी अनुपात में मतदान केन्द्रों की संख्या और उनका समय बढ़ाना भी आनिवार्य होगा।

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कर्मचारी, आधिकारी मतदान का समय हो गया, अब इतना मतदान हो, ज्यादा न हो, यह देखते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितने लोग लाइन में रहते हैं, सब लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें, ऐसी व्यवस्था कर्मचारी और आधिकारियों को सुनिश्चित करनी चाहिए। ...(व्यवधान) एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूँगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारी प्राथमिकता ऐसी होनी चाहिए कि सरकार ने जो योजनाएँ लागू की हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए हम बहुत योजनाएँ बनाते हैं और उनको प्राथमिकता से लागू करते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो जो लोग मतदान करते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उनको योजनाएँ बनाते समय प्राथमिकता मिलनी चाहिए, नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो लोग बाहर जाते हैं, बड़े-बड़े लोग होते हैं जो पासपोर्ट बनवाते हैं, परिचय बनवाते हैं, उसमें एक पहचान होनी चाहिए कि इस व्यक्ति द्वारा वोट डाला गया है या नहीं। सरकार द्वारा यह आभियान भी चलाया जाना चाहिए कि सरकार इसका प्रचार प्रसार आनिवार्य रूप से करे। मतदान हमारा आधिकार है और सरकार बनाने में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसे आनिवार्य बनाया जाना आवश्यक है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जय हिन्द।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा लाए गए विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सायं 6.00 बजे

आनिवार्य मतदान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, प्रायः जितनी भी डैमोक्रेसी हैं, जितने भी डैमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन सभी देशों में इस तरह की चर्चा पिछले सौ सालों से लगातार चल रही है। कुछ लोगों ने इसको लागू किया है, कुछ लोग इसको लागू करने वाले हैं और कुछ लोग इस डोलड्रम में हैं कि लागू होना चाहिए या लागू नहीं होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो यह मतदान है, यह राइट है या ड्यूटी है और राइट और ड्यूटी में आनिवार्य ड्यूटी होनी चाहिए या आनिवार्य राइट होना चाहिए, इसका एक बड़ा सवाल पूरी दुनिया में आता है। जो लोग इसके समर्थनमें खड़े हैं, उनका आइडिया है, वे लगातार कहते हैं, मैं समराइज़ कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जो डिबेट चल रही है, "विचार यह है कि एक लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली एक सार्वजनिक हित की वस्तु है, जिसमें सभी नागरिकों को इसका लाभ प्राप्त होता है।" क्योंकि, जब चुनाव होता है, जब सरकारें बनती हैं, सरकार की जो सुविधाएं होती हैं, वे सारी जनता को मिलती हैं। भले ही वे इसमें योगदान करने के लिए कुछ न करें। जैसे सरकार बनने वाली है, उसमें से कई एक लोग होते हैं, जो कि भाग ही नहीं लेते हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन उस सरकार के बनने में नहीं है। चूँकि यह एक सार्वजनिक हितहै, इसलिए इसका स्वतंत्र अधिकार होना संभव है क्योंकि, हमारे यहां ही नहीं, पूरी दुनिया में जैसे ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री निशिकान्त दुबे, आप अगली बैठक में अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

सायं 18.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 10 अगस्त, 2015/श्रावण 19, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित